# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १ ] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ३३ वां दिवस [ संख्या ३३



शनिवार, दिनांक १४ अप्रेल, १९६२

——

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

——

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[ स्वायत्त शासन, राजस्थान केनाल, स्वास्थ्य, सिंचाई विभाग]

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न ।

**प्रश्न संख्या २००**

**श्री अध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास ।

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

**प्रश्न संख्या २०१**

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

( अनुपस्थित )

श्री भीमसेन ।

### अति वर्षा से बीकानेर शहर में क्षतिग्रस्त हुए मकानों के मालिकों को दी गई सहायता

२०२. **श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( १ ) क्या यह सही है कि सन् १९५९-६० में अधिक वर्षा से बीकानेर शहर में मकानों, सड़कों एवं नालियों को काफी क्षति पहुंची है ?

( २ ) क्या यह सही है कि उक्त मकान मालिकों को राज्य की ओर से रीहेबिलिटेट करने हेतु कोई ऋण अथवा सहायता दी गई थी ?

( ३ ) भविष्य में अधिक वर्षा से शहर को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**उपमंत्री, स्वायत्त शासन** ( श्री दौलत-राम सारण ) : ( १ ) जी हां ।

Page No. 2



( श्री दौलतरामसारण )

( २ ) जी हां, क्षतिग्रस्त मकानों के मालिकों को १०,३६८) रुपये की सहायता दी गई थी ।

( ३ ) भविष्य में अधिक वर्षा से हानि न हो, इसके लिये बहुत से स्थानों पर सड़कें नालियां तथा पेटियां आदि बना दी हैं ।

**श्री भीमसेन** : यहां बरसात से नालियों, मकानों और सड़कों का कुल कितनी क्षति का अन्दाजा था सरकारको ?

**श्री दौलतराम सारण** : कुल कितनी क्षति हुई, इसके फिगर्स का अन्दाजा तो इस समय मेरे पास नहीं है । पर सहायता दी गई वह मैंने निवेदन कर दिया ।

**श्री भीमसेन** : अधिक वर्षा से शहर को आयन्दा नुकसान नहीं हो, इसके लिये सरकार ने क्या कार्य किया, कितना खर्चा किया ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह मैं उत्तर में निवेदन कर चुका हूं ।

**श्री भीमसेन** : उत्तर में यही कहा कि कुछ किया है, पर कितनी धनराशि खर्च करने का सरकार ने आश्वासन दिया है, कितना खर्च किया गया ?

**श्री दौलतराम सारण** : १९५९ में नगरपालिका, बीकानेर को ५०हजार की सहायता दी वर्षा से नालियां, मकान, सड़कें टूट गई थीं, उनके लिये । जिसमें से १०,३६८) रुपया जिनका हर्जाना हुआ उन्हें सहायता के रूप में दिया गया ।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : क्या यह सही है कि सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की मार्फत ५ लाख रुपयों का सरकार ने आश्वासन दिया था कि बड़े नाले हैं उनको ठीक करवायेंगे ?

**श्री दौलतराम सारण** : सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट , नगरपालिका और सरकार तीनों ने मिल कर नगर में ठीक व्यवस्था हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के सुझावों के मुताबिक सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा ५ लाख रुपया व्यय करने के लिये पी. डब्लू. डी. अकाउन्ट से व्यय करने का तय किया था । ७५-७५ हजार रुपया तीन वर्ष तक सब मिल कर दें, यह तय हुआ था । सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ३ लाख रुपया इसमें से खर्च कर चुका है, पर नगरपालिका सहायता नहीं दे सकी इसलिए वह कार्य नहीं हुआ ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : सरकार ने सहायता दी या नहीं ?

**श्री दौलतराम सारण** : मैंने निवेदन किया, ५० हजार की सहायता दी है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : ७५ हजार रुपया तीन वर्ष तक देने का आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ, वह क्यों नहीं दिया ?

**श्री दौलतराम सारण** : नगरपालिका ७५ हजार नहीं दे सकी और न नगरपालिका ने सरकार से कर्ज के रूप में डिमान्ड की, हालांकि कई बार नगरपालिका को लिखा और स्मरण-पत्र दिये ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : नगरपालिका किसके अधिकार में है इस समय ?

**श्री दौलतराम सारण** : इस समय का प्रश्न नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जिस समय का फरमा रहे हैं उस समय किसके अधिकार में थी ?

**श्री दौलतराम सारण** : इस समय मेरी जानकारी में नहीं है कि उस समय नगरपालिका किसके अधिकार में थी।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जब जानकारी आपके पास नहीं है, नगरपालिका का प्रशासन आप संभालें, आप व्यवस्था नहीं करें, जनता उसका बुरा फल भोगे, इसका जिम्मेदार कौन है ?

**श्री दौलतराम सारण** : नगरपालिका इस समय हमारे हाथ में है तो ठीक हिसाब से कर रहे हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या ठीक हिसाब से कर रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि नगरपालिका ने ७५ हजार रुपया नहीं दिया, इसलिये नहीं किया। आपके अधिकार में जब वह है तो आपको व्यवस्था करनी चाहिये। आप व्यवस्था नहीं करें और फिर कहें कि नगरपालिका ने नहीं दिया इसलिये कार्य नहीं किया, इसका कारण क्या है ?

**श्री दौलतराम सारण** : कारण मैं निवेदन कर चुका।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या निवेदन कर चुके ? आपके अधिकार में है और आप इन्तजाम नहीं करें और फिर यह कहें कि नगरपालिका ने नहीं दिया, इसलिये व्यवस्था नहीं की....

**श्री दौलतराम सारण** : यह प्रश्न इस समय का नहीं है, वर्षा से हानि हुई, उस समय का है। उस समय जो व्यवस्था की वह मैंने निवेदन की। माननीय सदस्य को सुनना चाहिए था।

**श्री मुरलीधर व्यास** : सुनाना क्या चाहते थे ? मैंने सुना है। आपने यह कहा कि नगरपालिका को इसकी व्यवस्था करने के लिए पैसा देना चाहिये था। उस दिन देना चाहिये था, यह नहीं कहा। आपका प्रशासन है, पैसा आप देते नहीं, व्यवस्था आप करना चाहते नहीं।

**स्वायत्त शासन मंत्री** ( श्री बरकतुल्ला खां ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त का यह सवाल है उस वक्त इलेक्टेड म्युनिसिपेलिटी वहां मौजूद थी। गवर्नमेन्ट के पास कोई चारा नहीं था कि किसी इलेक्टेड म्युनिसिपेलिटी को पैसा देने के लिये मजबूर करे। यदि इलेक्टेड म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड करके ऊपर से मजबूर कर देंगे तो इस तरह से स्वायत-शासन संस्थायें पनप नहीं सकती।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इलेक्टेड बॉडी तो बारिश के बाद भी बन गई थी। आपका प्रशासन है, पैसा नहीं। यह दो साल पहले का प्रश्न है। आगे की व्यवस्था का सवाल है, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका प्रशासन है, आप व्यवस्था करें।

**श्री दौलतराम सारण** : मैंने निवेदन

# Page No. 4



( श्री दौलतराम सारण )

किया कि सरकार की ओर से कोई ढिलाई नहीं बरती गई है। नगरपालिका को पहले लिखा गया था कि आर्थिक स्थिति अच्छी न हो तो ऋण की मांग करें। स्मरण-पत्र भी दिये गये लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। जब नगरपालिका ने कोई ऋण के लिए मांग नहीं की तो मजबूरन सरकार ऋण नहीं दे सकती जब तक कि नगरपालिका की ओर से कोई प्रस्ताव न आये। जो सूचना चाहिये थी वह मैं निवेदन कर चुका हूँ। क्या करना चाहिये था और क्या नहीं, यह प्रश्न कहां इससे सम्बन्ध रखता है, यह स्वयं आपके देखना का है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आज कौन मांग कर रहा है? दो साल पहले से रोना रोया जा रहा है। पुराने कागज को देख कर आपको कार्य-वाही करनी चाहिये थी, पैसा भी न दें, व्यवस्था भी न करें। जनता को खतरा है।

**श्री दौलतराम सारण** : जनता को कोई खतरा नहीं। मुकम्मिल इन्तजाम कर दिया गया है।

**श्री भीमसेन** : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। पिछली बरसात में भी वैसी हालत पैदा हो गई थी। सरकार कहती है कि मुकम्मिल इन्तजाम कर दिया गया है, यह सही नहीं है। कोई इन्तजाम नहीं हुआ है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं यह कहना चाहता हूँ....

प्रश्न संख्या २०३

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

## सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, बीकानेर

२०४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भूतपूर्व सिटी इम्प्रूवमेंट कमेटी, बीका-नेर का निर्माण कब हुआ था? इसके निर्माण के बाद इस ट्रस्ट द्वारा कुल कितनी पूंजी व्यय की गई तथा इसके एसेट्स कुल क्या थे?

(२) उक्त ट्रस्ट के निर्माण से समाप्ति तक कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई तथा उक्त अर्जित राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया?

**उप-मंत्री, स्वायत्तशासन** (श्री दौलत-राम सारण) : (१) भूतपूर्व सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी, बीकानेर का निर्माण दिनांक ३०-११-१९४४ ई० को हुआ। इसके निर्माण के बाद से वर्तमान ट्रस्ट के बनने तक इस कमेटी द्वारा लगभग १७ लाख रु० व्यय किया गया। इसके कुल एसेट्स अक्टूबर, १९६० तक २३,१४,८५७) रु० थे।

(२) भूतपूर्व सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी से वर्तमान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को दिनांक १-११-१९६० को कुल ६,०१,७४६ रु० मिले। उक्त राशि से लगभग ४ लाख रु० विकास कार्य, कर्मचारियों के वेतन, जमीन वापसी व शहर में से वर्षा के पानी के निकास के लिए उपयोग किया गया है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अन्तर्गत म्युनिसिपेलिटी ने कुछ जमीनें बेच कर पैसा जमा किया है ?

**श्री अध्यक्ष** : यह प्रश्न सिटी इम्प्रूवमेंट के बारे में है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आमदनी बताई। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने यह आमदनी जमीनें बेच कर की है। नगरपालिका ने भी ऐसा किया है ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह अलग सवाल है।

**श्री भीमसेन** : आपने बताया कि १७ लाख का खर्चा किया तो क्या यह सही है कि जमीनें सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा बेची गईं तो पैसा सरकारी खजाने में जमा हुआ होगा ?

**श्री दौलतराम सारण** : पुरानी सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी सरकारी विभाग में ही काम करती थी और सरकारी विभाग में ही एक फंड के रूप में पैसा जमा करती थी।

**श्री भीमसेन** : सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी को इससे कितनी आमदनी हुई और जनता के हित के लिए उसमें से कितना खर्चा किया गया ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह सारी जनता के हित के लिए ही है।

**श्री भीमसेन** : जमीन बेचने से कितनी आमदनी हुई और उसमें से कितना खर्चा किया गया और कितना रुपया बाकी बच रहा ?

**श्री दौलतराम सारण** : जो खर्चा किया गया है वह मैं निवेदन कर चुका हूँ और जो आमदनी हुई वह भी मैं निवेदन कर चुका हूँ। माननीय सदस्य और क्या पूछना चाहते हैं, यह मुझे नहीं मालूम।

**प्रश्न संख्या २०५**

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

## राजस्थान नहर क्षेत्र में अतिरिक्त राजस्व की वसूली

२०६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, राजस्थान केनाल यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गंगनहर, भाखरा नहर, जवाई एवं चम्बल नहरों के निर्माण के पूर्व राजस्व में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई थी ? अगर हां, तो राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के गांवों में चार आने प्रति बीघा अतिरिक्त राजस्व वसूल करने के क्या आधार हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र पूगल, कोलायत एवं जैसलमेर इलाकों में पानी मिलने में काफी समय लगने की संभावना है तथा केवल योजना के तैयार करने मात्र से काश्तकारों की पेइंग केपेसिटी में कोई अन्तर नहीं आया है ?

Page No. 6



**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) गंगनहर के सींचे जाने वाले इलाकों में राजस्व के अतिरिक्त मालकाना भी बीकानेर रियासत के समय से वसूल हो रहा है, जिसकी दरें समय-समय पर बदलती रही हैं। भाखरा नहर से सिंचित इलाके में जो पहले बारानी इलाका कहलाता था उसमें भी कई तहसीलों में राजस्व के अतिरिक्त मालकाना बीकानेर रियासत के समय में बन्दोबस्त के वक्त कायम हुआ है। जवाई व चम्बल क्षेत्र में बन्दोबस्त के समय जो लगान निर्धारित किया गया था उसमें नहरों के निर्माण के पूर्व कोई वृद्धि नहीं की गई है।

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के गांवों में गंग नहर व भाखरा नहर के परिचालित उसूलों के अनुसार मालकाना राजस्व के अतिरिक्त कायम हुआ है और यह मालकाना टेम्पोरेरी कल्टीवेशन लीजेज़ कन्डीशन्स, १६५५ के अन्तर्गत लिया जाता है।

(२) राजस्थान नहर क्षेत्र के पूगल, कोलायत एवं जैसलमेर इलाकों में १६६६ के पश्चात् ही पानी मिलने की आशा है। राजस्थान नहर योजना के तैयार हो जाने मात्र से इन इलाकों में जमीनों की कीमत में बढ़ोत्तरी हो गई है।

**श्री भीमसेन** : मेरा प्रश्न तो यह था अध्यक्ष महोदय, कि गंगनहर और भाखरा इनके आने से पहले क्या कोई जिस तरह से राजस्थान केनाल क्षेत्र में रकम में वृद्धि की गई है, पहले भी इस तरह की कोई उनमें वृद्धि की गई है, बाद में तो की गई है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : पहले भी गंग केनाल एरिया में मालकाना लगता था और भाखरा के कुछ हिस्से में भी लगाया गया था। गंग केनाल और भाखरा केनाल के एरिया के आधार पर ही राजस्थान केनाल एरिया में भी नियम बने हुए हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : आपने बताया की जमीन की कीमत बढ़ गई है तो किसान के प्रोडक्शन में भी कोई बढ़ोत्तरी हुई है या नहीं?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जमीन की कीमत बढ़ने से अप्रत्यक्ष रूप में पहले से किसान मालदार हुआ है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जमीन की कीमत बढ़ गई, इस मात्र से ही क्या किसान के ऊपर लगान बढ़ा दिया जाय?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अप्रत्यक्ष रूप से पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है।

**श्री भीमसेन** : खातेदारी राइट्स हैं वे वही हैं। वह अपनी जमीन को बेच तो सकता नहीं फिर किसान मालदार कैसे हो गया और उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसे बढ़ गई?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कीमत बढ़ी है। मैं यह नहीं कहता कि पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : वह नहीं बढ़ी है लेकिन यह लगान जरूर बढ़ा दिया, यह कहां तक उचित है?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : लिफ्ट और फ्लो दो तरह की हैं लिफ्ट पर लगेगा नहीं और फ्लो पर लगता है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : यह कहने का आधार क्या है कि धरती की कीमत बढ़ गई है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : आधार है। आसपास की जमीनों की कीमत बढ़ी है। सरकारी विभाग द्वारा जानकारी मिली है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जमीन बेच नहीं सकता। कीमत कैसे बढ़ गई ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जो जमीन उसके कब्जे में है अप्रत्यक्ष रूप से उसकी कीमत बढ़ी है। बेच तो वह उसको नहीं सकता।

**श्री मुरलीधर व्यास** : किसी ने खरीदी हो, बेची हो तो अनुमान लगाया जा सकता है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : यह आम धारणा है और सही है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आम धारणा के आधार पर लगान में बढ़ोत्तरी करदी गई ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मालकाना इर्रिगेटेड लैंड है।

**श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ) : इस एरिया में १) रु० लिया जाता है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या २०६**

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित)

श्री जयसिंह

**जलप्रदाय योजना टोडारायसिंह**

२०८. **श्री जयसिंह** [ (मालपुरा)–श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह नगरपालिका, जिला टोंक ने सरकार के पास कोई नल योजना बना कर भेजी है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इस योजना के लिये धन राशि स्वीकृत कर दी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त नगर-पालिका ने इस योजना के बारे में कोई प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

**उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन** (श्री दौलत-राम सारण) : (१) जी नहीं, बल्कि सरकार द्वारा १९५८ में टोडारायसिंह की जल योजना बनाई गई थी।

(२) जी हां, उक्त योजना के लिये रुपया ७,५०,०००) की धनराशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी।

(३) जी हां, योजना पूर्ण होने के पश्चात् इसको सरकार द्वारा ही चलाई जाने के लिए प्रस्ताव आया है। मगर प्रस्ताव अधूरा प्राप्त हुआ है इसलिए नगरपालिका को पूर्ति के लिये वापिस लिखा गया है।

Page No. 8



प्रश्न संख्या २०६

**श्री अध्यक्ष :** श्री स्योपतसिंह।

( अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये )

श्री अब्दुलजब्बार।

## चिकित्सा व्यवस्था

२१०. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) निम्बाहेड़ा अस्पताल का बजट कितना है?

(२) क्या निम्बाहेड़ा में मैटर्निटी होम खुल सकेगा? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

**उप-मन्त्रिणी, स्वास्थ्य** (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) निम्बाहेड़ा अस्पताल के बजट में सन् १९६१–६२ के लिये २५,५२०) रुपये का प्रावधान था।

(२) इस वर्ष १९६२–६३ में सारे राजस्थान में केवल चार मैटर्निटी होम खोलने का प्रावधान है। यह नहीं कहा जा सकता कि निम्बाहेड़ा में मैटर्निटी होम कब तक खुल सकेगा।

**श्री अब्दुलजब्बार** : क्या मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि निम्बाहेड़ा की जनसंख्या कितनी है और वहां प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर क्या खर्च होता है?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : यह सूचना तो अभी मेरे पास नहीं है।

**श्री अब्दुलजब्बार :** कृपया इस बात की भी सूचना देने का कष्ट करेंगे कि प्री और पोस्ट मैटर्निटी डैथ वहां कितनी हैं?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : यह अलग से प्रश्न हैं, आप अलग से करेंगे तो जानकारी दे दी जावेगी।

**श्री अब्दुलजब्बार** : राजस्थान में चार मैटर्निटी होम खोलने की आवश्यकता महसूस हुई है तो क्या यह निर्णय मैटर्निटी डैथ रेट के आधार पर किया गया है या किस आधार पर ये चार खोलने का निर्णय लिया गया है?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : बजट के प्रावधान के अनुसार चार खोले जाने का निश्चय किया गया है।

**श्री अब्दुलजब्बार** : केवल बजट के आधार पर ही नहीं, कुछ तो लोकल सरकम्सटान्सेज़ भी देखे जाते होंगे कि लोकल मैटर्निटी डैथ रेट क्या है, चिल्ड्रेन की डैथ रेट क्या है और फिर यह आवश्यकता कैसे महसूस की गई कि निम्बाहेड़ा में आप नहीं खोलें और दूसरी जगह ही खोलें? क्या वहां डैथ रेट बच्चों की या मैटर्निटी केसों की कमी है दूसरी जगहों से?

**श्रीमती प्रभा मिश्रा** : इन सब बातों पर विचार करके ही तय किया जाता है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या किसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये खोले जाने का निर्णय लिया गया?

**स्वास्थ्य मन्त्री** (श्री बरकतुल्लाखां) :

# Page No. 9



( श्री बरकतुल्लाखां )

हर मामले में कमेटी की रिपोर्ट लें तो सारा काम खतम हो जावेगा। अगर आप चाहेंगे तो यह भी किया जा सकता है।

**श्री अब्दुलजब्बार** : यह डेथ रेकॉर्ड प्री और पोस्ट मेटरनिटी का और चाइल्ड का मालूम करके निम्बाहेड़ा में आप मेटर्निटी अस्पताल कायम करने की व्यवस्था करें तो अच्छा है।

**श्री बरकतुल्लाखां** : सभी सुझावों पर गौर किया जाता है। आपके इस सुझाव पर भी गौर किया जावेगा।

### गंगानहर में पानी की बन्दी

२११. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) १ अप्रेल, १६६१ से लेकर २१ मार्च, १६६२ तक गंगनहर में कुल कितने दिनों की और कितनी बार बन्दी आई ?

(ख) क्या यह सही है कि पिछले १० वर्षों में इतनी ज्यादा बन्दी कभी नहीं आई ?

(ग) अगर हां, तो सरकार ऐसी बन्दी की रोकथाम के लिये क्या कदम उठा रही है ?

**उप-मन्त्री, सिंचाई** (श्री दौलतराम सारण) : (क) १ अप्रेल १६६१ से ३१ मार्च १६६२ तक की अवधि में गंग नहर कुल १८ दिन बन्द रही है, इसमें १५ दिन तो वार्षिक मरम्मत के लिए और तीन दिन फरवरी, १६६२ के प्रथम सप्ताह में फिरोजपुर से १० मील दूर नहर टूट जाने के कारण पानी नहीं चला।

(ख) यह सही नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

### प्रश्न संख्या २१२

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिशंकर।

( अनुपस्थित )

श्री महेन्द्रसिंह।

### किशनगंज माइनर नहर (तहसील बड़ौद)

२१३. **श्री महेन्द्रसिंह** (दीगोद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील बड़ोद में ग्राम कोटड़ा से खेतों में से किशनगंज माइनर नामक कोई नहर निकाली गई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त नहर जहां से निकाली जानी चाहिये थी वहां से न निकाली जाकर दूसरी जगह से निकाली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

**उप-मन्त्री, सिंचाई** ( श्री दौलतराम सारण) : फाइनल तखमीना लगाते हुए पाया कि इससे नहर की मिट्टी के काम में ज्यादा खर्चा पड़ता था और खेतों में ढलान होने का खतरा भी था। इसलिये अधिशासी अभियन्ता ने मौके पर जाकर देखा और जहां से नहर ले जानी चाहिए थी, वहां से दूसरी जगह पूर्व स्वीकृति से निकाली।

**श्री महेन्द्रसिंह** : फिर वहां पर मुड्ढियां क्यों गाड़ी गई ?

# Page No. 10



**श्री दौलतराम सारण** : मेरे इस उत्तर से स्पष्ट हुआ होगा कि जिस समय पहले सर्वे किया गया था अलाइनमैन्ट का उस समय ये लगाये गये थे, पर दुबारा चैक किया गया और फाइनल एप्रूवल हुआ तो उस समय वह जगह उपयुक्त नहीं समझी गई। मिट्टी ज्यादा लगती थी, खर्च ज्यादा आता था और उसमें से झरन होने का खतरा भी था। इसलिये एलाइनमैन्ट के उपयुक्त उसे बदला गया।

**श्री महेन्द्रसिंह** : मुड्ढियां फाइनल होने के बाद ही गाड़ी जाती हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : मैं उत्तर निवेदन कर चुका।

## चम्बल बैराज से निकाली गई नहरों के कारण होने वाला सीपेज

२१४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि चम्बल बैराज से निकाली गई नहरों व उनकी डिस्ट्रिब्यूटरीज के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सीपेज भयंकर रूप से हो रहा है ?

(२) अगर हां, तो इसके प्रतिरोध के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**उप-मन्त्री, सिंचाई** ( श्री दौलतराम सारण ) : (क) जी नहीं।

(ख) झरन वाली जगह पर नहर के साथ साथ नालियां बनाकर बरसाती नालों में मिलाने का कार्य किया जा रहा है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : एक जगह तो आपने 'जी नहीं' कहा और दूसरी जगह कहा कि नालियां बनाकर पानी बरसाती नालों में डाल रहे हैं। तो आप स्पष्ट बतावें कि सीपेज हो रहा है या नहीं।

**श्री दौलतराम सारण** : उत्तर और प्रश्न दोनों को मिलाकर आप सुनते तो आपको स्पष्ट मालूम हो जाता। प्रश्न आपका यह है कि क्या यह सत्य है कि चम्बल बैराज से निकली हुई नहरों व इनकी डिस्ट्रिब्यूटरीज के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सीपेज भयंकर रूप से हो रहा है ? मैंने निवेदन किया जी नहीं। पर नहरें जहां जहां ज्यादा भराव में निकलती हैं वहां साधारण झरन होती है।

दूसरा है प्रश्न आपका कि इसके प्रतिरोध के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? मैंने इसके लिये निवेदन किया कि झरन वाली नहरों के साथ साथ नालियां बनाकर झरन के पानी को समीप से बरसाती नालों में डालने की योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है।

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** : तो कृपया आप यह बतावेंगे कि जहां यह झरन हुई वह डिस्ट्रिब्यूटरीज के कारण हुई है या कैनाल के कारण ?

**श्री दौलतराम सारण** : मैंने निवेदन किया, कैनाल नहीं है। नई कैनाल जहां ऊंची उठी हुई हैं जमीन से, वहां वह मिट्टी इकट्ठी करके निकाली गई है। नीची जगह अब जहां है वहां कुछ झरन होकर पानी इकट्ठा हुआ है उसको निकालने के लिये नहर के साथ साथ नालियां बनाकर बरसाती नालों से जोड़ा जा रहा है और वह काम काफी तेजी से चल रहा है। यह बड़ी समस्या नहीं है। कुछ जगहों पर है।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : हो सकता है कि आपको इस बारे में अपने नीचे के अधिकारियों से पूरी सूचना नहीं मिली हो, पर इतना जरूर है कि इससे गांवों में कई घर उजड़ गये हैं।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : आप क्या फरमाते हैं यह बड़ी समस्या नहीं है ? इसे आप पानी बहना समझते हैं, सीपेज नहीं है ? यह कब से झरन हो रहा है ?

**श्री दौलतराम सारण** : जब से नहर में पानी आया तब से।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : नहर को निकले कितना अर्सा हो गया ?

**श्री दौलतराम सारण** : इसका इलाज भी चालू है।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : सीपेज किसे कहते हैं, मन्त्री महोदय कृपया बतावेंगे।

**सिंचाई मन्त्री** (श्री भीखाभाई) : यह तो आप डिक्शनेरी में देख लीजिये।

**श्री विजयसिंह झाला** : मैं तो मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सीपेज की उनकी क्या परिभाषा है, जब वह मामूली पानी का बहना है तो फिर सीपेज वे किसे कहते हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : मैंने इससे इन्कार नहीं किया है। मैंने स्पष्ट किया है कि माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो रही है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि वाटर-लॉगिंग की समस्या गम्भीर हो सकती है तो इसके लिये आप क्या सोचते हैं और क्या क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह स्पष्ट करके माननीय सदस्यों की शंका दूर कर दें।

**श्री दौलतराम सारण** : हमारे टैक्नीकल एक्सपर्ट की राय के मुताबिक यह स्पष्ट है कि वहां वाटर लॉगिंग की भयंकर समस्या नहीं आ सकती क्योंकि यह वाटरलॉगिंग की समस्या भयंकर वहां होती है जहां जमीन समतल हो, सपाट हो। चम्बल एरिया में इस तरह की समतल सपाट जमीन नहीं है, बरसाती नाले और खड्डे बहुत हैं। तो इस कारण से एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक वहां वाटरलॉगिंग की भयंकर समस्या नहीं हो सकती। फिर भी जहां कहीं ढलाव है, सीपेज हो रहा है वहां, उसे रोकने के लिये बराबर प्रयत्न कर रहे हैं और वहां नहर के पास में नालियां बनाकर बरसाती नालों से सम्बन्ध जोड़कर उस पानी को दूर निकालने की कोशिश की जा रही है। इस पर काफी काम हुआ है और हो रहा है।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : निवेदन यह है कि हो सकता है एक्सपर्ट कुछ बता रहे हों, पर यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि सीपेज काफी मात्रा में हो रहा है और इससे देहात के लोगों को काफी मात्रा में दिक्कतें हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी कि आप इस पर और ज्यादा गौर करिये।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : इस सीपेज के कारण खेतों में पानी भर गया है और खेतों को और फसल को नुकसान हो गया, फसलें खत्म हो गई और इसके आधार पर लोगों ने सरकार से मुआवजा वसूल करने की दर्ख्वास्तें भी दी हैं और ऐसी दर्ख्वास्तें काफी आई हैं।

# Page No. 12



**श्री दौलतराम सारण** : जो मेरे पास जानकारी थी, वह मैं निवेदन कर चुका हूं और ऐसी कोई भयंकर समस्या नहीं है। मैंने निवेदन किया कि कुछ जगह पानी इकट्ठा हुआ है और उसको निकालने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इसलिये माननीय सदस्यों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री विजयसिंह झाला** : यह भयंकर समस्या आपके हिसाब से कब तक ठीक हो जावेगी, बताने की कृपा करेंगे माननीय मन्त्री महोदय ?

( विराम )

भयंकर समस्या की परिभाषा आप कर दें तो अच्छा हो।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : सीपेज को रोकने के लिये क्या सरकार की कोई कांक्रीट कराने की योजना है ?

**श्री भीखाभाई** : लाइनिंग के लिये अगर महसूस किया गया तो वह भी किया जावेगा। प्रत्येक सम्भव स्टैप लिया जावेगा। अभी हम यह कर रहे हैं कि पैरेलल ड्रेन खोदते जा रहे हैं और उस ड्रेन का पानी बरसाती नालों में डाला जा रहा है। इसके आगे अगर कांक्रीट करना जरुरी महसूस हुआ तो वह भी कराया जा सकता है। राजस्थान में कई जगह सीपेज है। माननीय सदस्य डूंगरपुर से आते हैं वहां लोडीसर में और जयसमन्द में कई भागों में लाइनिंग का भी काम किया है। तो जहां इसमें भी लाइनिंग के काम को महसूस किया गया तो वहां भी करा लिया जावेगा।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि किन किन तहसीलों के किन किन गांवों में सीपेज हुआ है और सरकार ने उनके लिये क्या क्या कदम उठाये हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह अलग सवाल है।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे प्रश्न को उड़ाया जा रहा है। जब मैंने कहा कि भयंकर समस्या पैदा हुई है तो कहा गया कि कहीं-कहीं है और जब मैं पूछता हूं कि किन किन गांवों में है तो मंत्री महोदय कहते हैं कि यह सूचना मेरे पास नहीं है।

**श्री दौलतराम सारण** : आपने जो प्रश्न में सूचना चाही थी वह मैंने निवेदन कर दी और अब आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके लिये मेरे को सूचना एकत्रित करनी होगी इसलिये इस प्रश्न का उत्तर अभी मैं नहीं दे सकता।

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : सीपेज के कारण सड़कें जो गांवों से आती हैं वे अवरुद्ध हो चुकी हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र से जो अपनी फसलें काटकर मंडी में पहुंचाना चाहते हैं वह पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसलिये उनको किसी प्रकार की राहत पहुंचाने के लिये कदम उठाया है ?

**श्री दौलतराम सारण** : सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : (बीकानेर) अध्यक्ष महोदय, यह बार बार प्रश्न पूछा जा

# Page No. 13



( श्री मुरलीधर व्यास )

रहा है। सारा हाउस यह कह रहा है कि नुकसान हुआ है लेकिन सरकार उसको महसूस नहीं करती है। यह भी कहा गया कि एक दो शिकायतें आयी हैं तो उनके नाम पूछे जाते हैं, किन की कितनी है यह नहीं बताया जाता....

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय कहते हैं कि कहीं कहीं सीपेज है। इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं और उसके लिये कदम उठाये गये हैं।

**श्री विजयसिंह झाला** : माननीय मंत्री महोदय यह मानते हैं कि भयंकर स्थिति नहीं है लेकिन सीपेज को तो मानते हैं। उनके खयाल से यह सीपेज नुकसानदायक है या नहीं?

**श्री कृष्णकुमार गोयल** : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको जो जानकारी प्राप्त हुई है वह पूरी जानकारी नहीं है। जहां तक सीपेज का सवाल है, जहां जहां भी नहरें गई हैं वहां भयंकर रूप से सीपेज हो रही है, इससे फसलें भी नष्ट हो रही हैं। फसलें नष्ट होने के अलावा जो काश्तकारों की फसलें खड़ी हैं, रबी की फसल खलिहान में पड़ी है उनको वे ला नहीं पा रहे हैं, वे घर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस समय केवल इतना तो इन्तज़ाम कर दिया जाय जिससे उनकी फसलें घर तक पहुंच सकें। संबन्धित विभाग को यह हिदायत दी जाय कि कैनाल रौड्स जो बनी हुई हैं। वे काश्तकारों को उपयोग के लिये अलाउ कर दे ताकि वे अपने माल को घर तक पहुंचा सकें।

## "मीरा नगरी" की योजना—नाथद्वारा

२१५. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नाथद्वारा नगर में 'मीरा नगरी' बसाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(२) क्या यह सही है कि इसके निर्माण हेतु ६४ बीघा जमीन एक्वायर करने का आदेश भी सरकार द्वारा दे दिया गया है?

(३) यदि हां तो लैंड एक्वीजिशन आफिस द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त जमीन कब तक एक्वायर होजाने की आशा है तथा उसकी क्षति-पूर्ति के लिये सरकार की क्या योजना है?

**उप-मंत्री स्वायत्तशासन** (श्री दौलतराम सारण) ; (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या आपने इसकी जानकारी स्वायत्त शासन विभाग से की है?

**श्री दौलतराम सारण** : जी हां।

**श्री विजयसिंह झाला** : तो आपने यह किस आधार पर कहा कि इस प्रकार के कागज नगरपालिका नाथद्वारा से विभाग में नहीं आये?

# Page No. 14



**श्री दौलतराम सारण** : माननीय सदस्य ने मीरा नगरी के बारे में पूछा था इसके लिये मैंने कहा कि इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है अलबत्ता नाथद्वारा नगर विकास के लिये योजना आयी हुई है।

**श्री विजयसिंह झाला** : विकास जो होगा वह 'मीरा नगरी' के नाम से होगा, क्या यह बात सही है ?

**श्री दौलतराम सारण** : कागजात से यह पता नहीं चलता।

**श्री विजयसिंह झाला** : मैं क्या आपको नम्बर बताऊं मीरा नगरी के नाम से एक स्कीम स्वायत्त शासन विभाग को भेजी है ?

**श्री दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय, 'मीरा नगरी' के नाम से कोई योजना नहीं आयी है नाथद्वारा नगर विकास के लिये योजना आयी है।

**श्री विजयसिंह झाला** : मैं यह निवेदन करूं कि 'मीर नगरी' के नाम से योजना आयी है। क्या मैं पत्र उस को बताऊं जिसके द्वारा 'मीरा नगरी' नाम से योजना भेजी गई। आप जो कहते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग में वह कागज नहीं आया इस प्रकार की सूचना देने वाले के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे ?

**श्री दौलतराम सारण** : मैं यह स्पष्ट कह चुका हूं कि मीरा नगरी के नाम से कोई योजना नहीं आई। आपके सप्लीमेंटरी प्रश्न के जवाब में मैंने बताया था कि नाथद्वारा नगर विकास के नाम से योजना आयी है।

**श्री विजयसिंह झाला** : वह क्या योजना थी और वह कब तक कार्य रूप में परिणित कर देंगे ?

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : 'मीरा नगरी' तो नहीं बनेगी नाथद्वारा की जगह ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह नगर विकास की बात है, मजाक की बात नहीं।

नाथद्वारा नगरपालिका की ओर से २६-५-६० को एक पत्र आया जिसमें चाहा गया कि १ लाख रुपये की विशेष सहायता और ऋण स्वीकृत किया जाय ताकि सम्पूर्ण नाथद्वारा कस्बे का सुचारू रूप से विकास किया जा सके। उसके लिये विवरण और योजना भेजी थी। प्रोपोजल्स के एस्टीमेट आदि के लिये २२-८-६० को लिखा गया लेकिन अभी तक वे प्राप्त नहीं हुए। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट ने और सूचना चाही थी वह अभी तक नहीं आयी। उसके आने पर आगे क्या कार्यवाही की जाय यह देखा जायगा।

**श्री विजयसिंह झाला** : क्या एस्टीमेट आ जाने पर सरकार कार्यवाही करेगी ?

**श्री अध्यक्ष** : यह हाइपोथेटिकल क्वेचश्न है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह जो १ लाख रुपये की विशेष सहायता दी गई वह किस मद से दी गई है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री मुरलीधर व्यास** : हमारे यहां नहीं मिल रही है इसलिये पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

## ड्रेनेज सिस्टम, बीकानेर

२००. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर-सिटी) :क्या स्वायत्तशासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) बीकानेर शहर में ड्रेनेज सिस्टम के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में क्या प्रावधान रखा गया है ?

(२) क्या यह सत्य है कि बीकानेर में उस्तों-की-बारी बाहर जाने वाला गन्दा नाला भीतर से टूट गया है ? यदि हां, तो यह कब से टूटा पड़ा है ?

(३) क्या यह सत्य है कि गंन्दे पानी के खुले बहाव के कारण आसपास के मुहल्ले में बड़ी भारी गन्दगी और दुर्गन्ध रहती है ! यदि हां, तो उसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या सोचा है ?

**उप–मंत्री, स्वायत्त शासन** (श्री-दौलतराम सारण): (१)अभी तक बिकानेर के लिये कोई प्रावधान नहीं तय किया गया है ।

(२) नाला २०–३० वर्ष पहले बना था, धीरे धीरे अन्दर से कई जगह टूट भी गया है और नाले का सीमेन्ट–पाइप पुराना होकर गल गया है ।

(३)अब तक कोई भी शिकायत सरकार के पास नहीं आयी । बिकानेर शहर में ड्रेनेज के लिये सर्वे किया जा रहा है लेकिन यह नाला जो ऊपर से बहता है वहां थोड़ी गन्दगी है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसको दूर करने के लिये क्या प्रबन्ध करना चाहते हैं ?

**श्री दौलतराम सारण**: ड्रेनेज स्कीम की सर्वे कर रहे हैं । नगर परिषद को निवेदन करेंगे कि इस तरफ ध्यान दे ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : नगर परिषद् तो है ही नहीं आपका एडमिनिस्ट्रेटर है । आपकी तरफ से क्या व्यवस्था होगी ?

**श्री दौलतराम सारण** : आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही जो उचित होगा किया जायगा ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** ( कोलायत) : ड्रेनेज की सर्वे कब तक हो जायगी ?

**श्री दौलतराम सारण**: इसमें दो साल लगेंगे ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जहां से नाला टूट गया, ऊपर से पानी जाता है उसको तो कम से कम ठीक कराने के लिये जल्दी से जल्दी प्रबन्ध कर सकते हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : इसके लिये मैं निवेदन कर चुका ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंह-नगर ): क्या सरकार गन्दगी को दूर करना आवश्यक नहीं समझती ?

**श्री दौलतराम सारण** : आवश्यक है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जो नाला टूट गया, पाइप नहीं है उसको ठीक करने के लिये क्या कदम उठा रहे हैं ।

**श्री दौलतराम सारण** : यह डेढ़ मील के करीब नाला है । उस पर चालीस हजार का

( श्री दौलतराम सारण )

खर्चा है अगर उसको दुबारा बनाया जाय तो। ये सारी बातें है। इसके अलावा जहां से पानी ऊपर से निकलता था उसके लिये नगरपालिका ने नालियां बना दी हैं। एक जगह म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के पास बनाने की चेष्टा की उस समय करने नहीं दिया गया। फिर भी जो कुछ छोटी मोटी मरम्मत का काम है वह करवाया जायगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह नाला आधे मील का एरिया कवर करता है, जिसके दोनों तरफ मकानात हैं और उसमें गन्दगी है उस पर चल नहीं सकते। सारा मोहल्ला परेशान है, कम से कम आधा मील तक है। दूसरा आप नाला चाहे न बनायें लेकिन जो उधर का हिस्सा है वह तो ठीक हो, इस प्रकार का आश्वासन तो मिलना चाहिये।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : जो ड्रेनेज की सर्वे हो रही है वह किस विभाग द्वारा हो रही है?

**श्री दौलतराम सारण** : जो विभाग ड्रेनेज का सर्वे करता है, टाउन प्लानिंग।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : उसमें कितने इन्जीनियर इसका सर्वे कर रहे हैं और कितना स्टाफ इस सर्वे कार्य के लिए लगाया है।

**श्री दौलतराम सारण** : यह अलग से सवाल है।

**प्रश्न संख्या २०१**

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

( अनुपस्थित )

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

**अवाप्त भूमि का मुआवजा**

२०३. **श्री भैरवलाल कालाबादल** [(अकलेरा-सु०)–श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

चम्बल नहर योजना के अन्तर्गत आई हुई किसानों की जमीनों का मुआवजा किस आधार पर दिया गया है?

**उप-मंत्री, सिंचाई** (श्री दौलतराम सारण): चम्बल नहर के अन्तर्गत आई हुई जमीनों का मुआवजा राजस्थान लैण्ड एक्वीज़ीशन एक्ट व नियमों के अनुसार दिया जाता है।

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : इसका पता तो चलना चाहिए।

**श्री दौलतराम सारण** : छपा हुआ है, पढ़ लें।

**श्रीमति नगेन्द्रबाला** : जब जमीन का मुआवजा दिया जाता है तो किसानों को बहुत कम पैसा मिलता है और किसान जब जमीन खरीदते हैं तो उनसे पैसा बहुत लिया जाता है, तो इतना अन्तर क्यों है?

**श्री दौलतराम सारण** : इस समय यह तो मुझे मालूम नहीं है कि सरकार ने जो जमीन दी है और ली है उसमें कितना अन्तर है। लेकिन पब्लिक परपजेज़ के लिए जो जमीन ली जाती है उसका मुआवजा एक्ट और नियमों के अन्तर्गत ही दिया जाता है। यह मैंने निवेदन किया।

# Page No. 17



**श्री श्योपतसिंह** ( हनुमानगढ ) : क्या है यह तय नहीं हुआ ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, मुआवजे के सम्बन्ध में जो भी कानून बने हुए हैं। राजस्थान में लैण्ड एक्वीज़ीशन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। मुख्यत: जो विचार में लिया जाता है वह यह है :

"Market value of the land, damage to the standing trees and crop; damage, if any, by reversing or severing his land from other part of his land; damage to other property; damage due to change of place of business and damage due to diminution of value in his property.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : यह जो आधार बताया है कि इस आधार पर एक ही एरिया में उतनी ही जमीन को एक्वायर करने की एक्वीज़ीशन प्राइस आपने क्या दी और जो जमीन बेची है वह क्या वसूल की है ?

**श्री भीखाभाई** : उसका अन्तर माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे पास नहीं है लेकिन जो कानून लैण्ड एक्वीज़ीशन का बना हुआ है उसके अन्तर्गत ही कायम करनी पड़ेगी। सरकार की या व्यक्ति की जरूरत को देखते हुए जमीन की कीमत ज्यादा हो सकती है। तो मार्केट वैल्यू या दूसरे कारण हो सकते हैं, एमर्जेन्सी कारण हो सकते हैं जिससे उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। लेकिन जो कानून बना हुआ है वह सब जगह पर एक ही तरीके से लागू किया जा सकता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही नहीं है कि जो जमीन आप एक्वायर करते हैं उसमें कानून में मार्केट वैल्यू की बात होते हुए भी जो एक्वीज़ीशन प्राइस देते हैं वह उस प्राइस से बहुत कम है, जो आप लैण्ड बेचते हैं उससे ?

**श्री भीखाभाई** : यह तो अलग प्रश्न है। मैंने कहा कि जो आधार हैं वह मैंने निवेदन कर दिये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या कभी सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि जिस कीमत पर जमीन लेते हैं उससे जिस कीमत पर देते हैं वह बहुत ज्यादा वसूल करते हैं ?

**श्रीमती नगेन्द्रबाला** : प्रश्न तो यह है कि कानून में इतना भेद क्यों है ? इससे किसान को बहुत तकलीफ होती है।

**स्वास्थ्य मंत्री** (श्री बरकतुल्लाखां): कानून बनाने वाली तो असेम्बली है। जब चाहे बदल सकती है।

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : असेम्बली में बहुमत आपका है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : आखिर इतना फर्क क्यों है ?

**श्री भीखाभाई** : मैं यह निवेदन कर दूं कि जो जमीन लेते हैं वह अनइर्रिगेटेड लैण्ड होती है और जब जमीन देते हैं तो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके देते हैं और इस वजह से ज्यादा कीमत होती है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : Other con-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ditions being equal, the land being of the same quality in the same situation, your prices for acquiring it are much lower than your prices for selling it.

**श्री भीखाभाई** : It is not correct, Sir.

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : जो जमीन आप लेते हैं उसकी मार्केट वैल्यू असेस करके मार्केट वैल्यू के मुताबिक आप उसका कम्पेन्सेशन देते हैं या नहीं ?

**श्री भीखाभाई** : जी हां, मैंने कहा कि मार्केट वैल्यू के अतिरिक्त जो ५–६ फैक्टर्स हैं उनको देखकर करते हैं। जो फैक्टर्स हैं उनमें डिटेल में लिखा है और उसमें सब बातें आ जाती हैं। मार्केट वैल्यू तो एक फैक्टर है इसके अलावा ५–६ फैक्टर्स और हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : मार्केट वैल्यू कैसे असेस करते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : वह तो लेण्ड एक्वीज़ीशन कोड होता है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : लेने और देने में यह डिस्क्रिपेन्सीज़ हैं इसको दूर करने का आपका विचार है क्या ?

**श्री भीखाभाई** : मैंने कहा कि कोई डिस्क्रिपेन्सीज़ नहीं हैं और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मार्केट वैल्यू, क्योंकि यह हिसाब किताब की बात है और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हमेशा हिसाब का केलकुलेशन करते हैं इसलिए मैं मेथेमेटिक्स उनके ऊपर छोड़ देता हूँ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अगर यह मैथेमेटिक्स सही है तो आप इस डिस्क्रिपेन्सी को दूर करने का वायदा करें।

**श्री अध्यक्ष** : 'अगर' का कोई जवाब नहीं है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह तो 'मगर' के साथ 'अगर' आता ही है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री श्योपतसिंह ।

### भाखरा क्षेत्र की नहरों में पानी का न पहुँचना

२०६. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भाखरा क्षेत्र की कितनी नहरों की टेलों पर पानी नहीं पहुंचा और क्यों तथा अब कब तक पहुँच जावेगा ?

**उप मन्त्री, सिंचाई** ( श्री दौलतराम सारण ) : भाखरा क्षेत्र की कुल ८३ नहरों और उप-नहरों में से ७ उप-नहरों की टेल पर पानी नहीं पहुंचा है, वह हैं सरदारपुरा माइनर, उनेवाला माइनर, मोलेवाला माइनर, सादरशहर माइनर, लालपुरा सब-माइनर, ढाबो माइनर, लसासर माइनर।

पानी की कमी, रेतीला प्रदेश, पानी की अनियमित प्राप्ति आदि कारणों से इन दूरवर्ती छोटी माइनरों की टेल पर पानी नहीं पहुँच पाया है।

(श्री दौलतराम सारण)

टेलों पर शीघ्र पानी ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है और आशा है इसमें अधिक समय नहीं लगेगा ।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इन नहरों में पानी कम आता है ?

**श्री दौलतराम सारण** : मैंने निवेदन किया है कि पानी की कमी, रेतीला प्रदेश, पानी की अनियमित प्राप्ति आदि कारण हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : यह पानी की कमी कब से है ?

**श्री दौलतराम सारण** : नहर पेरेनियल नहीं है और केवल नदी के बहाव से पानी लिया जाता है। इसलिए जितना नदी में समय-समय पर पानी घटता है और बढ़ता रहता है उसी अनुपात से पानी मिलता है और कमीबेशी होती रहती है ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह पानी की कमी पिछले ३ वर्षों से हुई है ?

**श्री दौलतराम सारण** : जी नहीं। ऐसा जानकारी में नहीं है, लेकिन बात यह है कि नदी में ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा मिलता है और कम आता है तो कम मिलता है ।

**स्वामी श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) : रेग्युलरली पानी कब मिलने लगेगा, कह सकते हैं आप ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह पेरेनियल हो जायेगी तब यह समस्या अगले साल से हल हो जायेगी ।

**श्री श्योपतसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ७ माइनर्स बताये हैं जिनकी टेल पर पानी नहीं पहुंचता इसके सिवाय और भी बहुत से माइनर्स हैं जिनकी टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। नगराना और मानकसर माइनर हैं जहां पानी नहीं पहुंच रहा है ।

**श्री दौलतराम सारण** : इनकी टेल तक पहुंचने की शिकायत है, वह मेरी जानकारी में नहीं ।

**श्री श्योपतसिंह** : आपकी जानकारी के लिए ही मैं बता रहा हूं ।

**श्री दौलतराम सारण** : फिर इसकी जानकारी कर लूंगा ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : इन टेलों तक पानी पहुंचाने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

**श्री दौलतराम सारण** : आगामी वर्ष से यह नहर पेरेनियल हो रही है और उससे समस्या हल हो जायेगी ।

**श्री भैरोंसिंह** : विभाग की ओर से ऐसा कोई आदेश किया गया कि नहर की टेलों पर पानी कम पहुंचाया जाये या रुटीन कोर्स में ही पानी कम पहुँच रहा है ।

**श्री दौलतराम सारण** : इसकी व्यवस्था नहर विभाग करता है और वह बराबर देखता है; नहर की सफाई और मेन्टी-

# Page No. 20



( श्री दौलतराम सारण )

नेन्स कराता रहता है। इसलिए नये आदेश देने की जरूरत नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : पानी नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में किस किस टेल तक पानी नहीं पहुंचे इस सम्बन्ध में इर्रिगेशन विभाग ने कुछ निर्णय किया होगा, इसलिए ही पानी नहीं पहुंच रहा है। बाकी सरकार ने किस आधार पर निर्णय लिया कि अमुक नहर की टेल तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए ?

**श्री दौलतराम सारण** : उत्तर निवेदन कर दिया।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जब पानी नहीं पहुंचता तो आबयाना के वसूल करने का सवाल क्यों उठता है ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जब सरकार पानी ही नहीं दे रही है तो आबयाना कैसे वसूल कर रही है ?

**श्री दौलतराम सारण** : सरकार आबयाना वहीं लगाती है जहां पानी दिया जाता है। जहां पानी नहीं दिया जाता वहां आबयाना वसूल नहीं करते।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : उसमें ऐसी स्थिति है कि पानी पहले तो लगाया गया और उसके बाद में पानी वन्द हो गया, इस लिए आपको आबयाना फिर नहीं कट करना चाहिए।

**श्री दौलतराम सारण** ; यह अलग से प्रश्न है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्या आबयाना नियमों के अनुसार कट किया जाता है ? पानी की कमी के समय भी आप आबयाना वसूल करते हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : अलग सवाल है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : तीन बार पानी देते हैं, अगर एक बार दिया है तो आप आबयाना काटेंगे या नहीं ?

अलग सवाल नहीं परन्तु सवाल इससे सम्बन्धित प्रिन्सिपल का सवाल है। पूरा पानी नहीं देते हैं, तीन बार पानी देना है लेकिन सिर्फ एक बार पानी दिया है तो कैसे आबियाना वसूल करते हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : प्रिन्सिपल का सवाल हो सकता है, लेकिन प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में सूचना के अभाव में उत्तर देने में असमर्थ हूँ। प्रश्न में स्पष्ट है, 'भाखरा क्षेत्र की कितनी नहरों की टेलों पर पानी नहीं पहुँचा' तो उसका उत्तर में निवेदन कर चुका हूँ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : बिल्कुल सम्बन्धित प्रश्न है। पानी पूरा नहीं पहुँचने के कारण से फसलों में बहुत सारा खराबा हुआ है। इस सूरत में पूरा आबयाना लेना कहां तक संगत है ?

**श्री दौलतराम सारण** : खराबा यदि कहीं हुआ है और नियम के अन्तर्गत आता है तो उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जहां एक बार भी पानी लग जाता है तो खराबा नियमों के तहत माफी नहीं दी जाती है इसलिए वहां नियम के अन्तर्गत कट देनी चाहिए।

**प्रश्न संख्या २१२**

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिशंकर।

(अनुपस्थित)

अल्पकाल सूचना प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार व

श्री रामानन्द अग्रवाल !

(१२.०० मध्याह्न)

### अल्प काल सूचना प्रश्नोत्तर

### जयपुर शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या यह सही है कि....

**श्री अध्यक्ष** : आप पढ़े नहीं सक्यूलेट कर दिया गया है। Do you want the Question to be read ?

**श्री बरकतुल्ला खां** (स्वायत्त शासन मंत्री) : If you so desire...

**श्री अध्यक्ष** : As it has been circulated, we can dispense with that.

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल गत १५ दिनों से चल रही है ?

(२) क्या यह सही है कि शहर में कूड़ों के ढेर लग गए हैं तथा गन्दगी इस हद तक बढ़ गई है कि शहर में महामारी फैलने का खतरा है ?

(३) मेहतर कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और नगर परिषद् उन्हें कहां तक मानने को तैयार है ?

(४) सरकार मेहतर कर्मचारियों की मांगों को कहां तक उचित समझती है और उन्हें पूरा कराने के लिए सरकार ने कहां तक प्रयत्न किया है ?

(५) सरकार इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या करने का विचार रखती है ?

**उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन** (श्री दौलत राम सारण) : (१) जयपुर शहर में सफाई कर्मचारियों की आंशिक हड़ताल तारीख २६ मार्च, १९६२ को आरम्भ हुई। यह दिन प्रति दिन बढ़ती गई और तारीख ७ अप्रैल, १९६२ को प्रायः सम्पूर्ण हड़ताल हो गई।

(२) शहर में सब जगह कूड़े के ढेर नहीं लगे हैं। कहीं कहीं पुराने शहर के अन्दरूनी रास्तों में जरूर कूड़े के छोटे-छोटे ढेर लग गये हैं जिनको हटाने का अथवा जलाने का कार्य हो रहा है।

इस समय तक गंदगी से माहमारी फैलने की आशंका नहीं है, लेकिन ज्यादा समय तक यह स्थिति रही तो हो सकती है।

(३) मेहतर कर्मचारियों तथा उनके संघ की ओर से नगर परिषद् को कोई मांगें नहीं दी गईं, किन्तु नगरपालिका कर्मचारी संघ,

( श्री दौलतराम सारण )

जयपुर की विज्ञप्ति नं० १ जो हड़ताल आरम्भ होने के ६ दिन बाद शहर में वितरित की गई उसमें १६ मांगें हैं जिनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

मांगों पर विचार करने तथा नगरपालिका कर्मचारी संघ से बातचीत करने के लिए परिषद ने एक सब--कमेटी का निर्माण किया है और यह प्रश्न उस सब-कमेटी के विचाराधीन है।

(४) प्रश्न नहीं उठता। उक्त सब-कमेटी की रिपोर्ट परिषद् में विचार हो चुकने पर जब सरकार को प्राप्त होगी, तब उस पर विचार किया जावेगा।

(५) (क) सरकार इस हड़ताल को तुरन्त समाप्त किये जाने की दिशा में प्रत्येक कदम उठाने को जागरूक है।

(ख) मांगों का प्रश्न, जैसा कि प्रश्न संख्या ३ तथा ४ में कहा गया है, सब-कमेटी के विचाराधीन है। यथासमय परिषद् से इस सम्बन्ध में सिफारिश प्राप्त होने पर यथोचित विचार किया जावेगा।

(ग) गंदगी न बढ़े इसके लिए उपलब्ध २२५ व्यक्तियों द्वारा सफाई का प्रबन्ध हो रहा है। तथा नये कर्मचारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं। जनता के श्रमदान द्वारा भी सफाई हो रही है तथा परिषद् के कर्मचारी भी इस ओर प्रयत्नशील हैं। कूड़ा-करकट के ढेरों पर डी० डी० टी० तथा गेमिक्सन छिड़की जा रही है।

नगर परिषद् के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य वाहनों द्वारा कूड़ा हटाने में लगे हुए हैं।

( कृपया परिशिष्ट-१-देखिये )

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने दो कन्ट्राडिक्टरी जवाब दिये हैं। एक तो कहते हैं इस सवाल के जवाब में कि कर्मचारियों की मांगें कहां तक वाजिब हैं और उनको पूरा करने की ओर क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं, उसका उत्तर दिया है कि प्रश्न नहीं उठता, एक सब-कमेटी बनी हुई है और दूसरी तरफ जब यह ध्यान खींचा गया है कि सरकार इस ओर क्या कार्यवाही कर रही है तो उसका जवाब दिया गया कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है। माननीय अध्यक्ष, इसलिए और भी गम्भीर स्थिति है जब कि शहर में हड़ताल १६-१७ दिन से जारी है और गन्दगी इतनी बढ़ गई है कि केवल सरकार एक सब-कमेटी की मीटिंग जो होगी या नहीं होगी, म्युनिसिपेलिटी अपनी जिम्मेवारी महसूस करे या नहीं करे, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा इस बात की जानकारी करने की कोशिश नहीं की गई कि गति-अवरोध किस प्रश्न पर है? किस बात पर मामला तय नहीं होता है, यह सरकार को जानकारी सदन को देनी चाहिए। यह गति-अवरोध म्युनिसिपल कर्मचारियों और म्युनिसिपल बोर्ड के बीच किस सवाल पर है और वह मामला तय क्यों नहीं होता है?

**श्री बरकतुल्ला खां** ( स्वास्थ्य मंत्री ) : माननीय अध्यक्ष, सवाल इतना सा था कि जो कर्मचारियों ने मांगें रखी हैं वे लीगल मांग की श्रेणी में आती है या नहीं आती है? यह

( श्री बरकतुल्ला खां )

चीज अपनी जगह है । यह डिमान्ड्स जो रखी हैं, मेरे दोस्त जो हमेशा हड़ताल के अन्दर हिस्सा लेते रहते हैं उनको मालूम होगा कि स्ट्राइक के लिए लीगल नोटिस दिया जाता है । लीगल नोटिस नहीं दिया जाता है, एक इश्तिहार निकाला जाता है । वह सदन की मेज पर रख दिया गया है । इसलिए ६ दिन बाद जो इश्तिहार निकालते हैं उसको स्ट्राइक का नोटिस मान लिया जाय तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या होगा ? इसलिए यह कोशिश हो रही है कि म्युनिसिपल बोर्ड और हरिजन कर्मचारियों के बीच में बैठ कर कोई समझौता हो जाय और लीगल बातों के अन्दर नहीं पड़ें । इसलिए म्युनिसिपल बोर्ड ने अपनी तरफ से एक कमेटी मुकर्रर की है और वे बैठ कर बातचीत कर रहे हैं कि जो डिमान्ड्स हैं जायज या नाजायज, उसके ऊपर में अभी नहीं जाता, उन सबों पर बैठ कर आपस में फैसला करें । जहां तक गवर्नमेंट आफ राजस्थान की गुड ऑफिसेज़ का ताल्लुक है, दोनों पार्टियां उसको इस्तेमाल कर सकती हैं और कोई फायदा हो सकता है ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : क्या मंत्री महोदय ने स्वयं शहर की बस्तियों का दौरा किया है और यदि किया है तो कौन कौन सी बस्तियों में जाकर देखा है और देखने के बाद यह नतीजा लिया कि कूड़ा-करकट इक्ट्ठा नहीं हो रहा है ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : मैं तो एक लेमैन हूँ । मेरे देखने से नतीजा नहीं निकलता है, लेकिन डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल और पब्लिक हैल्थ ऑफीसर जो म्युनिसिपैलटी के हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इनका दौरा किया है ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : तो डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ या अन्य कर्मचारी शहर के बहुत बड़े भाग में बीमारी हो जाय यदि आपको यह रिपोर्ट कर दें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो इत्मिनान कर लेंगे ? यदि मंत्री महोदय मेरे साथ चलें तो अभी मैं बताने को तैयार हूँ कि किस प्रकार से गलियां सड़ रही हैं और रास्ते सड़ रहे हैं और जवाब में कह रहे हैं कि कई हिस्से साफ हैं ।

**श्री बरकतुल्ला खां** : अध्यक्ष महोदय, शहर के अन्दर सफाई का इन्तजाम किया जा रहा है । १२ तारीख को ३८ ट्रक गंदगी के हटाये गये और १३ तारीख को ३१ से ज्यादा ट्रकों ने ट्रिप की थी । शहर के लोगों ने मिल कर हिस्सा लिया है । मैंने नहीं कहा कि शहर साफ है । मैंने कहा कि कहीं कहीं गंदगी मौजूद है ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि कौन कौन सी बस्तियों में गन्दगी है । उनके ध्यान में यह बात है कि नहीं ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : ध्यान में तो है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कौन सी बस्तियां साफ हैं ?

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि कहां कहां सफाई है और कहां कहां गन्दगी है ।

**श्री बरकतुल्ला खां** : जो आम सड़के हैं वे करीब करीब साफ हैं और जहां कच्ची बस्तियों की तरफ जाते हैं तो गन्दगी बढ़ जाती है। जहां सीवेज का ताल्लुक है वहां कहीं कहीं सीवेज के अन्दर से पानी ऊपर निकल रहा है।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : 'आम' में तो नहीं है और खास में है तो 'आम' की परीभाषा क्या है और 'खास' की परिभाषा क्या है? 'आम' किसे मानते हैं और 'खास' किसे मानते हैं?

**श्री बरकतुल्ला खां** : एक तो यह होता है कि जनरली क्लीन हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एब्सोल्यूटली क्लीन हो, और यह हो कि बिल्कुल क्लीन हो। जो मैं कह रहा था कि शहर की 'आम सड़कों का' तो मेरा मतलब था थोरो फेयर से, नेशनल हाई वे, चौडा रास्ता, यह जो आम सड़कें हैं इनके ऊपर सफाई मौजूद है, लेकिन इनको छोड़ कर जब हम मोहल्लों में जाते हैं तो वहां गन्दगी है, कच्ची बस्तियों में गन्दगी है। सीवेज के अन्दर जो पानी बहता है वह पानी निकल कर बाहर जा रहा है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : सिविल लाइन्स में इतना ढेर पड़ा हुआ है।

**श्री बरकतुल्ला खां** : जनता श्रमदान करने की कोशिश कर रही है। कल भी लोगों ने काफी कोशिश करके सफाई की है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : सिविल लाइन्स में कौन सी जनता उसको उठा रही है?

**श्री बरकतुल्ला खां** : पूरे शहर की बात कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सुराणा।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : मंत्री महोदय से जानकारी चाहूँगा कि क्या उन्होंने हरिजन प्रतिनिधियों को भी इस हड़ताल के दौरान में बुलाकर उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि उनकी मांगे क्या हैं और जिनको मंजूर करने पर हड़ताल कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनको मालूम है कि जो सब-कमेटी म्युनिसिपेलिटी ने बनाई है उसके और हरिजनों के बीच समझौता हो गया था और बात यहां पर अटकी थी कि हरिजन स्ट्राइक की तनख्वाह चाहते थे, स्ट्राइक के दिनों की तनख्वा देने को तैयार हैं या नहीं, क्या इन दोनों मुद्दों पर मंत्रीजी ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की है? यदि हां तो उसका क्या नतीजा हुआ?

**श्री बरकतुल्लाखां** (स्वास्थ्य मंत्री) : जहां तक हरिजनों को बुलाने का ताल्लुक है, मैं यह समझता हूं कि जब तक म्युनिसिपेलिटी डील विद कर रही है, मैं उसमें इन्टरफियर नहीं करूंगा। जहां तक मेरे गुड ऑफिसेज का ताल्लुक है, हमेशा उनके डिसपोज़ल पर है, चाहे जब मुझ से मिल सकते हैं। उनके किसी प्रतिनिधि ने मुझ से टाइम नहीं मांगा। और न उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश की। जब एट दि स्टेज ऑफ नेगोसियेशन म्युनिसिपेलिटी और उसके एम्पलोईज़ के बीच पहुंच जाय तो मैं उसका अपना तीसरा व्यू रखूं तो उसका मतलब यह होगा कि ऊपर से इम्पोज करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार**: क्या यह समझा जाय कि जिस दिन शहर में हड़ताल शुरू हो रही थी राज्य सरकार अपना कर्त्तव्य नहीं समझती थी कि हड़तालियों को बुलावे ? क्योंकि यहां एक नगरपालिका कार्य कर रही है, मंत्री महोदय जानते थे कि हड़ताल हो गई है, वे खामोश इसलिये थे क्योंकि नगरपालिका कार्य कर रही है इसलिये वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते ? क्या राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं था कि वे जागरूक रहते ?

**श्री बरकतुल्लाखां** : सरकार जागरूक है। मिनिस्टर सोते नहीं रहते है, मिनिस्टरी जागरूक है।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : सरकार को मालूम होते हुए भी कि ७ दिन तक आंशिक हड़ताल हुई और १५ दिन तक चलती रही और राज्य सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया फिर भी आप कहते हैं कि सरकार जागरूक है तो क्या जागरूकता की यही परिभाषा है ?

**श्री बरकतुल्लाखां** : यदि आप समझते हैं कि सरकार म्युनिसिपैलिटी के मामले में दखल दे तो गलत है। सरकार जागरूक इस तरह है कि जहां पर कूड़े के ढेर हैं वहां डी. डी. टी छिड़काई गई है, लोगों से जांच की है, रिपोर्ट मंगाई है, डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ को भेजा है । यदि आपका मतलब यह है कि म्युनिसिपैलिटी को सरपास कर दिया जाय तो साफ लफ्जों में कहें।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे शहर के बहुत से लोगों ने अपने अपने मोहल्ले में श्रमदान करके कूड़ा-करकट एक स्थान पर इकट्ठा किया और नगरपालिका से मांग की कि वाहन भेजो, लेकिन नगरपालिका के पास इतने वाहन नहीं हैं। क्या राज्य सरकार बता सकती है कि किस किस विभाग से कितने कितने वाहन पब्लिक को सहायता रूप में देने की चेष्टा की है ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : कुछ जानकारी और चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप तो बहस करने लग गये । जानकारी चाहने के लिये पूछ सकते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह सही है कि कर्मचारियों और म्युनिसिपल बोर्ड के बीच इस बात का झगड़ा था कि म्युनिसिपल कर्मचारी चाहते थे कि ५) रु० की एडहॉक वेतन में वृद्धि की जावे और सरकार से स्वीकृति होकर फौरन बढ़ जाय ? क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि इस प्रकार का म्युनिसिपल बोर्ड से प्रपोजल आयेगा तो स्वीकृति दी जायगी ?

**श्री बरकतुल्लाखां** : जहां तक सरकार का ताल्लुक है, मैं यकीन दिलाता हूं कि जब सवाल आयेगा तो उसके मेरिट पर कुछ किया जायगा। मैं और कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : सरकार की ओर से इस हड़ताल को इल्लीगल करार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री बरकतुल्लाखां** : म्युनिसिपैलिटी ने

( श्री बरकतुल्लाखां )

डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज को लिखा, डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज ने लेबर कमिश्नर को लिखा। इसके लिये कुछ नियम हैं। म्युनिसिपल कमेटी खुद लेबर कमिश्नर के पास पहुंची है।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** : जब आप स्वयं कहते हैं कि यह इल्लीगल है तो फिर जाब्ते की कार्यवाही क्यों नहीं भुगताई जा रही है ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

(१२.१८ म.प.)

**मांग संख्या १--भू-राजस्व**

(पूर्व क्रम से)

**श्री अध्यक्ष** : मांग संख्या १ पर बहस हो रही थी। आज भी दिन भर इस मांग पर बहस होगी और सरकारी पक्ष की ओर से उसका उत्तर भी प्रारम्भ होगा और यदि आवश्यकता हुई तो आधा घंटा समय और उत्तर के लिये आगे बढ़ा दिया जायगा।

श्री उमरावसिंह।

**श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया** (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १, जिसका ताल्लुक भू--राजस्व से है उसके लिये मैंने अपनी तरफ से ७ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। मैं उन सातों से एक एक के ऊपर प्रकाश डालूंगा, इस आशा से कि जो कुछ भी मैं अर्ज करूं सरकार उस पर पूरा ध्यान देगी।

पहला मेरा कटौती प्रस्ताव है उसमें मैंने जो भी सरकार की तरफ से भूमि सुधार की बातें की जा रही हैं उस पर बहस करने को रखा है। हाउस में बातें बहुत हो रही हैं, अध्यक्ष महोदय, थोड़े धीरे बोलें तो अच्छा है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर सूची संख्या ५ देने से पहले सूची संख्या ४ नहीं दी है। नहीं देने से........

**श्री अध्यक्ष** : जिनको बोलने का मौका मिल गया है उनको दुबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जो सूची में आ गये हैं उसी के अनुसार बोल सकते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सूची संख्या ४ का सक्युलेशन कल ही हुआ है, कई नहीं बोले हैं।

**श्री अध्यक्ष** : जिनका नाम बाकी है, उनका नाम सूची नं० ४ में है तो बोल सकते हैं।

**श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं पहला कटौती प्रस्ताव पेश कर रहा था उसमें यह है कि राज्य सरकार ने जिस तरह से भूमि सुधार के बारे में कहा है या हुए हैं, जो नीति भूमिसुधार के पक्ष के लिये है मैं उस बारे में इतना अर्ज करना चाहता हूं कि यदि सही माने में भूमि सुधार के ही ये कानून और नियम बनाये जाते तो उन कानूनों और नियमों से किसानों की तकलीफ दूर होनी चाहिये थी और किसानों को सहूलियतें दी जानी चाहिये थी। लेकिन यदि हम लोग इसकी तरफ ध्यान दें तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किसानों की दिक्कतें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और उस-

( श्री उमरावसिंह ढाबरिया )

में किसी भी तरह की कमी नहीं हुई है। जहां तक किसानों को बेदखल करने का सवाल है, राजस्थान के अंदर हजारों किसान बेदखल किये गये हैं । जागीरदारों द्वारा किये गये, सरकार द्वारा किये गये और जमींदारों द्वारा किये गये और खास तौर से जिन लोगों ने पड़त जमीन में तहसीलदार से इजाजत लेकर एक साल, दो साल या तीन साल तक लगातार खेती करली उसके बावजूद भी उन लोगों को खातेदारी अधिकार तहसील द्वारा नहीं दिये गये और तहसील से बराबर उनको इस बात का नोटिस दिया गया कि तुम लोग यहां पर अब खेती नहीं कर सकते । जिन किसानों ने बराबर इस जमीन पर तीन साल तक मेहनत करके, जिस जमीन को काबिल काश्त कियां उनको बेदखल कर दिया गया और उन्होंने जो दरख्वास्तें दीं उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और तीन साल काम करने के बाद जब नया एलॉटमेंट हुआ तो उनके द्वारा सुधारी गई भूमि को दूसरे लोगों के नाम पर एलॉट कर दिया गया। इस तरह के एक नहीं, कितने ही किसान हैं जिनको इससे तकलीफ हुई है और खास तौर से उस जगह पर जहां कि अभी नई नहरें बनी हैं और उन नहरों का पानी उस जमीन के अन्दर गया है । इसके साथ ही साथ जिन....

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा** ( उप-मन्त्री, राजस्व) : यह कमाण्ड एरिया की बात कर रहे हैं ?

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : नहीं । कमाण्ड एरिया और दूसरी जगह, दोनों जगह पर इस तरह की बातें हुई । बनेड़ा तहसील के अन्दर कुछ गांव हैं जो कमाण्ड एरिया में हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहां तालाब और दूसरी तरह के सिंचाई के साधन हैं। इन दोनों जगहों पर इस तरह से किसानों को जमीन से बेदखल किया गया है। भूमि सुधार के नाम से जो चर्चा चल रही है उस बात को निगाह में रखते हुए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि किसानों के ऊपर इन सालों में कितने ही नये तरीके के टैक्स लगे हैं । उनको जमीन नहीं मिलती है। वे जब खाते को रद्दोबदल कराने के लिये जाते हैं तो खाते भी रद्दोबदल नहीं किये जाते। किसान लोगों को एक नहीं, बल्कि दस-दस तरह के ऐसे टैक्स इन दस सालों में नये देने पड़ रहे हैं, जो आज की सरकार के आने के बाद उनके ऊपर बढ़ाये गये हैं। जहां पहले एक तालाब से एक बीघा पिलाई करने पर एक रुपया लिया जाता था वहां अब ३ रुपये २० नये पैसे लिये जाते हैं....

**श्री रामप्रसाद लढ्ढा** : This has nothing to do with it.

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : मेरे आगे के प्रश्न हैं उनसे इसका ताल्लुक है और इसलिए मैं आप से अर्ज करना चाहता हूँ कि पिलाई की रेट उन तालाबों की पिलाई पर भी बढ़ा दी गई है जो तालाब पहले जागीरदारों के कब्जे में थे और उन्हें अब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, पर उनकी मरम्मत व दुरूस्ती पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया है और आज भी उन तालाबों से उतनी जमीन पिलाई होती है जितनी जब कि एक रुपया पिलाई ली जाती थी तब होती थी। इस हालत में पिलाई की रेट को एक रुपये से बढ़ा कर तीन रुपये बीस नये पैसे कर देना भूमि सुधार के

( श्री उमरावसिंह ढाबरिया )

कानून में या और किसी तरीके में नहीं आता, न किसानों की बढ़ोत्तरी ही होती है ।

कोटड़ी की तहसील के अन्दर नया सेटलमेंट हो रहा है और उस सेटलमेंट के लिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर भूमि-सुधार की बात होती तो जो सेटलमेंट वहां पर आज से बीस साल पहले हुआ था, उस सेटलमेंट की जो जरीब थी, जिस नाप से सेटलमेंट किया गया था, आज वहां जो सेटलमेंट हो रहा है, उसमें जो फर्क है, वह मैं आपके सामने, अध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं, इस आशा से कि मन्त्री महोदय इस नाप के बारे में भी उत्तर देंगे । आज से बीस साल पहले वहां सेटलमेंट हुआ । वह ८४ गट्टे की जरीब से हुआ था और आज जो हो रहा है वह ६० गट्टे की जरीब से हो रहा है । इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस किसान के पास इस वक्त चार बीघा जमीन है, वह नये सेटलमेंट के नाप से सवा पांच बीघा हो जायगी और जिस किसान से इस वक्त चार बीघा जमीन का लगान लिया जा रहा है, उसको उसी जमीन के लिए नये सेटलमेंट के बाद सवा पांच बीघा जमीन का लगान देना पड़ेगा । इसका अर्थ यह होगा कि इस भूमि-सुधार के नाम से जिस किसान के पास से जहां चालीस रुपया वसूल किया जाता था चार बीघा जमीन का, अब साढ़े बानवे रुपये सवा पांच बीघा जमीन के वसूल किये जायेंगे । तो यह जो नाप में कम किया गया है, इसका क्या कारण है ? क्या इस तरीके से राजस्थान सरकार सारे राजस्थान में नये सेटलमेंट करके अपनी माली हालत को सुधारना चाहती है ? अगर ऐसा ही हो तो यह अच्छी बात नहीं है, किसान के हित में अच्छा नहीं, बल्कि बहुत बुरा कहा जायगा ।

एकीकरण के बारे में, जैसा कि कुछ स्थानों पर किया जा रहा है, बनेड़ा की तहसील के कुछ गांवों के एकीकरण हुए हैं और एकीकरण के लिए जो नियम बने हुए हैं उनमें साफ तौर से कहा गया है कि एकीकरण बिना जनता की राय से व जनता की कमेटी बनाये नहीं किया जायगा और जहां पर भी किया गया है, जनता की कमेटी बना कर किया गया है । परन्तु अब उस एकीकरण का खर्चा उन किसानों के पास से वसूल किया जा रहा है । क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर भी एकीकरण किया गया है, वहां पर जो गांव वालों की कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के सामने जो पटवारी महोदय गये थे, उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर एकीकरण हुआ तो इसका सब खर्चा आपके पास से वसूल किया जावेगा । जब गांव वालों की उस कमेटी से इस बात को मंजूर नहीं कराया और अब आठ-आठ हजार रुपया एक-एक गांव के एकीकरण पर खर्चा रखा गया है, क्या उस पैसे को वसूल करना, प्रजातन्त्र के ढंग से व उन नियमों से, जो एकीकरण कमेटी की राय से होना चाहिये, उसके विरुद्ध नहीं होगा ? अगर हों तो क्या मन्त्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि इस तरह का कोई खर्चा वसूल नहीं किया जायगा ?

जो पड़त भूमि राजस्थान में पड़ी है, उसका लगान राज्य सरकार पंचायतों से या गांववालों से वसूल करना चाहती है । जितनी भी पड़त भूमि है उसको तहसील के द्वारा

( श्री उमरावसिंह ढाबरिया )

या तहसील में जो अलॉटमेंट कमेटी बनी हुई है उसके द्वारा सारी की सारी जमीन, जितनी वहां पर है, वह या तो पंचायत के नाम पर अलॉट की जा रही है, या गांव के लोगों के नाम पर अलॉट की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी पड़त भूमि है उसमें से ८० प्रतिशत ऐसी भूमि है, जिसमें न तो घास पैदा होता है और न पैदावार हो सकती है। सिर्फ पहाड़, पत्थर और नाले हैं, जिसका दो आना प्रति बीघा से लेकर चार आना प्रति बीघा का लगान सरकार पंचायत से, गांव के किसानों से, वसूल करना चाहती है। यह जो स्कीम है, यह भूमि सुधार की है व किसानों को सहूलियत पहुंचाने की नहीं है।

अब जहां गांव के पास चरनोट की जमीन है, उस जमीन के लिए किसान मांग करता है तो सरकार उसको जवाब देती है कि हमारे पास जमीन नहीं है। परन्तु जो फालतू पड़ी हुई जमीन है, जिसका सरकार लगान वसूल करना चाहती है, उसके लिए जबरदस्ती लोगों को जमीन लेने के लिए मजबूर किया जाता है और सारे तहसीलदारों के पास इस तरह का ऑर्डर भेजा जा चुका है कि जितनी पड़त भूमि है वह इस लगान के ऊपर किसान को या पंचायत को दे दी जाय। यह तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि यह फालतू जमीन है, पथरीली, रेतीली जमीन है। नाले की जमीन है, इसका लगान वसूल करना सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों को नुकसान होता है तथा जबरदस्ती किसी को लगान देने के लिए मजबूर करना अप्रजातान्त्रिक है। खाता रद्दोबदल करने का अधिकार पंचायतों को दिया गया है। पंचायत सैकड़ों ऐसे खाते रद्दोबदल करती है परन्तु खाते रद्दोबदल के लिए मियाद निकल जाने के बाद जो फीस वसूल की जाती है व जुर्माना वसूल किया जाता है उसको वसूल करने का अधिकार पंचायतों को नहीं है। इसका पंचायतों को अधिकार होना आवश्यक है क्योंकि यह तो एक व्यवहारिक नियम है कि जो आदमी महनत करता है, उसका मुआवजा उस आदमी को दिया जाना चाहिए जो कि करता है। हमारी पंचायतें जब यह रद्दोबदल का काम करती हैं तो उसकी फीस या जुर्माना तहसील की मार्फत वसूल किया जाय, यह उचित नहीं, अनुचित है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इसके लिए कानून में परिवर्तन करना पड़े, कानून के अन्दर संशोधन करना पड़े तो जल्दी परिवर्तन करके यह रद्दोबदल की फीस या जुर्माना पंचायत को वसूल करने का अधिकार होना चाहिए। इस काम में पंचायतें ढिलाई करती हैं क्योंकि इससे उनको आर्थिक लाभ नहीं होता और काम ज्यादा करना पड़ता है, वह ढिलाई दूर हो जायगी और किसानों को फायदा हो जायगा, पंचायत की आर्थिक हालत सुधर जायगी। इसलिए यह फीस पंचायत को दी जानी चाहिए और पंचायत के द्वारा यह वसूल की जानी चाहिए।

पंचायतों के पास जो काम है व जितनी भी उनको नकशों की खानापूरी करनी पड़ती है और जो उनके पास एक बहुत बड़ा अधिकार हलका आबादी की जमीन को बेचने का है,

( श्री उमरावसिंह ढाबरिया )

जो हलका आबादी में है और इसके लिये तकावी देने का कानून बना है, इसके अलावा जितने भी दूसरे आर्टिकल्स आते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कराने का कानून है, उसमें पंचायतों को तस्दीक कराना पड़ता है, पटवारियों की तरफ से। लेकिन आज हम देखते हैं कि पंचायतों और भू-राजस्व विभाग का संबंध है वह इतना अच्छा नहीं है कि जिसकी वजह से दोनों एक जगह बैठ कर इन सारी कठिनाइयों को दूर कर सकें। एक बात जरूर है कि सरकार की तरफ से पटवारियों को हिदायत की गई है कि वे पंचायतों की मीटिंग में अवश्य हाजिर रहें। लेकिन, माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों और जिला परिषद और क्लेक्टर महोदय को कितनी बार इस तरह की शिकायतें की गई लेकिन फिर भी हुक्म की कोई परवाह नहीं होती और पटवारी अधिक मात्रा में पंचायतों की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। इसलिये खाता रद्दोबदली में तकलीफ होती है। तथा जो जमीन पंचायतें लोगों को मकान बनाने के लिये बेचती हैं नागरिक को, उनके पास अन्दर हलके आबादी का नक्शा नहीं होने से तकलीफ होती है कि आया यह जमीन अन्दर हलका आबादी हैं या बैरून हलका आबादी है। रेकॉर्ड नहीं होने से गलत जमीन बेच दी जाती है जिससे हजारों किसानों पर और जनता के दूसरे नागरिकों पर मुकदमे चल रहे हैं, जिनके पास पंचायतों की तरफ से पट्टे दिये गये हैं और पट्टा दिया जाने के कारण लोगों ने उस जमीन पर अपने मकान बना लिये हैं। सरकार की ओर से उन लोगों से सात गुना रुपया वसूल करने का नोटिस दिया गया है, जिन लोगों ने जमीन पर अपने मकान बना लिये हैं। जो जमीन उनको पट्टे पर दी गई उस जमीन पर उन्होंने अपने मकान बनाये हैं। ऐसे बनेड़ा तहसील में २७ हजार के डिमान्ड नोटिसेज दिये गये हैं और लोगों के साथ सख्ती की जा रही है कि या तो वे सात गुना पैसा दें अन्यथा उनके मकान गिरा दिये जावेंगे। ये मकानात दस दस वर्षों से भी ज्यादा अर्से के बने हुए हैं। इसकी बड़ी दिक्कत है क्योंकि न तो पंचायतों के पास इस तरह के नक्शे हैं कि कौनसी जमीन बैरून हलका आबादी में है और कौनसी जमीन अन्दर हलका आबादी में है। जो बिलानाम जमीन है उसके अन्दर हलका आबादी में लेने के लिये १९५३ के एक्ट में साफ था कि जो रद्दोबदल कराना चाहें वे लगान का २० गुणा ज्यादा देकर अन्दर हलका आबादी में अपनी जमीन को तरमीम करा सकते हैं। लेकिन आज वह भी नियम हट गया है। हजारों दर्ख्वास्तें क्लेक्टर महोदय के पास बिलानाम जमीन को अन्दर हलका आबादी में बदलने की पैंडिंग हैं आज भी। पंचायतों के पास आमदनी का यही एक बड़ा जरिया है। परन्तु अन्दर हलका आबादी की जमीन नहीं होने से पंचायतों की आर्थिक स्थिति खराब है और इसका किसानों पर बहुत असर पड़ता है। इसलिये ऐसा प्रबन्ध किया जावे जिससे बैरून हलका आबादी को अन्दर हलका आबादी में परिवर्तित करने में पंचायतों को सहूलियतें हो सकें। पंचायतों व पटवारियों तथा राजस्व विभाग के सम्बन्ध अच्छे हों, इसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से फिर अर्ज करना चाहता हूं कि वे जल्दी से जल्दी इस बात का प्रयत्न करें कि उनके सम्बन्ध आपस में अच्छे हों। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि

( श्री उमरावसिंह ढाबरिया )

तहसीलदार की जगह खत्म कर दी जावे तो मैं समझता हूं कि आपको प्रशासन में फायदा हो जावेगा और राजस्व विभाग के जो अधिकार हैं वे बहुत सारे ऐसे हैं जो रेवेन्यू इन्सपेक्टर को ट्रान्सफर किये जा सकते हैं और उन कामों को आज रेवेन्यू इन्सपेक्टर अच्छी तरह से कर सकता है। जबकि आपने राजस्थान में हर तहसील हैडक्वार्टर पर पंचायत समितियें बना दी हैं तो कोई जरूरत नहीं कि एक ही स्थान पर बी० डी० ओ० और तहसीलदार दोनों एक स्तर के अधिकारी अलग अलग रहें। दोनों के बजाय एक ही बना दिया जावे जो पंचायत समिति का सेक्रेट्री रहे वह दूसरा काम भी करे।

रहा अधिकार का प्रश्न, राजस्व के अधिकार आप रेवेन्यू इन्सपेक्टर के पास ट्रान्सफर कर दीजिये और कुछ कार्य जो रेवेन्यू इन्सपेक्टर नहीं कर सकता है वह सेक्रेट्री के पास रख दीजिये। इससे आपके प्रशासन में हजारों रुपयों की बचत भी की जा सकेगी और काम भी सुचारू रूप से चलेगा। यह मेरा सुझाव आपके सामने है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सबसे बड़ा प्रश्न है वह रेवेन्यू की वसूली के सम्बन्ध में है। पहले भी जब से विकेन्द्रीकरण का कानून बना और पंचायतों को अधिकार देने का प्रश्न आया उस समय हम यह समझते थे कि यह भी राजस्व की वसूली का जो अधिकार है वह पंचायतों को दे दिया जावेगा। परन्तु अभी अभी यह सुनने में आया है कि राजस्थान के जितने जिले हैं उनमें से कुछ सलेक्टेड जिलों की ऐसी तहसीलें हैं जिनको इस तरह का अधिकार दिया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब पंचायतों और पंचायत समितियों को इतना अधिकार दिया गया है, बहुत जिम्मेदारी का काम पंचायत समितियों व पंचायतें कर रही है तो भू-राजस्व की वसूली का काम भी पंचायतों को क्यों न दे दिया जावे। यह सोचना उचित नहीं कि अगर पंचायतों को दे दिया जावेगा तो बहुत गड़बड़ी रहेगी या वे नाकामयाब रहेंगी। ऐसी बात नहीं है।

आज भी वसूली करने का जो तरीका है उसमें आपको नम्बरदार रखना पड़ता है और उसको कमीशन देना पड़ता है, पटवारी रखने पड़ते हैं। इसके अलावा और भी लोगों को रखना पड़ता है और सारी फौज-पलटन, इन्सपेक्टर वगैरह रखने पड़ते हैं। चूंकि आपको पंचायतों को कुछ देना पड़ता है इसलिये उनको वसूली का अधिकार नहीं देते हैं, तो यह अच्छी चीज नहीं है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह वसूली का सारा अधिकार पंचायतों को होना चाहिये और जो भी राजस्व वे इकट्ठा करें उसका एक हिस्सा निश्चय कर उनको दे दें। जैसे आप नम्बरदारों को पैसा देते हैं वह खत्म हो जावेगा और इससे आपको बहुत सुविधा हो जावेगी और पंचायतों की आर्थिक स्थिति भी सुधर जावेगी।

अध्यक्ष महोदय, जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं वे तथ्यों को लिये हुए हैं। मैं मन्त्री महोदय को भी बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर गहराई से ध्यान देवें तो आपको मालूम होगा कि आपका यह दावा की आप भूमि सुधार कर रहे हैं

# Page No. 32



( श्री उमरावसिंह ढाबरिया )

और किसानों को बहुत राहत दे रहे है, किसानों को बहुत फायदा करने जा रहे है यह उचित नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप दुबारा इन बातों पर जो मैने आपको बताई हैं ध्यान देकर काश्तकारों को सुविधा देंगे तभी यह आपका नारा ठीक हो सकता, है अन्यथा आपका यह नारा तथ्यहीन है। इससे किसानों को उल्टी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है बजाय इसके कि उनको सहूलियत मिले।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो बातें बताई हैं उन बातों पर विचार किया जाना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : मेरा कटौती प्रस्ताव है।

**श्री अध्यक्ष** : जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उसी ऑर्डर में लिये जा रहे हैं।

श्री रावतराम !

**श्री रावतराम** (सादूलपुर सु.) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव किसानों को समय पर गिरदावरी स्लिपें नहीं दी जाती हैं, उसके बारे में है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले भी माननीय राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान बार बार दिलाया गया है कि जो गिरदावरी स्लिप दी जाती है उनकी सूचना जानबूझ कर किसानों को समय पर नहीं दी जाती है। इसके लिये सरकार की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा किसानों को समय पर गिरदावरी स्लिप मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गिरदावरी खरीफ की फसल के बाद आसोज के महीने में होती है और गिरदावरी होने के बाद मांग-पत्र दिये जाते हैं, लगान वसूली हो जाता है और पांच पांच छः छः महीने के बाद तक गिरदावरी के पर्चे नहीं मिलते हैं। इसमें पटवारी लोग और अफसर जानबूझ कर किसानों का कब्जा छुड़वाने के लिये दूसरी पार्टियों से मिल कर गड़बड़ करते हैं। इस वजह से किसानों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी दुरुस्ती के लिये व्यवस्था की है पर आप सोच सकते हैं कि गिरदावरी दुरुस्ती के लिये गरीब किसानों को कितनी तकलीफ होती है, रेवेन्यू बोर्ड तक जाना पड़ता है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान इस गिरदावरी स्लिप के बांटने की अव्यवस्था की ओर आकर्षित करता हूं। इसमें सुधार किया जाना बहुत आवश्यक है। इसमें मेरा यह सुझाव है कि ज्योंही गिरदावरी होती है, एक समय बांध देना चाहिये कि इतने दिनों के अन्दर अन्दर गिरदावरी की स्लिपें किसानों को मिल जानी चाहिये और यह स्लिपें सब गांव वालों को एकत्रित करके दी जानी चाहिये। पटवारी, सरपंच और गांव के प्रमुख आदमी इन सबकी एक बैठक करके गिरदावरी स्लिपें सब लोगों के सामने बांटनी चाहिये ताकि किसी किसान की गिरदावरी इधर-उधर नहीं हो जावे, दूसरे के नाम पर नहीं कर दी गई हो। इसलिये सब गांव वालों के सामने गिरदावरी स्लिपें बांटते हैं

( श्री रावतराम )

तो सभी लोगों को इससे संतोष होता है और गड़बड़ होने की कम आशंका रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा कि इस तरह जिन पटवारियों ने, जिन अधिकारियों ने किसानों की गिरदावरी स्लिपों को इधर उधर किया है, दूसरों के नाम झूंठी गिरदावरियां दर्ज की है और गिरदावरी स्लिपों को नष्ट किया है उनके खिलाफ जांच की जाकर उनको बराबर सजा दी जानी चाहिये। यह कोई आज की शिकायत नहीं है, यह बहुत पुरानी शिकायत है। पटवारी लोग ऐसा करते हैं कि पहले साल की गिरदावरी स्लिपों को नष्ट कर देते हैं और दूसरे साल उसका कब्जा छुड़ाने के लिये दूसरे के नाम की गिरदावरी स्लिप दे देते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गिरदावरी स्लिप समय पर दी जानी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसकी इस बार अच्छी व्यवस्था करेंगे।

इसके अलावा मैं राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान हमारे चुरू जिले में सरकारी पड़त जमीन है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। इन जमीनों का अलॉटमेंट होता है वह बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से होता है। वह कोई ऐसी उपजाऊ जमीन नहीं है पर भूमिहीन किसान सोचते हैं कि और कोई जमीन है नहीं है, इसीलिए इसी को जोतो, इसी जमीन को काश्त करके गुजर करेंगे। वे लोग उस जमीन पर काश्त करते हैं। उन लोगों को हर साल इस जमीन का अलॉटमेंट होता है, इसको मैं अच्छा नहीं मानता।

**श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर ) : १० साला अलॉटमेंट होता है.......

**श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व)** : टेन ईयर्स अलॉटमेंड होता है अनकमान्डेड एरिया में।

**श्री रावतराम** : नहीं होता है। हर साल अलॉटमेंट होता है, हम उस भूमि अलॉटमेंट कमेटी में बैठते हैं।

**श्री भीमसेन** : ये रूल्स ५७ से लागू हैं, १० साला अलॉटमेंट होता है।

**श्री अध्यक्ष** : कई ईयर टू ईयर अलॉट-मेंट होते हैं।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अनकमान्डेड एरिया में जो अलॉटमेंट होता है वह टेन ईयर्स के लिये होता है।

**श्री रावतराम** : उस एरिया के एम. एल. ए., सरपंच और दूसरे अधिकारियों की एक कमेटी होती है, अलॉटमेंट करने के लिये। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हर साल अलॉटमेंट होता है। इससे यह होता है कि किसान एक साल जमीन को काश्त करता है, दूसरे साल किसी दूसरे को वह जमीन अलॉट कर दी जाती है। तो इस तरह वह उस भूमि में सुधार नहीं कर सकता।

बिना पूछे काश्त कर लेते हैं तो इस तरह काश्त करने पर उस पर तावान लगाया जाता है। मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस जमीन का सालाना अलॉटमेंट नहीं होना चाहिये। इसके लिये चार साला अलॉटमेंट या जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा १० साला अलॉटमेंट होता है, जहां तक मुझे मालूम है, १० साला अलॉटमेंट

( श्री रावतराम )

नहीं होता। हो सकता है इस तरह के रूल्स हमारे यहां नहीं पहुंचे हों। मेरे जिले की मुझे पूरी जानकारी है। वहां हर साल अलॉटमेंट होता है तो वह चार साला या दस साला अलॉटमेंट होना चाहिये।

इसी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि पिछले तीन-चार साल में चुरू जिले के प्रायः गांव अभावग्रस्त रहे हैं। अभावग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में सरकार की दोषपूर्ण पद्धति है। फेमिन एरिया जहां घोषित किया जाता है वहां पटवारियों के द्वारा गिरदावरी में खराबा बताया जाता है कि किन किन गांवों में कितना कितना खराब हुआ। मैं विश्वास दिलाऊं कि चुरू जिले के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर कि रुपये में दस-दस आना, बारह-बारह आना खराबा हुआ है, उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया है और वहां से लगान वसूली की कार्यवाही की गई है। पंचायतों के द्वारा व पंचायत समितियों के द्वारा बराबर शिकायतें की गई हैं कि यहां पर इतना, इतना नुकसान हुआ है फिर भी अधिकारी और पट-वारी लोग कोशिश करते हैं कि हम इतना खराबा दिखाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे सरकार को बड़ा नुकसान होता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक तरफ अभावग्रस्त एरिया घोषित करने का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ अभावग्रस्त घोषित करने में सरकार का हर्जा समझते हैं तो क्या यह किसानों को दिखावा मात्र कर रहे हैं? कौन सी सहायता आप किसानों को देते हैं? चुरू जिले के गांवों में तीन-चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। हमने वहां के सभी अधिकारियों के पास और यहां के उच्चाधिकारियों के पास प्रार्थनाएं की पर कोई सुनवाई नहीं, और वहां के किसानों से लगातार लगान की वसूली की गई है।

इसी तरह, माननीय अध्यक्ष, एक वहां तावान की समस्या है, वह भी बड़ा पेचीदा सवाल बना हुआ है। बीकानेर स्टेट के समय जो लोग वहां बिना पूछे काश्त करते थे उन पर मामूली तावान वसूली की कार्यवाही होती थी। जितने रुपयों का लगान लगता था उतने ही आने और लग जाते थे। इसके बाद राजस्थान सरकार ने डेढ़ गुना तावान लगा दिया। इसके थोड़े दिनों बाद उस तावान को बढ़ा कर ६ गुना कर दिया गया। इसके लिए प्रार्थना-पत्र दिये गये, शिकायत की गई तो कहा गया कि जो रेवेन्यू अधिकारी वहां पर हैं उनकी मर्जी की बात है, ६ गुना तक वे वसूल कर सकते हैं। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, अब आदेश गये हैं उनमें यह है कि लगान का १५ गुना तावान वसूल किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि जिन लोगों ने आज तक जिस जमीन पर काश्त की है, पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस साल से उस पर काश्त करते आ रहे हैं वे उस पर काश्त कर लेते हैं तो उन किसानों पर १५ गुना तावान इस साल लगाया गया है। तावान का मतलब है कि यदि किसी खेत का लगान ३० रुपया है तो तावान ३० रुपयों का पन्द्रह गुना होगा। १५ गुना तावान कितना हुआ और वह चार-पांच साल का एक साथ लगाया गया है! और तावान के साथ में चार, चार साल का लगान भी है। इस तरह करके हजारों रुपयों

( श्री रावतराम )

की वसूली इस साल किसानों से की गई है, जब कि उनके वहां अनाज बहुत कम मात्रा में हुआ है और यह कहना चाहिए नहीं के बराबर हुआ है । वसूली की कार्यवाही में गरीब किसान को किस तरह से तंग किया है, यह एक गंभीर विषय है । उदाहरण के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हरिजन हैं उनसे भी किस तरह से वसूली की कार्यवाहीं की गई है । एक गांव है उदास, जि० चुरु जिसमें पेमा नाम का हरिजन है । उस पर कुर्की की गई । कुर्की में निम्न सामान कुर्क किया गया ।

थाली नग १ पीतल की, डेगची नग १ पीतल को, ग्लास नग १, हाँडी माटी की-मोठ से भरी हुई २१ सेर मोठ, गुदड़ा नग १ ।

इस तरह का सामान हरिजनों का कुर्क करके वसूली की गई । मैं नहीं समझता कि राजस्थान सरकार उन गरीब किसानों को व हरिजनों को इस तरह की कार्यवाही करके कोई राहत देना चाहती है । उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको देखना चाहिये । इस सम्बन्ध में जब जिलाधिकारियों से व राजस्थान के उच्चाधिकारियों से शिकायतें की गई तो वे तर्क देते हैं कि कानून है, रूल्स हैं ऐसे । मैं नहीं समझता कि रूल्स अच्छे होंगे किसानों को और गरीबों को उनसे क्या फायदा मिला है ? उनकी तरफ तो हमारा ध्यान जाना चाहिये । आज उस गरीब की हालत को देखिये जिसके पास माटी की हांडी नहीं, खाने के लिए थाली नहीं और ओढ़ने के लिए गुदड़ा इस सरकार ने नहीं छोड़ा । जिन अधिकारियों ने इस प्रकार का उन गरीबों के साथ बर्ताव किया और उनको तंग करके इस प्रकार का सामान उनका कुर्क किया उनके खिलाफ यदि सरकार कोई कार्यवाही करेगी तो सरकार के अन्दर उन गरीबों का विश्वास पैदा होगा ।

इसी तरह से रामा चमार कोटासर, जि० चुरु । उसका सामान कुर्क किया गया ।

थाली, लोटा, मांचा, बैल और बकरी ।

धन्नाराम चमार सा० देराजसर, तहसील श्री डूंगरगढ । यहां से चूल्हा लोहे का, मांचा नग १, खेत नग २, चाकी आटा पीसने की । ढाई सेर मोठ हांडी में भरे हुए उनको उठा ले गये ।

कुंभा पुत्र शिवदान नाई : थाली नग १, गाय नग १, खेत नग २ ।

खेरा पुत्र उमा मेघवाल, देराजसर—भैंसा नग १, बैल नग १ ।

इस तरह से तावान और लगान जो तीन-तीन साल से चार-चार साल से वसूल नहीं हो पाये थे क्योंकि कहतसाली थी, तो उसको इस प्रकार से कुर्कियां जारी करके एक साथ वसूली की कार्यवाही की गई है । हजारों रुपयों की वसूली इस प्रकार से किसानों से की जाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का सामान कुर्क करके । मैं नहीं समझता कि सरकार कहती है कि किसानों को हम फायदा देना चाहते हैं लेकिन किस प्रकार से किसानों को सरकार फायदा देना चाहती है । आप सोचिये, किस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है । लेकिन उनकी कोई सुनने-वाला नहीं । मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और उनसे उम्मीद करूंगा

( श्री रावतराम )

कि इस तरह की कार्यवाही उनको करते हुए रोकनी चाहिये, नहीं तो इससे सरकार के खिलाफ एक बड़ा भारी असंतोष और अविश्वास पैदा हो जायगा। आप उनको राहत नहीं दे रहे हैं, उनको राहत दीजिये। उनके समझ में आपके ये कानून और कायदे नहीं आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगा, कि धारा १६ और १५ के तहत खातेदारियां रद्दोबदल हुई हैं, उन किसानों को बहुत तंग किया गया है। फीस के बहाने उनसे कितना पैसा वसूल किया गया है इस ओर भी ध्यान जाना बहुत जरूरी है।

मैंने दो, तीन सुझाव दिये हैं। गिरदावरी की स्लिप किसानों को समय पर मिलनी चाहिये, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और उनको गिरदावरी की दुरुस्ती के लिए रेवेन्यू बोर्ड और वकीलों के पीछे न फिरना पड़े। जब गिरदावरी होती है तो गांव के लोगों के सामने गिरदावरी स्लिप बंटनी चाहिये। दूसरा, भूमि का अलॉटमेन्ट सालाना न होकर चार साला होना चाहिये ताकि किसान को फायदा हो। तीसरा, पन्द्रह गुना तावान किसी इलाके में लागू हो सकता है लेकिन उस रेगिस्तानी इलाके में जहां पांच सेर बीघा का अनाज पैदा नहीं होता है वहां इस प्रकार को तावान वसूली बड़ी ही अन्यायपूर्ण है।

( १२.४५ म.प. )

( श्री भीमसेन सभापति, पदासीन )

चौथा, मेरा सुझाव अभावग्रस्त एरिया के बारे में है। तीन-तीन, चार-चार साल जहां अकाल पड़ता है वहां उनके साथ जो इस प्रकार के अन्याय हो रहे हैं उनकी ओर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्रीजी को लिख कर दिया है कि कार्यवाही करनी चाहिये, स्थानीय पंचायत समिति और पंचायतों की बातों को सुनना चाहिये और आगे की कार्यवाही करनी चाहिये, जिससे उन लोगों को वाकई राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इन्तकाल के विषय में भी अर्ज करूंगा कि किस प्रकार से पटवारियों के पीछे घूमना पड़ता है। बेचान या बेनामा होता है तो उसकी तहसील में कार्यवाही हो जाती है, लेकिन छः छः महीने बीत जाते हैं फिर भी पटवारी लोग इन्तकाल दर्ज नहीं करते, हेर फेरकी बात करते हैं और पैसा मांगते हैं। इस ओर ध्यान देना चाहिये। तहसील में हो गया तो फिर इन्तकाल दर्ज करने में क्या हर्ज है, क्यों उसमें देर हो? माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू बोर्ड और राजस्व के मामलों में जो अनियमिततायें हैं और जो धांधलियां हो रही हैं उनकी ओर ध्यान जाना जरूरी है, नहीं तो सरकार के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होता है और गांवों में हम जाकर किस प्रकार से किसानों को कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार से भूमि सुधार किये हैं? उनकी दुखी आवाज को राजस्थान सरकार को सुनना चाहिये। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री सभापति** ( श्री भीमसेन ) :

( श्री सभापति )

श्री सम्पतलाल ( मावली )।

( अनुपस्थित )

श्री भैरोंसिंह।

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग के संबंध में मैं अपने तीन कटौती के प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में बाकी के प्रदेशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू है। इस संबंध में यह कहा जाय कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू होने के बावजूद भी कभी इस विषय पर विचार नहीं किया है कि इस लैंड रेवेन्यू को बाकी की स्टेट्स के मुकाबले में किस प्रकार से लाया जा सकता है। यह सही है कि जागीरदारों और जमींदारों के समय में, जिस समय काश्तकार इस बंधन से मुक्त होना चाहते थे उस समय हमारी सरकार की पार्टी की ओर से कई बार इस बात का आश्वासन दिया गया कि जिस समय हमारा राज्य आयेगा लगान कम कर दिये जावेंगे। मैं यह तो मानता हूँ कि जिस जगह बंटाई की व्यवस्था थी, उस बंटाई की व्यवस्था को बदल कर हमारी सरकार ने केश रेंट की व्यवस्था लागू कर दी। उसके बाद भी सारे पहलू पर यदि विचार किया जाय कि किसान से लगान लेते हैं वह किसान लगान किस हद तक दे सकता है और किस हद तक उससे लेना चाहिये, मेरी ऐसी मान्यता है कि सरकार का इस ओर कोई निर्धारित पेटर्न नहीं है।

इसी राजस्थान में कहीं सेटलमैंट रेट्स १ रु० ६ आ० है, कुछ जगह पर १ रु० ३ आ० है और कुछ जगह १ रु० ४ आ० निर्धारित की गई है और इसी कारण राजस्थान में समान भूमि के ऊपर जहां एक प्रकार की दरें होनी चाहिए वहां अलग अलग प्रकार की दरें हैं। इस तरह से कहना चाहिए कि सेटलमेंट रेट्स में जागीरी एरिया के बीच और खालसा एरिया के बीच में काफी अन्तर है। कई स्थानों पर मैंने देखा है कि जहां पर स्टेट के वक्त में कम लगान लिया जाता था उनके पास में जागीर एरिया आ गया सरकार द्वारा जहां का सेटलमैंट किया उसका आधार न मालूम किस प्रकार का था जिसके कारण जो पहले रेट्स थी उनके मुकाबले किसानों को ज्यादा रेट्स चुकानी पड़ती हैं। इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। चाहे बारानी भूमि की लीजिये, चाहे चाही अन्य स्टेट्स के मुकाबले बारानी के यहां के रेट्स का मुकाबला किया जाय तो एक चित्र स्पष्ट रूप से हमारे सामने आता है। वह यह कि हमारे यहां किसानों पर बहुत ज्यादा रेट्स लागू कर रखे हैं। मैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कई स्थान ऐसे हैं जहां २४ रुपया प्रति बीघा, कहीं २० रु० कहीं २५ रु० और कहीं १७ रु० पर एकड़ के हिसाब से है। और कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां ११ रुपये से कम हो। इनका मुकाबला पंजाब, मध्य प्रदेश से करना चाहें तो हमें पता लगता है वहां ४ रु० ४ आ०, ५ रु० मन्दसोर, गुना, रतलाम, देवास में है और कहीं ६ रु०, कहीं १० और कहीं पर

# Page No. 38



( श्री भैरोंसिंह )

२ रुपया। इनको देखते हुए मैं नहीं समझ पाया राजस्थान की भूमि में और मध्यप्रदेश की भूमि में उपजाऊ शक्ति के आधार पर क्या अन्तर है? बदकिस्मती यहां के किसानों की यह है कि उनके ऊपर लगान ज्यादा आयद करने की कोशिश की है। बारानी जमीन के रेट्स कई स्थानों पर आठ और छः हैं। पंजाब में ज्यादा से ज्यादा १ रु०,३ रु० और ६ रु० है। मध्यप्रदेश में ज्यादा से ज्यादा ६ रुपया है। दोनों हालतों के अन्दर चाहे बारानी लीजिये, चाहे चाही जमीन लीजिये हमारे यहां के रेट्स दूसरी जगहों से ज्यादा हैं....

**श्री रामप्रसाद लडढा** (उप–मंत्री, राजस्व) : लोएस्ट कितनी है, यह भी बता दीजिये ?

**श्री भैरोंसिंह** : राजस्थान में लोएस्ट बारानी जमीन का १ आ०, ७ आ०, ५ आ० ४ आ० है, चाही का लोएस्ट २ और ६ है। लेकिन दूसरी जगह ६ पा० भी है लोएस्ट। इसी बेसिस पर तुलना की जावे, यहां पर पाइयों में नहीं है। चाहे आप यहां की लोएस्ट रेट लें या हाइयेस्ट, पड़ोसी राज्यों से अपने यहां के रेट्स ज्यादा हैं, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां के रेट्स आॅल इन्डिया बेसिस पर और प्राॅविन्सियल बेसिस पर तुलना की जाय तो पर केपीटा लैन्ड रेवेन्यू हमारे यहां ज्यादा है। इसका कारण है सेटलमैन्ट। इसके लिये कोई पेटर्न हम तय नहीं कर पाये कि सेटलमैन्ट किसको आधार मान कर किया जाय। सेटलमेन्ट के जो एक्जिस्टिंग रेट्स हैं वे कई स्थानों पर बहुत ज्यादा हैं। इस पर सरकार ने कई बार आश्वासन भी दिया था कि रेट्स के अन्दर जो विभिन्नता है उसको समान स्तर पर लाने की कोशिश करेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, लैन्ड रेवेन्यू के संबन्ध में सरकार के कानून के द्वारा किसानों को कितनी राहत मिली है, इस पर अवश्य ध्यान देंगे। इससे पहले इस बात पर एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो यह जांच करे कि अमुक प्रकार की भूमि पर ब्यावर, जोधपुर आदि में जहां एक ही क्वालिटी की जमीन है वहां एक प्रकार के रेट्स लागू क्यों न किये जांय? मैं समझता हूँ कि सब के लिये समान भूमि पर समान रेट्स के कायम करने के बारे में सरकार ध्यान नहीं देती और एक्जिस्टिंग रेट्स बराबर चलते रहे तो एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती है किसान के सामने चाहे उसका काॅस्ट आॅफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाय लेकिन उसके रिटर्न्स कम हो जायेंगे, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। जो लोग खेती के धन्धे के लिए लालायित हैं वे तो दूर रहे किसान भी खेती से दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले इस प्रकार के रेट्स के समानीकरण के विषय में व्यवस्था शुरू करें। जहां चाहे भूमि बारानी हो चाहे चाही, चाहे सिंचित भूमि हो सभी प्रकार की भूमि पर रेट्स में भिन्नता है, जगह जगह के हिसाब से अन्तर है। इस अन्तर के कारण चाहे जमींदारी और जागीरदारी की व्यवस्था आपने समाप्त कर दी लेकिन जो रेन्ट रेट्स में अन्तर है वह समाप्त नहीं कर पाये, यह खेद की बात है।

दूसरा प्रश्न आता है हमारी सरकार जिस राजनेतिक दल की है, उस कांग्रेस दल

(श्री भैरोंसिंह)

ने सत्तारूढ़ होने से पहले कई बार आश्वासन दिया था कि हम भारतवर्ष में जितनी भी अनइकोनोमिक होल्डिंग है उसको हम किसी प्रकार से राहत देना चाहेंगे। मुझे अफसोस है कि यह बात कहते हुए, लगभग १५ वर्ष हो गये वर्तमान सत्तारूढ़ दल को राज्य करते हुए, लेकिन इस दिशा में सरकार ने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है। या तो यह कहना चाहिये कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जो वायदे किये थे आजादी के पहले वे वायदे या तो बिना अनुभव के किये थे और अगर यह माना जाय कि अनुभव के आधार पर किये गये तो यह कहना चाहिये कि हमारी सरकार उन वायदों को, उन आश्वासनों को पूरा करना नहीं चाहती। हमारी सरकार यह कहती है किसानों की बेहबूदी के लिये हम हर प्रकार से विचार करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं जिन लोगों के पास अनइकोनोमिक होल्डिंग है उन लोगों के पास से लगान लेने के किस प्रकार से आप अधिकारी हैं ? जहां तक लगान लेने का सवाल है उन लोगों से आप लगान लें जिनके पास बचत होती है। लेकिन यह तो बदकिस्मती है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास दो-दो, चार-चार बीघा जमीन है उस पर काश्त करते हैं उनसे उसी प्रकार से लगान लिया जाता है जिस प्रकार बड़े काश्तकारों से लिया जाता है। हमारी सरकार कह सकती है कि बड़े काश्तकारों के लिये सरचार्ज की व्यवस्था कर रखी है। यह बात सही है। यह भी बहुत बड़े बड़े काश्तकारों पर लागू नहीं होती। यह भी मध्यम श्रेणी के काश्तकारों पर लागू होती है। वे भी सरचार्ज के कारण परेशान हैं। बड़े बड़े काश्तकारों की संख्या वैसे तो बहुत कम है, लेकिन उनके पास भूमि बहुत ज्यादा है। वे इस बात की चिन्ता नहीं करते, लेकिन एक बात अवश्य कह सकता हूँ कि गिनती में भले ही वे कम हों लेकिन जमीन उनके पास बहुत ज्यादा है, उस जमीन पर सरचार्ज लगता नहीं। यह सारी व्यवस्था उन बेचारे किसानों पर लागू होती है जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग है, जिसके जरिये वे अपनी जीविकोपार्जन की कोशिश करते हैं। उनके लिये भी हम उदारतापूर्ण व्यवस्था नहीं कर सकते कि किस हद तक अनइकोनोमिक होल्डिंगवाले को सरकार लगान के अन्दर राहत देगी। सरकार चाहे तो राहत दे सकती है। सरकार कहेगी कि तकावी के रूप में, बीज और खाद के रूप में हम अनइकोनोमिक होल्डिंग वालों को सहायता देते हैं। लेकिन इन बेचारे काश्तकारों की बदकिस्मती है कि जितनी सहायता उनको चाहिये उसके लिये वे सिक्योरिटी दे नहीं पाते। तकावी लेनी हो तो जमीन की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। उनके पास पहले ही कम जमीन है, इसलिये सरकार के तकावी देनेवाले अधिकारी के पास वे जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी अपर्याप्त होने की वजह से उनको लोन नहीं मिल पाता। जितने भी लोन्स एडवान्स किये जाते हैं, बीज, तकावी, खाद आदि जो भी तकसीम किये जाते हैं उसके आंकड़े यदि इकट्ठे किये जांय तो आपको पता चलेगा कि गांवों में जो बड़े काश्तकार हैं उनको तकावी मिली हुई है। उन्हीं को बीज और खाद की सहायता मिलती है। आज वे अनइकोनोमिक होल्डिंग वाले जो काश्तकार हैं वे इससे भी महरूम रह जाते हैं। जिनके पास सिक्योरिटी नहीं उन लोगों

( श्री भैरोंसिंह )

को तकावी देनी है तो कम से कम जितनी जमीन उनके कब्जे में है, चाहे एक बीघा हो, चाहे चार बीघा, उनके रिक्वायरमेन्ट्स के आधार पर उनको तकावी दें और वह जमीन उसकी सिक्योरिटी के लिये पर्याप्त मान कर चलें। मैं आप से यह भी कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है छोटे किसानों को राहत देने का और इसके लिये अनइकोनोमिक होल्डिंग के सवाल पर उनको राहत देने के लिये आप उस पर से लैंड रेवेन्यू समाप्त कर दें। आपने वचन भी दिया था। इसके साथ-साथ आज इसकी आवश्यकता भी है। आज हम इनकम टैक्स के मसले पर कम आमदनी-वालों से टैक्स नहीं लेते, इसी तरह सेल्स टैक्स के सिलसिले में जिनका रिटर्न या टर्न ओवर कम है उनसे आप सेल्स टैक्स नहीं लेते। प्रोपर्टी टैक्स के बारे भी जिनकी लिमिट से कम है उनसे नहीं लेते। इसी प्रकार से एक्स-पेन्डीचर टैक्स, गिफ्ट टैक्स आदि जितनी टैक्सेशन की प्रणाली हैं उनमें आपने एक प्रकार का सिस्टम इवॉल्व कर रखा है कि जो लिमिट में आते होंगे उनसे ही टैक्स लिया जावेगा।

यहां पर एक इनकम टैक्स का सवाल नहीं है, प्रोडक्शन पर टैक्स लगाने की व्यवस्था का सवाल है या जो जमीन है उस पर एक प्रकार का लगान है, वह लगान भी इन-कम से सम्बन्ध रखता है।

आज मैं कहना चाहूंगा कि किसी किसान की आमदनी पचास रुपया है, तीन, चार बच्चे हैं उसके, परिवार है, जीवन-यापन इस आमदनी से करना उसके लिये समस्या बनी हुई है। आप उससे कहें कि तुम्हें दस रुपया लगान का देना पड़ेगा तो जो कुछ वह बचा पाया है उसमें से दस रुपया लगान में चला जावेगा तो उसके जीवन-यापन करने के बजट में कमी आवेगी, जिसकी पूर्ति करने के लिये कई बार वह अपनी मेन्युअल लेबर दूसरों के गिरवी रखता है, जिसको सागड़ी प्रथा के नाम से पुकारा जाता है और जिसे आप समाप्त करने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आप इसका एक बेसिस बना कर इनकम के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर, जमीन जितनी पजेशन में है उसके आधार पर निर्धारित लक्ष्य तय कर लें कि इतनी कम इनकमवालों से लगान नहीं लिया जावेगा फिर इतने से कम बोनेवालों से नहीं लिया जावेगा। इससे ज्यादा बोनेवाले भी अब नहीं रहेंगे क्योंकि आपने सीलिंग लगा रखा है। लेकिन उस हालत में आप अनइकोनोमिक होल्डिंग पर न लें या फिर उसे इकोनोमिक बनाने की कोशिश करिये।

यह भी बन्दोबस्त ऐसा है कि जहां भी लैंड कन्सोलिडेशन होता है उसमें भी, सभा-पति महोदय, सबसे ज्यादा परेशान यदि किसी को किया जाता है तो अनइकोनोमिक होल्डिंग-वाले को और वह भी इस गरज से नहीं कि ज्यादा जमीन उसको देकर, पर इस गरज से कि इस खेत को उसमें मिला दिया जावे, इसको दूसरी जगह भेज दिया जावे। इस समय जागीरदारी और जमींदारी आपने समाप्त कर दी, ये समस्याएं समाप्त हुईं। अब प्रमुख समस्या है सैटलमेन्ट की, रेन्ट रेट की और अनइकोनोमिक होल्डिंग को राहत देने की।

( श्री भैरोंसिंह )

इन तीनों के विषय में सरकार तुरन्त विचार करे और गरीब किसान को बचाने की व्यवस्था करे । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लगान वसूल करने के सम्बन्ध में और बाकी के लैंड रेवेन्यू को वसूल करने के सम्बन्ध में आपने एक लैंड रेवेन्यू कमीशन की नियुक्ति की थी । उसने अपनी सिफारिशें पेश की है सरकार के सामने । उसमें सिवाय इसके कि अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने घोषणा की कि एक कमेटी नियुक्त करनेवाले हैं जो यह जांच करेगी कि जो जमीन सम्बन्धी सुधार लागू हुए हैं उनसे किसान को फायदा हुआ है या नहीं, उनका इम्पलीमेन्टेशन कैसे हुआ है, इसकी जांच करके अपना प्रतिवेदन पेश करे । मैं कहना चाहूँगा कि लैंड कमीशन ने जितनी भी सिफारिशें की हैं उन पर A से Z तक किसी पर भी सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया है । इससे या तो यह समझा जावे कि जो इस कमीशन को बैठाकर इतना खर्चा किया और उनका भी समय जाया किया वह इसलिये किया था कि विधान सभा के सदस्यों की ऐसी मांग थी कि लैंड कमीशन की नियुक्ति की जावे । पर अब फर्ज यह होता है सरकार का कि जितनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं उन सिफारिशों के आधार पर तथा साथ साथ फाइनेन्शियल कमेटी ने भी कुछ मुद्दे रक्खे हैं उन पर विचार करते हुए उन सारी बातों को तुरन्त अमल में लावें, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

**श्री सभापति** : काफी समय ले रहे हैं आप ।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं बहुत कम समय लूंगा ।

दूसरा प्रश्न जो मेरे कट मोशन से सम्बन्धित है वह पटवारी और अमीन की तनख्वाह से सम्बन्धित है ।

सभापति महोदय, हम जब भी जितने आंकड़ों से बातें करते हैं, जितनी भी राजस्थान की लैंड रेवेन्यू के फिगर के बारे में चर्चा करते हैं, मल्टीफेरियस एक्टीविटीज, चाहे विकास के सम्बन्ध की हों, योजना के सम्बन्ध की हों अथवा किसी भी विभाग की क्यों न हों हम उन सारे फंक्शन्स को डिस्चार्ज करने के लिये पटवारी पर जिम्मेदारी डालते हैं। जब इतनी जिम्मेदारी हम उस पर डालते हैं तो हमें साथ ही यह भी विचार करना पड़ेगा कि जिसके आधार पर ऑल इण्डिया महत्व के फिगर्स बनते हैं और जिसकी बेसिस पर ऑल इण्डिया पॉलिसी निर्धारित करते हैं उसके इमोल्यूमेन्ट्स क्या हों ? मैं समझता हूं कि सरकार ने उनकी क्वालिफिकेशन और इमोल्यूमेन्ट्स के बारे में कभी किसी प्रकार का विचार नहीं किया होगा । पटवारी संघ एक मांग प्रस्तुत करता है । उनकी मांग है कि जो बर्डन उन पर है उसको डिस्चार्ज करने में उनकी बहुत इनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है और इसको कम्पेनसेट कैसे किया जावे, इस पर सरकार ने कभी विचार नहीं किया । आज का पटवारी एक एल. डी. सी. और यू. डी. सी. से कम काम नहीं करता । आप जाकर गांव में देख लें । कोई भी तहसील का मामला हो, तामील करनी हो तो सारी उसको करनी पड़ेगी । किसी प्रकार का रेवेन्यू का आंकड़ा तैयार करना होगा तो उसको करना पड़ेगा,

( श्री भैरोंसिंह )

लौन वगैरह के सम्बन्ध में उसको जानकारी देनी पड़ेगी, इर्रिगेशन के बारे में, अकाल के बारे में, वारिश के बारे में, अतिवृष्टि के बारे में, अनावृष्टि के बारे में, फसल के बारे में जब कोई जांच की जाती है तो वह सारा काम पटवारी से कराया जाता है । जिसके ऊपर इतना बोझा हो उसका आर्थिक समाधान आपको करना पड़ेगा। नहीं तो गांवों में आज हमें कई शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि अमुक ने खातेदार के खाते में गिरदावरी दर्ज नहीं करके दूसरे के नाम दर्ज कर दी, गिरदावरी में नाम चेन्ज कर दिया, खातेदारी बदल दी, रजिस्टरों में इरेजेज़ भी देखने को मिलते हैं, ये सब इस वजह से है कि जिस प्रकार का काम का लोड उस पर हमने डाल रखा है उसके मुकाबले में उसको हम उतना इमोल्यूमैंट नहीं दे पाते तो उसकी पूर्ति के लिये मजबूर होकर उसको रिश्वत खानी पड़ती है। उसको इस प्रकार की गलत बातें करने को मजबूर होना पड़ता है । मैं कहना चाहूंगा कि मैं रिश्वतखोरी के पक्ष में नहीं हूँ । पर जो इसके कारण होते हैं और जिसके कारण नाहक में किसान को भी लिटीगेशन में फांसा जाता है, जिसमें आकर किसान की सारी की सारी इनकम भी समाप्त हो जाती है तो इसके साथ हमें यह भी देखना होगा कि हमारे द्वारा ये कारण दूर किये जाते हैं या नहीं।

इसके साथ यह भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां सैटलमेन्ट के अमीन और सर्वेयर इनकी युनिफाइड पे में या रेशनेलाइज्ड पे में उनके आधार पर उन दोनों में विशेष प्रकार का अन्तर रखा जाता है। सर्वेयर फर्स्ट ग्रेड का है, बाकी का अमीन है। लैंड के सेटलमेंट के बारे में उनको काम करना पड़ता है। वे एक क्वालिफिकेशन के लोग हैं पर उनकी तनख्वाह में अन्तर आवेगा। सेटलमैंट में काम करने वाले अमीन को हार्ड वर्क करना पड़ता है। जरीब खींचते खींचते जो उसको शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है उसके मुकाबले में अगर हम मजदूर को एम्पलॉय करें तो तीन रुपये के बिना यह काम करने को वह तैयार नहीं होगा। पर बदकिस्मती यह है कि साधारण मजदूर के मुकाबले में आप उस जरीब खींचनेवाले अमीन का पेट भरने के बारे में किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था कि वह अपना पेट भर सके और उस ३) रु० रोज पाने वाले मजदूर से अधिक आराम से वह रह सके, नहीं कर पाते ।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, ये जितने कानून बने हैं इनका भी एक इतिहास है। हमारी सरकार इसके लिये कह सकती है कि लैंड रिफार्म्स के युग में ज्यादा कानून बनेंगे । मैं तो इनकी गिनती भी नहीं बता सकता पूरी पूरी। कोई लैंड रेवेन्यू एक्ट है, कोई टीनेन्सी एक्ट और उनके कितने ही अमेन्डमेन्ट्स हैं, पर यह कह सकता हूं कि एक एक साल में दस-दस और बारह-बारह अमेन्डमेन्ट आये हैं लगभग । आज किसी किसान को कोर्ट में भी जाना पड़े तो वकील को तो क्या, कोर्ट को भी पूरी जानकारी नहीं होगी कि अमुक प्रकार के कानून में कितने अमेन्डमेन्ट हो गये हैं। गलत रूप से कई बार किसान लिटीगेशन में फंस जाता है। तो मेरा निवेदन करना है कि इन सारे कानूनों का सरलीकरण करने के लिये एक लैंड रेवेन्यू कोड जल्दी से जल्दी बनाया जाय। आप सारे कानूनों को एक जगह करके छपा

( श्री भैरोंसिंह )

दें इसके लिये नहीं, पर इसके लिये कि आप उसमें देखें कि कहीं रिपीटीशन तो नहीं हुआ है, कहीं डुप्लीकेट फार्म्स तो नहीं है। तो इन सारी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिये लीगल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बैठानी चाहिए और जो सरलीकरण कानून का बनाया जावे उसे सदन में लाकर दुबारा पारित करना चाहिये। हिन्दी का–सरल हिन्दी में अनुवाद करवा कर किसानों में वितरित करना चाहिये ताकि किसान उनसे परिचित हो सकें और दूसरा, नाजायज रूप से लिटीगेशन में न फंस सकें।

मैं अन्त में यह भी कहना चाहूँगा सभा–पति महोदय कि बड़े जागीरदारों और किसानों के बीच में संघर्ष चलते थे; तो आज इस कन्सोलिडेशन के नाम पर, सैटलमैन्ट के नाम पर और बाकी के जो कानून बने हुए हैं कहीं खातेदारी के अधिकार के नाम पर, बाकी कुछ व्यवस्था करने के नाम पर आज किसानों के अन्दर वापिस झगड़े शुरु हुए हैं। उनको निपटाने में जो ऑर्डिनेरी कोर्ट्स से खड़े होते हैं तो पहले तो वहां पर काम की बहुतायत है और उसके कारण से डिस्पोजल केसेज का जल्दी से जल्दी नहीं होता। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जहां भी लैण्ड डिस्प्यूट्स हों वह किसान और किसान और किसी भी दूसरे और किसान के बीच में हों चाहे वह पजेशन के मुताल्लिक हो, डिस्पेजेशन के मुताल्लिक हो, चाहे खाते-दारी अधिकार एक्रू कराने के बारे में हों लेकिन सरकार कम से कम एक इस प्रकार का ऑर्डर निकाल कर जितने भी कोर्ट्स हैं उनको इस प्रकार का आदेश दे कि जितने भी लैण्ड डिस्प्यूट्स हैं उनमें जजमेन्ट लेट दिया जाकर लिटीगेन्ट को परेशान नहीं किया जा सकता और जितने भी केसेज आते हैं उनमें एक समय के अन्दर अन्दर जो सरकार निर्धारित करे, मैं समझता हूं कि ऐसा समय ज्यादा से ज्यादा ६ महीने का होना चाहिए, इससे ज्यादा समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए और यदि ऐसी व्यवस्था हो कि ऐसे डिस्प्यूट्स समरी ट्रायल कराके दूर करा सकें, तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए।

तीसरा प्रश्न जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, यदि सभापति महोदय आज्ञा दे दें तो........

**श्री सभापति** : आप एक मिनट में ही समाप्त कर दें।

**श्री भैरोंसिंह** : तो एक मिनट का समय तो लेना उचित नहीं समझूंगा। ऐसी हालत में निवेदन करूंगा कि जो कुछ मुद्दे मैंने सरकार के सामने रखे हैं सरकार उन पर सहानुभूति से विचार करे।

**श्री सभापति** : श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** ( माण्डल ) : माननीय सभापतिजी, भू- राजस्व की मांग पर आज बहस हो रही है और मैंने भी कुछ कटौती के प्रस्ताव इसलिए रखे हैं कि इसमें जितना पैसा खर्च किया गया है वह बहुत ज्यादा है वसूली के लिहाज से और वसूली में

( श्री गोकुलप्रसाद शर्मा )

अनियमिततायें इतनी हैं कि जिनकी गिनती भी करना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहां उदयपुर रियासत में सिंचाई विभाग अलग नहीं था और जमीन के लगान के साथ साथ पिलाई की वसूली की जाती थी और उसके बाद जब सिंचाई विभाग हुआ तो उसकी पिलाई अलग से ली जाने लगी। किसानों को चाही जमीन की पिलाई अलग देनी पड़ती है, जो पुराने तालाब हैं उनकी पिलाई अलग देनी पड़ती हैं और नये जो बांध बन गये हैं अगर उनसे पिलावें तो उसकी पिलाई अलग देनी पड़ती है। तो तीन तरह की पिलाई देनी पड़ती है चाही जमीन के लगान का जिस समय प्रावधान रखा गया था रियासतों के वक्त में किसानों को बारानी जमीन दे दी जाती थी और किसान अपनी मेहनत से कुआ खोदता था और अपनी मेहनत की कमाई उसको मिलती थी और उसमें सरकार का हक था कि बारानी जमीन ले ले, क्योंकि कमाई उससे ज्यादा होती थी इसलिए उसका नाम हासिल रखा गया था। लैण्ड रेवेन्यू जो हासिल का इन्टरप्रिटेशन किया गया है यह मेरी समझ में बिल्कुल गलत है। हासिल उसको कहते हैं जो हिस्सा हो और हिस्से का मतलब इनकम टैक्स है। अगर आप सरकार से बारानी जमीन लेते हैं तो ८ आना बीघा देना पड़ता है और उसमें कुआ आदि बना कर ज्यादा कमाई कोई करता है तो उसको ५) रुपया बीघा देना पड़ता है। तो वह हुआ इनकम टैक्स। तो उस हासिल को आपने लैण्ड रेवेन्यू बता दिया। लैण्ड रेवेन्यू के बजाय हासिल होता तो वास्तव में पुराने जमाने में यह इनकम टैक्स ही था। किसानों के पास और कोई काम नहीं था और राज्य चलाने वालों के पास भी दूसरे सोर्सेज नहीं थे तो वे कहते थे कि किसान जो कुछ भी कमायें वह उसमें से हिस्सा दें, तो हम अपने आराम से बैठे, खायें पीयें। इसलिए यह हासिल ली जाती थी। जब आपने इनकम टैक्स अलग कर दिया तो यह चाही जमीन जो हमने अपनी मेहनत से कुआ खोदा है उसको आप फौरन से बन्द कर दीजिए, अगर बन्द नहीं करते हैं तो जो तालाब बन रहे हैं उससे जो हम पानी पिलाते हैं उसकी पिलाई बन्द कर दीजिए। दोनों में से एक लीजिए। दो भाई हैं, एक के हिस्से में १५ बीघा आई। और दूसरे के भी हिस्से में १५ बीघा आई, तो एक ने मेहनत करके कुआ खोद लिया वह तो ७५ रुपये देगा और एक ने उस जमीन पर कुछ नहीं किया वह ७॥ रुपये ही देगा। दोनों को बराबर तालाब की पिलाई देनी पड़ेगी। तो आज उस आदमी को जिसने मेहनत से कुआ खोदा आपको जुर्माने के तौर पर चाही का लगान देना पड़ता है। अगर आप चाही का लगान बन्द नहीं करेंगे तो यह किसानों के साथ अन्याय माना जाना चाहिए।

अब इसके बाद बेटरमेन्ट लेवी की बात आती है। बेटरमेन्ट लेवी का चाही जमीन के साथ तो प्रश्न नहीं उठता है और दूसरी जमीनों में भी किसानों की माली हालत अच्छी हो जाये और इतनी जमीन दे दें तो बेटरमेन्ट लेवी का प्रश्न उठता है। इस समय जमीन इतनी किसान के पास नहीं है कि दो टाइम के लायक अनाज पैदा कर सके, उसके बाद में भी आप उससे बेटरमेन्ट लेवी लें तो यह गलत तरीका होगा। अगर यही बेटरमेन्ट लेवी शहर में ले ली जाये कि जो पांच हजार की

( श्री गोकुलप्रसाद शर्मा )

जमीन लेकर उस पर १५-२० हजार लगाने के बाद ५०० रुपया किराया का वसूल करते हैं क्या सरकार का ऐसे लोगों पर बेटरमेंट लेवी लगाने का इरादा है ? परन्तु आज हालत यह है कि जो आपके साथ मुकदमे लड़ सकते हैं उनसे तो आप कुछ ले नहीं सकते और उन्हीं से सरकार लेती है जो चुपचाप दे दें ।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, हमारे यहां जागीरी गांव बहुत से हैं । एक तमाशे की सी बात है, पर है बड़ी दर्दनाक । अभी हमारे यहां कोठारी और खारी नदी में बाढ़ आ जाने से तालाब टूट गये । जो जमीन पिलाई होती थी वह लगान उसके कारण लगा हुआ था । तालाब टूटने के बाद साल में आधा बीघा जमीन में भी खेती नहीं होती और ५० गांवों में आज तक लगान लिया जाता है । उन किसानों की हालत यह है कि उन्होंने आज तक कलेक्टर को कभी वहां देखा नहीं, लगान तो पटवारी वसूल करके ले आते हैं । किसानों को पेट भर खाना नहीं मिलता । रबी की फसल का लगान उनको देना पड़ता है । यह अनियमितता नहीं तो और क्या कहा जा सकता है ? उसको फौरन बन्द किया जाये । टूटे हुए तालाब अब बनने चाहिए । जागीरदारों ने तो नहीं बनाये । आप शहरों के आसपास बड़े बड़े बांध बनवाते हैं, लेकिन छोटे छोटे गांवों की तरफ भी तो ध्यान दीजिए । पहाड़ी इलाके से पानी का श्रोत आता है तो उसको पचास मील दूर जाकर बांधते हैं, अगर छोटे छोटे बांध भी गांवों में बना दिये जायें तो किसान अपना पेट तो कम से कम भर सकें । क्योंकि वहां पर दूसरी इन्डस्ट्रीज़ तो खुलती नहीं हैं । सरकारी अधिकारी आज तक उन गांवों में नहीं गये हैं । इसलिए अभी मन्त्री महोदय ने वहां पर दौरा किया था तो लोगों ने कहा था कि हमने तो शक्ल ही नहीं देखी कलेक्टर कैसा हुआ करता है ।

उसी प्रकार से जहां जहां सड़कें बनी हैं वहां यह कहा जाता है कि सड़कों पर जिस दिन से मिट्टी डल जायेगी उस दिन से लगान बन्द कर दिया जायेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज दिन तक लगान उस जमीन का लिया जाता है जहां सड़कें बन जाती हैं; उसका मुआवजा देना तो दूर रहा लगान आज १५ साल से उनसे लिया जा रहा है । जमीन उनके पास नहीं है, नहरें खोदी गयी हैं, नहरों के कारण जमीन देने से जो काश्तकारों को नुकसान हो रहा है उसके मुआवजे का पता नहीं है । केसेज़ ७ साल से चल रहे हैं, लेकिन पैसा उनसे बराबर वसूल किया जा रहा है और सरकार के पास जाकर कहते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है और कहते हैं कि सरकार के विचाराधीन है !

उसी प्रकार सिंचाई विभाग ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाल रखा है कि फरवरी के अन्त तक अगर तालाब का पानी खाली हो जायगा और पिलाई में अगर एक पिलाई होगी तो एक पिलाई और किसी ने दो दफा पिलाया तो दो ली जायगी । मैं निवेदन करूं कि नवम्बर में जो तालाब खाली हो जाता है और उसके पेटे में खेती करनी पड़ती है और नवम्बर में खाली करने के बाद जो पानी बेकार जाता है और नवम्बर तक जो नीचे की जमीन को पिला लेते हैं उनसे पूरी पिलाई वसूल होती है । जिसके लिए हमने विभाग के सब

( श्री गोकुलप्रसाद शर्मा )

अधिकारियों को टटोला और सिंचाई विभाग के मन्त्री महोदय से भी कई मर्तबा दर्ख्वास्तें की तो यहां से 'नैसेसरी एक्शन' के लिए हुक्म हो जाता है और वहां ले जाकर कहते हैं कि रख दो करते रहेंगे।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : इतना असन्तोष है तो उधर क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ?

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : वह यहीं से ठीक होगा। आपके वहां से नहीं होगा।

इस बात की ओर ध्यान दिया जाय।

अब जब जागीरदारी खत्म हुई तो जागीरदारों ने क्या किया है कि हजारों बीघा जमीन इस विभाग से मिल कर, चाहे अधिकारियों से मिले हों, चाहे पटवारियों से मिले हों, अपने नाम करवा ली। उसके अन्दर जंगल तक बना रखे हैं। मैं जिस कॉन्स्टीटुएन्सी से आया हूँ वहां के जागीरदार साहब ऐसे हैं कि उन्होंने शिकारबाड़ी बना रखी है अपनी जमीन में।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मन्त्री, राजस्व) : नाम बता दें।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : करेड़ा। जो यहां पहले विधान सभा के माननीय सदस्य थे श्री शिवचरणदासजी वहां यह हालत है कि उनकी शिकारबाड़ी में सैकड़ों सूअर रहते हैं जो किसानों की खेती को बरबाद कर जाते हैं। आस पास के गांवों के किसान इससे बहुत परेशान हैं। उसमें हिंसक पशु रहते हैं जो उनके बैलों और गायों को खा जाते हैं। गत वर्ष में २०० के करीब जानवरों को मार डाला गया। विभाग को लिखा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के यहां कई मर्तबा किसान एप्लीकेशन लेकर बैठ गये कि कुछ कार्यवाही शीघ्र होनी चाहिए, वहां गायें मर रही हैं और यहां आकर करते हैं तो नाम साफ हो जाता है। अब भी इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो वे लोग गांव छोड़ कर दूसरे गांव में चले जायेंगे या आप फिर उसको ठीक करवा दें।

अब जहां तक भूमि के वितरण की बातचीत है, बहुत अच्छे कानून आपके यहां पर बने हैं। देखने में तो बड़े शोभाजनक हैं। भूमि-सुधार के नाम पर जागीरदारियां ली गई हैं। जो लगान या दण्ड जागीरदार को देते थे उसके बजाय सरकार लेती है। इससे ज्यादा फर्क नहीं हो सका है।

अब ५० लाख लोग अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा दूसरे को देते हैं। ५१ में वे ३६ लाख थे और अब हो गये हैं ५२ लाख। ५२ लाख उन लोगों के दे देते हैं जो कि ३ लाख आदमी हैं। वे उनके यहां या तो हाली रहते हैं या आधी कमाई देते हैं। हिंदुस्तान भर में हम कहते हैं कि हमारे कानून बहुत अच्छे हैं लेकिन हिन्दुस्तान में उनकी संख्या ६.६ है तो हमारे यहां २२ पर्सेन्ट है। हम इसको भी कम नहीं कर सके हैं। जमीन का वितरण नहीं हो पाता है तो गांवों की हालत नहीं सुधरेगी। इसके लिये सीलिंग की बहुत जरूरत है। पता नहीं हम ५ साल पहले से सुन रहे हैं कि सीलिंग का कानून बन रहा है और ५ साल और निकल जायेंगे। ऐसा पता लगा है कि बन तो गया

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

है लेकिन लागू नहीं हुआ है ! लागू कब होगा, पता नहीं ? उसके बीच में जागीरदार क्या करेंगे कि जमीनों को बेचेंगे, किसानों से पैसा वसूल करेंगे। वे ही लोग जमीनें ले सकते हैं जिनके पास पैसा है। गरीब आदमी गरीब ही रहने को है, क्योंकि न तो उसके पास पैसा है और न ही जमीन ले सकता है। इस प्रकार की असमानता मिटानी चाहिए गांवों में से। पहले गांवों से मिटानी चाहिए। शहरों का फिक्र मत करिये। गांववालों को ठीक करिये क्योंकि वहां कोई जरिया ही नहीं है खेती के सिवाय।

पहले जब हम कृषि की जमीन को आबादी की जमीन में बदलवाने के लिए सरकार के पास दर्ख्वास्तें देते थे तो बहुत कम, मामूली पैसों में जमीन मकान या बाड़ा बनाने के लिए दे दी जाती थी। अब इस वक्त ऐसा कानून बनाया है, ऐसे रूल्स बनाये हैं कि १ रू० स्टेन्डर्ड गज के हिसाब से जमीन का पैसा लगेगा, जिन्होंने अपने खेत में मकान बना लिये हैं। इसी तरह से मेजा बान्ध के नीचे कीरखेड़ा गांव है जहां बिल्कुल जंगल की जमीन है, किसी काम की नहीं है, वहां पर ६ बीघा....

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : ट्रेजरी बैन्चेज खाली हैं। किससे कहें ?

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : ६ बीघा, २० बिस्वा के अन्दर किसानों ने मकान बना लिये हैं क्योंकि वे जहां पहले बसे हुए थे वह गांव कहीं डूब में न आ जाय इस डर से....

**श्री उमरावसिंह ढ़ाबरिया** : वे कुर्सी पर इसलिए नहीं हैं कि इसको खाली करना चाहते हैं।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : आज उनसे ५८ हजार रूपये मांगे जा रहे हैं और १-१।। रूपये स्टेन्डर्ड गज के हिसाब से ६ बीघा और कुछ बिस्वा के ५८,०००) रू० होते हैं तो इतना पैसा किसान कहां से लायेंगे मकान बनाने के लिए ? एक तरफ तो हम कहते हैं कि मकान बनाना चाहते हैं, उनको बसाये रखना चाहते हैं और जो आदमी अपने पैसे से बनाना चाहता है और वह भी जंगल में, उनसे इतना पैसा मांगें जो उस जमाने में भी नहीं मांगा गया था, जिस जमाने को मैं बहुत भद्दा जमाना समझता हूं, उन राजाओं के जमाने में भी नहीं मांगा गया था ! वे लोग इसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं, तहसील में २५-२५ पेशियां पड़ती हैं। हैरान किया जाता है किसानों को इस तरह से।

अब जहां अपने पैसों की बात करते हैं बचाने की तो हमारे पास इस विभाग में करीब ३०,००० से ऊपर ऐसे लोग काम करते हैं जिनमें ७ हजार और कुछ पटवारी हैं। जिस जमाने में पटेल रखते थे, नम्बरदार रखते थे गांवों में तो वे नम्बरदार इसलिए रखते थे कि एक तहसील में दो से ज्यादा अमीन नहीं होते थे। तो लगान वसूल करने निकलते थे तो अमीन पर्ची भेज देते थे और नम्बरदार पैसा वसूल करके लाता था। आजकल हर गांव के आसपास पटवारी है और वह वसूली कर सकता है। उसके पास ५ हजार खाते हैं। नम्बरदारों पर हम २० लाख रुपया खर्च करते हैं उनको हम बन्द नहीं कर पाये हैं। पटवारी ८,००० है और पहले ६०० अमीन थे। जब ८,००० पटवारी है तो यह ३० लाख गलत सरकार से

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

खर्च हो रहा है। यह ठीक है कि बरसों से हमारी नौकरी करते थे तो जिस तरह से जागीरदारों को मुआवजा दिया गया है उनको भी मुआवजा दें और मुआवजा देकर रवाना करदें। हम नहीं कहते कि बरसों से आपकी नौकरी करते थे तो उनको हटा दें लेकिन इस तरह से जबरदस्ती ३० लाख क्यों देते हैं जब कि दूसरे आदमी काम करते हैं........

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : इलेक्शन में मदद करते हैं।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : आप लोगों की भी मदद करते हैं।

अब जहां पटवारी के वसूल करने का प्रश्न आता है तो इतनी ज्यादा रकम नहीं है। एक पटवारी के पास साल भर में १०,०००) रु० से ज्यादा की रकम नहीं आयेगी। आप पूरा लगान उनके द्वारा वसूल करवायें तो १०,०००) रु० एक पटवारी वसूल करता है तो उसके ऊपर एक पटवारी होता है और एक चपरासी होता है, लेकिन वह इतनी बड़ी रकम नहीं है।

अब भू-राजस्व में जो काम करने वाले लोग हैं उनको दो भागों में बांट दिया है। भू-राजस्व में पटवारी को रखा है और तहसील और उसके अमले को सामान्य प्रशासन में ले लिया है, जिसमें एक करोड़ रुपया और कोई कुछ रुपया लगता है तो इसके सिवाय और कोई काम नहीं करते हैं कि पटवारियों की जो रिपोर्ट आ जाय उसको देख लें। दूसरा यह है कि तहसील का काम वसूली और तहसीलदार वसूली ऑफिसर है तो वसूली ऑफिसर का भी सम्बन्ध पटवारी से होगा या दूसरे से ? तहसीलदार को अगर हटाया जाय तो पंचायत समितियों में जो ब्लॉक हैं उनके अन्दर वसूली ऑफिसर हो जाय तो बहुत कम खर्च होगा और ज्यादा रुपये की भी जरूरत नहीं होगी। पटवारी के इनके साथ में देने से पंचायतों को एक लाभ यह होगा कि जो ग्राम पंचायतें हैं वे ४०)-५०) रु० का सेक्रेटरी रखते हैं उनको कुछ और एलाउन्स दिया जाय तो वह उनका भी काम कर लेगा। पटवारी साहब के पास काम क्या है ? विकास के कामों की रिपोर्ट करना और पंचायतों में भी विकास का ही काम रहता है, न्याय पंचायतें तो अलग हैं, तो पटवारी जो सड़क या कुए खुदवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट कर देगा उसका हिसाब रख लेगा। तो उसका वेतन कम से कम एक सामान्य क्लर्क एल० डी० सी० है उसके बराबर किया जाय। वे उनसे ज्यादा काम करते हैं और वेतन दो-तिहाई ही पाते हैं। यदि आप उनको पूरा वेतन नहीं देंगे तो ये फिर दूसरी तरफ जैसा कि पहले बोलनेवाले भाई साहब ने बताया था—माननीय सदस्य ने-वैसा ही तरीका काम में लेंगे और किसान जिसका पटवारी से हमेशा ताल्लुक रहता है नीचे से जैसा पटवारी करता है वैसा होता है तो वह पटवारी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। क्योंकि पटवारी ही जानवरों की गिनती करता है, वही आदमियों की गिनती करता, है वही मरनेवालों की गिनती करता है, वही अनाज कितना पैदा किया इसका अंदाज लगाता है, सैकड़ों तरह के हिसाब रखता है। उसको यदि आप वेतन कम देंगे तो वह बढ़ेगा। मामूली चपरासी हैं, उनको पंचायतों को दे दीजिये, तहसीलदारों को ब्लॉक में रख दीजिये। इस तरह से हिसाब लगावें तो मैं समझता हूं काफी कम खर्च हो

( श्री गोकुलप्रसाद शर्मा )

जायगा....

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

मैं दो मिनिट में खत्म करता हूँ। आज ७-८ साल का अर्सा हो गया है, जागीरदारों की जागीर आपने अपने हाथ में ले ली है, लेकिन आज तक उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का निर्णय नहीं हो पाया है। बहुत से जागीरदार तालाब आदि अपने कब्जे में किये हुए हैं किसानों के खेतों में तालाब से जो पिलाई होती है उसे आप अलग मांगते हैं और मोरी की चाबी जागीरदार के पास है। वे जब पानी देते हैं तो उनको अलग पैसा देना पड़ता है। पैसा देते हैं तभी पानी छोड़ा जाता है और उसकी रसीद जागीरदार नहीं देते हैं और आपके विभाग वालों में हिम्मत नहीं कि जागीरदार से चन्दा लेलें क्योंकि पट्टे में अपने नाम से अलग जमीन है। यदि आप इसका प्रबन्ध नहीं करेंगे तो किसान दो पिलाई नहीं देंगे। कई गावों में लड़ाइयां होती हैं। ५, ७ वर्ष हो गये जागीरदार अलग मांगते हैं। इसलिये उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का फैसला जल्दी से जल्दी कर दीजिये या जिस जमीन से पिलाई होगी वह आपके आधीन है ऐसा कानून में है लेकिन सिंचाई विभाग के आदमी आते नहीं है इस पर अमल करने के लिये। वे पिलाई का पर्चा लेकर जरूर आ जाते हैं इसलिये इन तालाबों के बारे में, जिनके नीचे पिलाई होती है उनका फैसला जल्दी से जल्दी कर दीजिये, उससे किसानों को लाभ होगा।

अब खेत की जमीन जागीरदारों के नाम कर रखी है, तालाब की पाल टूट गई है तो उसके पाट की जमीन, सैकड़ों वर्षों से मिट्टी लेते आये हैं लेकिन आज नहीं ले सकते। अफसर भी कहते हैं कि पाट की जमीन तो जागीरदार की है वह नहीं देगा। जागीरदारी तो रही नहीं लेकिन जमीन पर अब भी कब्जा किए हुए हैं। पाल टूट गई है तो वह ठीक नहीं कराई जा सकती। तालाब टूटे रह गये तो पानी के बिना लोग रोजी नहीं कमा पायेंगे। आगे भी इस तरह का हाल रहा तो दिक्कत हो जायगी। इसी तरह से कहना है कि सीलिंग जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाय और दूसरी तरफ से जो पैसा लिया जाता है उसे बन्द किया जाय यही कहना हैं।

**श्री विजयसिंह झाल ( नाथद्वारा ) :** माननीय सभापति महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं।

अभी सबसे पहले मैं जो भूमि एलॉट हुई है ७-८ साल में उसके बारे में, मैं अर्ज करना चाहता हूं। अभी जो माननीय सदस्य ने कहा था पुराने जमींदारों का हवाला देकर कि पुराने जागीरदारों ने बहुत सी जमीन अपने अधिकार में करली है, उसके साथ ही साथ यदि वे नये जागीरदारों के बारे में कुछ कहते तो मेरी समझ में बहुत ही अच्छा होता।

तो आज मैं कुछ नये जागीरदारों ने जो इस एलॉटमेंट के ज़रिये जमीन अपने अधिकार में ले ली है, जिसमें कुछ मिनिस्टर भी आते हैं जो शायद अब हार गये हैं या सात-आठ साल पहले मिनिस्टर रहे हैं, या ऐसे नेता आते हैं जिनको टिकिट नहीं मिला है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले ८ सालों में जितनी जमीन अलॉट हुई वह

( श्री विजयसिंह झाला )

राजनैतिक आधार पर एलॉट हुई है या तो ऐसे आदमियों को मिली जो स्वयं नेता हैं या ऐसे आदमियो से सम्बन्धित हैं या जिनके पास पहले से जमीन थी उन्होंने जो उनसे छूट गई थी उसको वापिस ली है। इसका सही उदाहरण देखा जाय तो नारा और मगरा जिसको नेता नगरी के नाम से पुकारते हैं, उसमें सारे के सारे नेताओं के आदर्श फार्म्स हैं, जो साल में एक दफा भी जाकर नहीं सम्भालते हैं लेकिन किसान कहलाते हैं, चाहे उन्होंने जाकर जमीन के दर्शन भी नहीं किये हैं, लेकिन वहां पर नेता नगरी के नाम पर आदर्श नगरी........

**एक माननीय सदस्य** : नेता नगरी कैसे है ?

**श्री विजयसिंह झाला** : इसलिये कि वहां पर नेता ही नेता लोगों की जमीन है। तो इस प्रकार के कई उदाहरण मैं बता सकता हूं, जिनको जमीन एलॉट हुई है सात–आठ साल में वह ऐसे व्यक्तियों को एलॉट हुई है जो दरअसल में खेती नहीं करते हैं। केवल राजनैतिक आधार पर, या तो चुनाव में कांग्रेस को सहायता दी है या नेताओं से सम्बन्धित आदमी है।

इसी प्रकार जो कृषि सहकारी समितियां बनाई जाती हैं उनका उद्देश्य चाहे अच्छा है लेकिन आज दिन तक उनकी मार्फत जितनी जमीन अलॉट हुई वह भी ऐसे व्यक्तियों को अलॉट हुई है जिनके नाम नहीं बताना चाहता........

**एक माननीय सदस्य** : नाम बताइये ?

**श्री विजयसिंह झाला** : गुलाबसिंहजी शेखावत, वर्मा साहब, जन्नूभाई और भी कई नाम बता सकता हूं........

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : वर्माजी ने एक इन्च भी जमीन अलॉटमेंट में नहीं ली है।

**श्री विजयसिंह झाला** : अलॉटमेंट में नहीं ली होगी........

**श्री सभापति** (श्री भीमसेन) : जो व्यक्ति सदन में नहीं हैं और जवाब नहीं दे सकते उनके बारे में यहां कुछ नहीं कहा जाना चाहिये।

**श्री विजयसिंह झाला** : अच्छा यह होता कि नाम जानने की कोशिश नहीं करते तो मुझे नाम बताने की नौबत नहीं आती। मेरे पास बहुत से नाम हैं आप चाहें तो बता सकता हूं। मैं जो कह रहा हूँ उसको नहीं सुनना चाहते हैं, नये जागीरदारों की परिभाषा से दुःख होता है तो....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप मन्त्री, राजस्व ): कटौती प्रस्ताव रखा है उस पर बोलें।

**श्री विजयसिंह झाला** : कटौती प्रस्ताव यही है कि ऐसे व्यक्तियों को जमीन अलॉट हुई है जो खेती का पेशा नहीं करते। राजनैतिक स्टैंट पर एलॉटमेंट हुआ है इसलिये कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि ये सारे के सारे एलॉटमेंट खारिज कराये जावें और एक कमेटी नियुक्त करके ऐसे व्यक्तियों को किये जांय जो खेती करते हैं और खेती से सम्बन्धित हैं। ऐसे नेता लोगों से चाहे वे

( श्री विजयसिंह झाला )

जागीरदार पुराने हैं लेकिन खेती नहीं करते हैं उनसे जमीन ले लें और सारे के सारे नये जागीरदारों का खयाल रखें ...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): On a point of order, Sir, जिनको नयी जमीन एलॉट हुई है उनके नाम सदन में बताये जावें तो क्या हर्ज है ? इससे सदन को जानकारी होगी ।

**श्री विजयसिंह झाला** : मैंने नाम लिये उस पर सभापतिजी को एतराज है कि वे सदन में मौजूद नहीं है....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : बहुत से मर चुके होंगे, उनको कैसे पेश किया जा सकता है ?

**श्री विजयसिंह झाला** : मरे नहीं हैं, जिन्दा हैं । कृषि मन्त्रीजी को जांच करनी चाहिये....

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : यह मांग कृषि मन्त्रीजी से सम्बन्धित नहीं है, राजस्व मन्त्रीजी से सम्बन्धित है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : किसी के भी नाम पर हो, लेकिन आपके नाम पर तो नहीं है, आप विराजिये ।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिनको जमीन एलॉट हुई है और आज से ५ साल पहल एलॉट हुई है वह उन गरीबों को नहीं दी गई है और अगर किसी को दी भी गई है तो उनके एलॉटमेंट के कागज सारे के सारे गुम हो गये हैं । यदि इसका उदाहरण चाहते हैं तो आज से ५ वर्ष पूर्व नाथद्वारा तहसील में जब गुरुबख्शसिंह सक्सेना तहसीलदार थे और मैं भी उस कमेटी का सदस्य था सरपंच होने के नाते और उस कमेटी की मार्फत जिन-जिन गरीबों को जमीन एलॉट हुई थी, वे सारे के सारे कागजात गुम हैं, उसकी जांच करें । तो एक ओर गरीब किसानों को जरूरत थी उनके कागजात गायब हुए और जिनको जरूरत नहीं थी वे अपने कब्जे में जमीन को लेते जा रहे हैं ।

उसके बाद में एक सर्क्युलर हमारी राजस्थान की सरकार ने निकाला । उसके अनुसार तहसीलदार को यह अधिकार दिया गया कि जिन व्यक्तियों का नाजायज़ कब्जा है जमीन पर पांच साल से ज्यादा का, अगर उसके पास पन्द्रह एकड़ से कम जमीन है तो नाजायज कब्जे की जमीन को उसके हस्ते दे दिया जाय ! इस सरक्यूलर के अनुसार दरअसल में जिन किसानों को जमीन मिलनी चाहिए, उनको इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे गरीब किसान है । वे डर से जमीन पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं कर सके । उसके विपरीत जो स्ट्रोंग आदमी हैं, जिनका गांव में प्रभाव है, जिनके पास जमीन थी उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया और उनके खुद के नाम जमीन होते हुए भी उन्होंने लड़कों के नाम नाजायज़ कब्ज़ा बताया और बहुत सी जमीन उस सर्क्युलर के अनुसार, जिनके पास वह ज़मीन थी उनको अलॉट कराई ।

इस तरह मैंने तीन बातों की ओर अलॉटमेंट के सम्बन्ध में ध्यान दिलाया है,—सबसे पहले तो जिनके पास जमीन है और जिनके

( श्री विजयसिंह झाला )

कागज गुम हुए हैं, उसकी ओर ध्यान दिया जाय। दूसरे जो गलत अलॉटमेंट्स हुए हैं, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय। और जो कृषि सहकारी समिति उदयपुर में बनाई हुई है, जिसकी सूची मेरे प्रश्न के उत्तर में सात-आठ दिन पहले रखी थी कि इसके पास तीन हजार बीघा जमीन थी, जिसका अलॉटमेंट दो सौ सदस्यों को हो गया है। आप इस सम्बन्ध में जांच करें कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो खेती करने वाले हैं ? तो पहला कटौती का प्रस्ताव मेरा अलॉटमेंट की नीति के बारे में था।

दूसरा, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि प्राइज़ बोंड्स जो गांवों में वितरित हुए हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ । पहले जो शिकमी काश्तकार से छूट चाकरी वसूल की जाती थी, वह आज नम्बरदार से प्राइज बोंड के रूप में वसूल की जाती है। राजस्थान के तहसीलदारों ने गत साल ५० परसेन्ट रकम नम्बरदारों के वेतन में काठ ली। इस साल जब वह ५० परसेन्ठ काटने लगा तो कुछ नम्बरदारों ने ऑब्जेक्शन उटाया तो दस परसेंट रकम नम्बरदारोंके वेतन में से काट ली। हमारे नम्बरदार हैं वे इस सम्बन्ध में जानते नहीं हैं, प्राइज बोड्स के सम्बन्ध में जानते नहीं हैं कि दरअसल में उनको इनाम मिलेगा या नहीं। लेकिन उनको इस प्रकार जबरदस्ती दिये हैं कि अगर नहीं लेते हो तो नम्बरदार की पोस्ट्स हटाई जायं। इस प्रकार की धौंस देकर नम्बरदारों के वेतन से दस परसेन्ट काट लिया। इसके साथ ही जिन्होंने तकावी ली और विकास कार्यों के लिए जिन्होंने रुपया लिया, उनकी रकम में से आवश्यक रूप से प्राइज बोड्स् की रकम काटी। आप सारी की सारी लिस्ट उठा कर देख लें, एक भार रूप में यह प्राइज बोंड्स् पड़े हैं। इस प्रकार जो प्राइज बोंड्स् का पैसा जबरदस्ती से, तकावी में से, विकास के कार्य के लिए दिये गये रुपये में से काटा गया है, इस ओर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें।

इसके बाद में लैंड रेवेन्यू के जो केसेज़ तहसीलदार की कोर्ट में और एस.डी. ओ. की कोर्ट में पेंडिंग में पड़े रहते हैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं.....

**श्री सभापति** : इस सम्बन्ध में आपका कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है।

**श्री विजयसिंह झाला** : इसमें है, तहसीलदार की नीति में आ जायगा।

**श्री सभापति** : आप समय का ख्याल रखते हुए बोलें।

**श्री विजयसिंह झाला** : जी हां। पन्द्रह मिनट हैं, उसमें खत्म कर दूंगा।

इसमें मेरा सुझाव है कि रेवेन्यू कोर्ट्स के बहुत से अधिकार सिविल कोर्ट्स को दिये जा सकते हैं। उसको अधिकार दे दें तो अच्छा है। इनके अलावा जो न्याय पंचायतें हैं उनको बहुत से अधिकार दिये जा सकते हैं.....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : रेवेन्यू कोर्ट के अधिकार सिविल कोर्ट को देना चाहते हैं ?

**श्री विजयसिंह झाला** : मेरा सुझाव है। अगर दे दें तो अच्छा है। और इसलिए अच्छा है कि सात-सात, दस-दस साल के पुराने केसेज़ पड़े हुए हैं। मेरी समझ में टूर प्रोग्राम आपके होते ही हैं, उसके साथ ही साथ आप कुछ तहसीलों का निरीक्षण कर लें कि कितने केसेज़ तहसीलों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं आपको पर्सनल राय दूंगा कि आपका चित्तौड़ जिले में, उदयपुर जिले में, टूर हो तो दूसरे कार्यक्रम के साथ आप तीन चार तहसीलों का इन्सपेक्शन करें। यह आपकी डिग्निटी के नीचे की चीज नहीं है, तो आपको मालूम होगा कि एक एक तहसील में एक एक हजार केसेज़ पैंडिंग हैं और वे भी पांच-सात साल से पड़े हुए हैं। बहुत से केसेज़ में तो दोनों पार्टियों ने, अपनी पैरवी भगवान के भरोसे छोड़ कर, पेशी में उपस्थित होना बन्द कर दिया है। यहां तक कि वकीलों ने भी हैरान होकर उन केसेज़ में पैरवी करना छोड़ दिया है और ली हुई फीस वापिस दे दी है.....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह बात नहीं जंची।

**श्री विजयसिंह झाला** ; कोई वकील तहसीलदार और एस. डी. ओ. की कोर्ट में जाना उचित नहीं समझता।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कौन से तहसीलदार के पास इतने केस पड़े हैं ?

**श्री विजयसिंह झाला** : आप सबकी जांच करा लीजिये, ५०० केसेज़ से कम नहीं होंगे।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : आप इसका रेफरेन्स दें तो मैं जानकारी कर लूं।

**श्री विजयसिंह झाला** : नाथद्वारा, गिरवा, मावली को ले लीजिये, पांच सौ से नीचे भी केसेज नहीं होंगे। वृक्षों के मुवावज़े के केसेज ले लीजिये.....

**एक माननीय सदस्य** : हज़ारों हैं।

**विजयसिंह झाला** : उनके लिए लोगों ने दर्ख्वास्त दी, लेकिन छः छः महीने हो गये, केस दर्ज नहीं हुए हैं। ऐसी हालत है, इस ओर आप ध्यान दें और आवश्यकता समझें तो विधायकों को यह अधिकार दे दीजिये कि वे तहसीलों से पता लगायें कि कितने केसेज़ पैंडिंग हैं, कितने केसेज़ कितने समय से पड़े हुए हैं और उसकी रिपोर्ट आपको लाकर दे दें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों को मज़बूर होकर जो राइटस प्राप्त होने चाहिए वे राइट्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं और अनन्नेसेसरीली बहुत सा खर्चा उनके ऊपर पड़ता है !

एक कटौती का प्रस्ताव पटवारियों के बारे में है। इनके बारे में माननीय सदस्य पहले बहुत बोल चुके हैं। मेरे ख्याल से प्रशासन विभाग की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पटवारियों के ऊपर है, सबसे ज्यादा कार्य पटवारियों के हाथ में है। एक एक पटवारी को चौबीस रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं और वे रजिस्टर भी छोटे मोटे नहीं। एक-एक रजिस्टर में तीस, बत्तीस खाने होते हैं, और वे रजिस्टर लिमिटेड समय में, एक साल में कभी कभी दो-दो बार भरने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उनका काम देखा जाय और उसके बाद उनका वेतन देखा जाय, उनके रहने की सुविधा देखी जाय, तो मेरे ख्याल से पटवारियों के लिए एक भी

( श्री विजयसिह झाल )

क्वार्टर नहीं बना है। जब कि इसके विपरीत ग्राम सेवक के लिए, जिसको सवा सौ रूपया वेतन मिलता है, कई फेसिलिटी हैं और उनको कम काम करने पड़ते हैं बनिस्पत पटवारी के। इन चौबीस रजिस्टरों में से बहुत से रजिस्टर ऐसे हैं जो ग्राम सेवक मेंटेन कर सकता है और पटवारियों का काम हल्का हो सकता है। मैं सुझाव दूंगा कि इस सम्बन्ध में जांच करके, जो बहुत से रजिस्टर ग्राम सेवक मेंटेन कर सकता है, उससे मेंटेन कराये जायें। इसके साथ ही पटवारियों का रेकॉर्ड ऐसी जगह पड़ा हुआ है कि एक पटवारी का रेकॉर्ड चूहा काट गया, हमारे गांव में काट गया। इसलिए रेकॉर्ड रखने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके अलावा मेरे खयाल से रेवेन्यू कलैक्शन का काम पंचायत को दे दिया जाय तो पटवारी का काम हल्का हो जायगा और पटवारी सैक्रेटरी के रूप में पंचायत का काम करेगा, उसका कुछ अलाउन्स भी बढ़ जायगा और उसकी जिम्मेदारी भी कुछ हल्की हो जायगी। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि एक पटवारी का भार हल्का करने के लिए पंचायत को रेवेन्यू कक्लैशन का काम दे दिया जाय। साथ ही जो रजिस्टर ग्राम सेवक मेंटेन कर सकते हैं, वे ग्राम सेवक से मेंटेन कराये जायें।

ये कटौती के प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री सभापति** : श्री अब्दुलजब्बार।

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति, आज भू-राजस्व के ऊपर अपने कटौती के प्रस्तावों पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं और सरकार से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस सम्बन्ध में जो गड़बड़ियां चल रही हैं, जो गैर-कानूनी कार्यवाही है उनको तुरन्त रोका जाय। आज काश्तकार की बहुत बुरी हालत है और वह बहुत ज्यादा परेशान है। मिसाल के तौर पर जहां सरकार बांध बनाने की योजना बना रही है, योजना को कार्यान्वित किया है, बांध बनाये हैं तो कम से कम यह देखने की चीज है कि जो बांध में आई हुई जमीन है, उस पर लगान वसूल किया जा रहा है या नहीं। मैं ताज्जुब के साथ यह बात सदन के सामने रख रहा हूँ कि लोग-बागों की जमीनें बांध में आ गई है, लोग-बागों की जमीनों में गड्ढे खुद गये हैं, लोग-बाग की जमीन में कैनाल निकल गई है, लोग-बागों की जमीन में पानी फैला हुआ है लेकिन उन काश्तकारों से आज भी लगान वसूल किया जा रहा है। एक साल नहीं दो साल नहीं, पांच-छः साल से वसूल किया जा रहा है। यह एक इतनी अफसोस की बात है कि जिसका कोई जवाब नहीं है और जिसकी कोई मिसाल, या सानी, जिसको गैर-कानूनी कार्यवाही कहा जाय, नहीं हो सकती है। अब यह नहीं कि इससे काश्तकारों को परेशानी होती है, लेकिन आज सब से बड़ा मसला यह आता है कि जो फिगर्स हैं, प्रोडक्शन के, जो फिगर्स हैं हमारे ज़ेर-काश्त जमीन के, जो हमारे एक्सपर्ट या टेक्नीकल हैड्स या उनको कहा जाय, जिनका रेफरेन्स दिया जाता है, हमारे टेक्नीकल हैंड्स काम कर रहे हैं, उनकी तमाम रिपोर्ट गलत होती है। मैं सरकार को

( श्री अब्दुलजब्बार )

चैलेंज करता हूं कि वे तमाम रिपोर्ट गलत हैं। क्योंकि आज जितनी भी जमीन है उस पर कैनाल बनाई जाती है, फिर भी उस जमीन का लगान काश्तकारों से वसूल हो रहा है। यह कितना अंधेर है मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि मुलाना नाम का एक ग्राम है। वहां के लोगों की जमीन सरकार ने कैनाल के लिए ली और वहां पर मिट्टी खुद रही है और वहां पर पांच-पांच साल से एक पौधा भी पैदा नहीं होता, फसल का नाम तो दूर रहा। मगर फिर भी उस जमीन पर लोगों से लगान वसूल किया जा रहा है। इसको सबसे बड़ा अन्धेर नहीं कहा जाय तो क्या कहा जाना चाहिए? काश्तकार लोग लगान देने से मना करते हैं और कहते हैं कि उनकी जमीन तो सरकार ने ले ली है तो उन पर कुर्कियें निकाली जाती हैं और डिमान्ड नोटिस निकाले जाते हैं। यह बहुत ही अन्याय की बात है। आज हम अपने भू-राजस्व विभाग पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं फिर भी भू-राजस्व में काश्तकारों को किसी प्रकार का सुख अनुभव नहीं होता है और उल्टी उनसे परेशानी होती है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां कहीं कैनाल पर मिट्टी डालने का प्रश्न आता है और कहीं लीकेज हो जाता है तो वहां आस-पास के खेतों से मिट्टी खोद कर खेत में गड्ढे बना दिये जाते हैं और खड़ी फसल को बरबाद कर दिया जाता है। उस समय काश्तकारों की बात को कोई नहीं सुनता है। काश्तकार चिल्लाते रहते हैं, मगर उनकी कोई नहीं सुनता। उल्टा काश्तकारों को यह कहा जाता है कि जो कुछ करना हो सो कर लेना। आप ही सोचिये कि इस प्रकार के ज़ुल्म को क्या कहा जाए? इसको नादिरशाही कहा जाय या हिटलरशाही कही जाए या ज़ारशाही कहा जाय। मैं कहूँगा कि कौन सी ऐसी बात है जिससे काश्तकारों के साथ अन्याय नहीं होता है। काश्तकारों को फ़सल में चाहे चना बोया हुआ हो या दूसरी फ़सल खड़ी हो उसकी कोई परवाह नहीं करते और जमीन को बिना मुआवज़ा दिये जमीन भी ले ली जाती है। क्या सरकार इस संबंध में जुल्मों को कम करने के लिए तेजी से कदम उठाएगी?

इसके साथ साथ मैं अन्य बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और आपके सामने रखता हूं कि राजस्व विभाग से तनख्वाह पानेवाले लोग किस प्रकार से काम करते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि एक गरीब बेवा है। हमारे मुख्य मंत्री इस विभाग को संभाले हुए हैं इसलिए मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नन्दू नाम की जाटनी है, कीली गांव में रहती है। उसकी तरफ उस बेचारी बेवा की जमीन को जबरदस्ती सरपंच ने अपने कब्जे में कर लिया। उसने सब जगह पुकारा, यहां तक कि वह पण्डित नेहरू को कोठी तक भी पहुंची। उसके बाद में नाजायज़ तरीके से कितने ही दस्तख्त करा लिये गये। वह खुद काश्त करना चाहती है, मगर वह जमीन उसको नहीं दी जा रही है।

जैसा मेरे दोस्त तकरीर कर चुके हैं कि नये जागीरदारों को पनपाया जा रहा है....

**श्री सभापति** : आपका कटौती प्रस्ताव तो कलैक्शन के सम्बन्ध में है।

**श्री अब्दुलजब्बार :** मैं इसी सम्बन्ध में कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वसूलियात दिखाई जाती है वह गलत है। इससे फाल्स रेकॉर्ड तैयार होता है। अगर हम किसी विदेशी सरकार को अपने आंकड़े बतावें तो यह सबसे बड़ी गुमराह करने की बात होगी। हम पब्लिक द्वारा चुन कर आते हैं और यहां पर हम पैसा लेते हैं। इस तरह से जो खामियें हैं उनको बतलाना हमारा फर्ज़ होता है। यदि हम उन खामियों को नहीं बताते हैं तो हम जो पैसा लेते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम हमारे फाल्स रेकार्ड जो इस तरह से तैयार किये जाते हैं उसको ठीक करने में सहयोग नहीं देते हैं तो हम अपना फर्ज़ अदा नहीं कर करते हैं। वह उसी तरह से है।

उन जमीनों पर काश्त नहीं होती है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है और फिर भी रेकॉर्ड पर प्रोडक्शन दिखाई जाती है तो वह रेकॉर्ड गलत होता है।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि लगान काश्तकारों से लिया जाता है वह किस प्रकार से लिया जाता है? वह अगर एक समय लगान नहीं देता है तो उससे कितना लिया जाता है? मेरे पास पर्चे मौजूद हैं। यह एक बहुत मज़े की बात है। आपको सिवाय काश्तकार के कोई दूसरा लगान देनेवाला इस तरह से नहीं मिलेगा। किसान बहुत ग़रीब है वह कोई सोने का अंडा देनेवाली मुर्गी तो नहीं है, वह धोती अपने पेट पर लपेट कर अपना पेट दिन भर मज़दूरी करके भरता है। उस काश्तकार से आप कितना लेते हैं? यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक काश्तकार ७०) रुपये लगान के देता है, उस पर सर-चार्ज ७ रु० ५८ पैसे और दूसरे साल देता है तो ७४) रुपये और सरचार्ज और उसको ७) ब्याज़ के देने पड़ते हैं। जिस समय आपको काश्तकार से लेना होता है तो आप उससे ब्याज़ ले लेते हैं और अगर काश्तकार को आपको मुआवज़ा देना हो तो आप उसको कई वर्षों तक मुआवज़ा नहीं देते और कोई ब्याज़ नहीं देते। जबरदस्ती उसकी जमीन ले लेते हैं जिसको डकैती नहीं तो क्या कहा जाए? चार-चार साल तक आप उन गरीबों को उनकी जमीन का मुआवज़ा नहीं देते हैं। जब आप लगान वसूली करने में सर-चार्ज़ के साथ-साथ ब्याज के भी ७) लेते हैं तो आप बतावें कि आप काश्तकार को किस तरह से राहत देते हैं? एक तरफ आप अपना पलड़ा भारी रखते हैं तो दूसरी तरफ आप किसान को इस तरह से कमज़ोर बनाते हैं। इसी तरह से दूसरी रसीद मेरे पास अहीरपुरा नीमबली की हैं। अगर आप इसकी जांच फरमावेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से काश्तकारों के साथ जुल्म किया जा रहा है और वह कहां तक ठीक है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

७०) रुपये की रसीद है। उस पर १ रु० ६ पैसे और कुछ सरचार्ज है। ये दृष्टान्त मैं आपको दे चुका हूं।

हमें लगान वसूल करना पड़ता है क्यों कि हमें सरकार का खर्चा चलाना पड़ता है,

( श्री अब्दुलजब्बार )

इसलिए हम उसमें ना नहीं करते और न करेंगे। मगर साथ साथ यह भी निवेदन करेंगे कि वह खर्चा ठीक तरह से होना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप लगान वसूली करते हैं इसलिये कहता हूँ कि निम्बाहेडा में गवर्नमेन्ट गार्डन है माननीय मंत्री नोट कर लें, वहां की जमीन को पब्लिक गार्डन के लिये हैन्ड ओवर कर दिया जावे तो बहुत अच्छा होगा। इसका काश्तकारों पर बुरा बोझ है वह मिट जावेगा और पब्लिक गार्डन बनने से लोगों को फायदा होगा। इस बाग की यह हालत है कि भुट्टे निसन्डी लगा कर तोड़े जाते हैं। ६ इंच का पौधा था और चींटी के बराबर भुट्टा नहीं आया। इसलिये इसका असर हमारे काश्तकारों पर पड़ता है। इसके साथ साथ एलॉटमेंट में पक्षपात होता है।

**श्री सभापति** : आपका एलॉटमेंट के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

**श्री अब्दुलजब्बार** : सभापति महोदय, रेवेन्यू किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? वसूली के साथ साथ इसको बढ़ाने का प्रश्न है। इसलिये जब हम किसी प्रकार की मांग करते हैं सरकार से तो सरकार कह सकती है कि आमदनी नहीं है। तो उस समय कहा जा सकता है कि हमने आपको आमदनी का जरिया भी बताया, आप उस पर अमल न करें यह आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा जो अधिकार है हम लेंगे।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

**श्री सभापति** : श्री श्रवणलाल।

( अनुपस्थित )

श्री जगनसिंह।

( अनुपस्थित )

श्री मोतीलाल चौधरी।

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : सभापति महोदय, मेरे इस पर दो कट मोशन्स हैं, नम्बर ४० और ४१। एक तो इस संबंध में है कि यहां पर भू-राजस्व, लैंड रेवेन्यू क्लेक्शन का खर्चा है वह सबसे अधिक है। पिछले बजट के अधिवेशन में भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था कि जिस तरह का टैक्सेशन है वह केनन ऑफ टैक्सेशन के तरीके से गलत है। केनन ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से वही होना चाहिये जो सस्ता हो। किसी भी टैक्स को वसूल करने का खर्चा अगर अधिक हो, ज्यादा हो तो वह गलत है। लैंड रेवेन्यू का इसमें नम्बर आता है। मैं सभापति महोदय, राजस्थान के आंकड़े पेश करना चाहता हूँ। कुल लैंड रेवेन्यू ८ करोड़ ७५ लाख है और खर्चा लैंड रेवेन्यू क्लेक्शन का २ करोड़ ६ लाख है। अगर परसेन्टेज के हिसाब से हम देखते हैं और खर्च करते हैं तो यह २२ परसेन्ट या २३ परसेन्ट पड़ता है। दुनियां में कहीं भी अगर १३ परसेन्ट से ज्यादा खर्चा पड़ता है तो उसको उचित नहीं माना जाता है और ज्यादा खर्चा तभी होता है जब टैक्स लगाने में गलती हो। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि राजस्थान में जितने टैक्सेज हैं, सेल्स टैक्स, स्टाम्प टैक्स वगैरह, उन सब पर ५ परसेन्ट से

( श्री मोतीलाल चौधरी )

ज्यादा एक्सपेन्डीचर नहीं पड़ना चाहिये । मैं इस बात को छोड़ देता हूँ जो टैक्सेशन के क्लेक्शन में खर्चा होता है । मगर जो किसानों को खर्चा भुगतना पड़ता है उसका हिसाब लगावें तो ५० परसेन्ट से ज्यादा किसानों को देना पड़ता है । किसानों को जिस समय गिरदावरी होती है उस समय उनको लगान के अलावा कई दूसरे पैसे देने पड़ते हैं और जब तक वे चार आना, आठ आना नहीं दे तब तक किसान को राहत नहीं मिलती है ।

गांवों में काश्तकारों को म्यूटेशन की फीस देनी पड़ती है, पटवारी की फीस के १० आने नहीं दे तो उसके नाम काश्त दर्ज नहीं होती, उसको स्लिप नहीं मिलती । इतना ही नहीं, इस डिपार्टमेन्ट में हिसाब देखें, जहां गिरदावरी का प्रबन्ध नहीं था, जागीरें थी, जागीरों के समय में लॉ नहीं था रेवेन्यू में म्यूटेशन नहीं हुआ है तो लैंड रेवेन्यू के आधार पर म्यूटेशन फी आधी देनी पड़ती है । म्यूटेशन फीस १) रु० देनी पड़ती है । अगर एक सौ रुपया म्यूटेशन फीस के हुए तो ५०) रुपये सरकार के पास आते हैं और ५०) रुपये पटवारी के पास जाते हैं ; जिस जिले से मैं आया हूं वहाँ म्यूटेशन फीस के एक एक पटवारी ने पांच-पांच हजार, दस-दस हजार रुपये इकट्ठे किये हैं । वे सरकार के पास नहीं आये । रेवेन्यू के साथ इसको लें, अगर कन्सोलिडेशन, सेटलमेन्ट, लैंड रेकॉर्ड के एक्सपेन्डीचर को लें तो ४० प्रतिशत एक्सपेन्डीचर पड़ता है । पटवारी और रेवेन्यू इन्सपेक्टर के खर्च को माइनस किया जाय तो २२ प्रतिशत खर्चा पड़ता है । हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स को देखा जाय तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन पर जितना खर्चा राजस्थान में आता है उतना और किसी स्टेट में नहीं आता । बजट स्टडी की जो यह किताब सप्लाई की गई है उसके पेज नं ४० पर रेवेन्यू टैक्स के बारे में चार्ट है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि लैंड रेवेन्यू का पर केपिटा राजस्थान मे है, लैंड की क्वालिटी पैदावार देखें तो राजस्थान में सबसे वर्स्ट, जिस स्टेट की सबसे रद्दी प्रोडक्शन केपेसिटी हो उसमें लैंड रेवेन्यू की वसूली पर दूसरी सब स्टेटस से ज्यादा खर्चा आता है :

| | | |
|---|---|---|
| राजस्थान | में | ४. ४७ |
| यू. पी. | में | २. २८ |
| पंजाब | में | २. २८ |
| मैसूर | में | २. ४० |
| महाराष्ट्र | में | १. ७० |
| गुजरात | में | १. ७० |

और हमारे यहां ४. ४७ है ।

इसके बाद में पर–केपिटा रिसीट है, डायरेक्ट डिमान्ड ऑन रेवेन्यू :

राजस्थान की १. ८६ है ।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** ( उप-मंत्री, राजस्व ) : यह कम्पेरेटिव फीगर्स पर--केपिटा लैंड रेवेन्यू के हैं ?

**श्री मोतीलाल चौधरी** : रेवेन्यू क्लेक्शन पर जो खर्चा होता है उसके हैं। एक्सपेन्डीचर साइड को देखें कि कितना खर्चा करते हैं :

( श्री मोतीलाल चौधरी )

| | |
|---|---|
| राजस्थान | १. ८६ |
| बिहार | १. १० |
| गुजरात | १. ५५ |
| मद्रास | ०. ६७ |

मद्रास के लैंड कलेक्शन्स हमसे ज्यादा हैं वहां ०.६७ है और राजस्थान में १.८६ है। इसके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात जोड़ेंगे। कह सकते हैं कि हमारे यहां तहसीलदार और कलेक्टर और भी काम करते हैं। इसके भी आँकड़ों को देखा जाय तो इस पर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा खर्चा होता है :—

| | |
|---|---|
| राजस्थान में | ४. ८ |
| बिहार में | ३. ५ |
| मद्रास में | ३. ८० और |
| केरल में | ३. १८ है। |

केरल में जहां कि प्रोब्लेम्स सबसे ज्यादा हैं, राजस्थान में दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में प्रोब्लम्स कम हैं, फिर भी खर्चा राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इसका कारण यह है कि डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइजेशन, तहसील रिऑर्गेनाईजेशन जब तक नहीं कर पायेंगे हमारा इस पर एक्सपेन्डीचर बढ़ता जायगा। एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट को लीजिये। वहां १ कलेक्टर है, ४ तहसीलदार हैं। उसी केडर का कलेक्टर जयपुर में भी रहता है, जयपुर की जनसंख्या १७ लाख है। सिरोही की रेवेन्यू जयपुर के मुकाबले में १।४ भी नहीं मिलेगी पर खर्चा दोनों पर बराबर पड़ता आ रहा है। कोटा में माननीय सभापति महोदय, कुल जन संख्या ८ लाख है, नागोर की जनसंख्या इससे कम है, एरिया नागोर से अधिक। एक्सपन्डीचर को देखें तो बराबर रेट ऑफ रेवेन्यू कोटा की नागोर से कम है, लैंड बेटर होते हुए भी, नागोर की लैंड रेवेन्यू रेट कोटा से ज्यादा है, हांलाकि नागोर से कोटा की जमीन अच्छी किस्म की है। कोटा में २० तहसीलें हैं और नागोर में ८ तहसीलें हैं। इनका कम्पेरिजन करते हैं तो पटवारी के लिए, कलेक्टर के लिए, तहसीलदार के लिए वही खर्चा पड़ता है। इसके बाद राजस्थान की रेवेन्यू रेट्स के बारे में बहुत सी बातें कहने को हैं, रिऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सी बातें कहने को हैं पर मैं इतना ही सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के माफिक सरकार ने बुद्धिमानी की कि कमीश्नर की पोस्ट एबोलिश करके खर्च को कम किया, कलेक्टर के वर्क में एफिसियेन्सी की। इससे खर्च में कमी करने की व्यवस्था मिली। उसी तरह से सरकार डिस्ट्रिक्ट्स को रिऑर्गेनाइज करे, तहसीलों का रिऑर्गेनाइजेशन करे तो इससे २ करोड़ रुपये की बचत सरकार को हो सकती है। एस्टीमेट्स कमेटी ने रिपोर्ट दी है। हमारे राजस्थान की पॉपुलेशन और इसके एरिया को देखते हुए २६ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हमें पोलिटिकल दृष्टिकोण को अलग रखना होगा। पोलिटिकल दृष्टिकोण से देश का डेवलपमेन्ट नहीं होता। डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा महत्व है। तो इसमें ६५ प्रतिशत डेवलपमेंट का, ४ पर्सेन्ट

( २.० म.प. )

एडमिनिस्ट्रेशन का और १ पर्सेन्ट पोलिटिकल

( श्री मोतीलाल चौधरी )

दृष्टिकोण को रखना चाहिये। सिरोही और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की तुलना करें तो इनमें रात दिन का फर्क है। सारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट से बाड़मेर की एक तहसील का एरिया ज्यादा है, जहां सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ४ तहसीलें हैं। पहले भी एक कमेटी इसके लिये बैठाई गई थी।

तो सब बातों को सोच कर, एफिसियेन्सी, एरिया, पॉपुलेशन, रेवेन्यू आदि सभी दृष्टिकोणों से देखने के साथ साथ हमारा यह सबसे पहला दृष्टिकोण होना चाहिये कि खर्चे में कमी हो और डेवलपमेंट हो। पोलिटिकल दृष्टिकोण को इसमें नहीं रखना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पर्सेन्टेज खर्च का जो हमारे यहां पर सबसे ज्यादा है उसको तहसील रिऑर्गेनाइजेशन के जरिये डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइजेशन के जरिये कम किया जा सकता है।

इसके बाद हमारे सेटलमेंट की, लैंड रेकॉर्ड की व्यवस्था है। मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जहां कि हमारे जैसी लैंड रेकॉर्ड की व्यवस्था खराब हो। एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारे यहां लैंड रेकॉर्ड की व्यवस्था है ही नहीं। हमारे यहां पर भगवान्-भरोसे ही यह व्यवस्था चल रही है, यह मैं मानता हूं। कहीं गांवों में पटवारी का रेकॉर्ड नहीं है............

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

**श्री सभापति** : समय का खयाल रखें।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन पर खर्चा होता है, वह बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिये। रेट्स भी ज्यादा हैं, रेट्स कम करनी चाहिये और एक्सपेन्डीचर को कम करने के लिये तहसीलों और डिस्ट्रिक्ट्स का रिऑर्गेनाइजेशन करना चाहिये।

उसके लिए सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा कि पांच पर्सेन्ट नम्बरदार लेता है, उस एजेन्सी को खत्म कर देना चाहिये और उसके लिए सोचा भी गया था, क्योंकि अब पंचायत समितियां और पंचायतें बन चुकी हैं, कोऑपरेटिव भी हैं। इसलिए-अब इस प्रकार की एजेन्सी की कोई आवश्यकता नहीं है। नम्बरदारी प्रथा को खत्म कर ही देना चाहिये। पंचायतों को, कोऑपरेटिव्ज को वसूली का काम दे सकते हैं।

दूसरा मेरा कटमोशन है वह लैंड कमीशन की रिपोर्ट के बारे में है। इस कमीशन को सरकार ने बुद्धिमता करके बैठाया था जिससे जमीन सम्बन्धी जो कानून हैं, जो दिक्कतें किसानों को हैं, जो उनकी तकलीफें हैं जो खुद को सरकार को भी तकलीफ है उनको दुरुस्त करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने के लिए बैठाया था और उस कमीशन ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है। कमीशन ने सन् १९६१ के दिसम्बर माह में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था। कमीशन ने सरकार के सम्मुख अपनी रिपोर्ट में २४ रिकमन्डेशन्स की थी उनमें से एक भी रिकमन्डेशन को आज तक सरकार ने कार्य रूप में परिणित नहीं किया है। आज भी यदि एक भी रिकमन्डेशन को

( श्री मोतीलाल चौधरी )

कार्य रूप में परिणित किया है तो वह फाइलों में ही इधर उधर घूम रही होगी। मैदान में तो आयी नहीं। गांवों में जाते हैं और जो स्थिति वास्तविक रूप से हमारे, आपके सामने आती है यदि सरकार लैंड कमीशन की रिपोर्ट को कार्य रूप में परिणित कर दे तो वास्तव में उनकी तकलीफें दूर हो सकती हैं और उससे उनको राहत मिल सकती है। पूरे राजस्थान में उस कमीशन ने दौरा किया, अच्छे अच्छे काश्तकारों से वह कमीशन मिला। अच्छे २ एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों से वह कमीशन मिला। राजस्थान सरकार ने उसकी रिपोर्ट को फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक माना है। मुख्य मन्त्रीजी खुद थे। लेकिन सरकार एक भी रिकमन्डेशन आज तक काम में नहीं लायी। इतना कहूं तो शायद कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसको शायद पढ़ा भी नहीं होगा। उन्होंने पढ़ना तो दूर रहा और पढ़ते तो करेक्शन करते जो कि करेक्शन करने के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा। पेज ८० पर दिया है कि काश्तकारों को किस प्रकार की जमीन मकान बनाने के लिए देनी चाहिये, किस प्रकार से उनके लिए ईंट की व्यवस्था करनी चाहिये। सारी बातें कमीशन ने इसमें पूरी तरह से दी हैं। छपने में रह गई हो, यह गलती हुई हो। पंचायतों के लिए दिया है, "Local Self-Govt. Deptt. be requested" पंचायतें लोकल सेल्फ के नीचे कभी नहीं रहीं। पंचायत विभाग हमेशा से अलग रहा है, इतना सा भी उसमें संशोधन करने का दृष्टिकोण नहीं आया तो मैं मानता हूं कि उस रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं गया होगा। टिनेन्सी लॉ में सेक्शन ३१ है जिसमें दिया है कि किसान को पक्का मकान बनाने के लिए, खेत व जमीन बनाने के लिए, रेगिस्तान में जहां पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर रिजरवायर बनाने के लिए क्या सुविधायें दी जा सकती हैं। सन् ५५ में इस कानून में यह प्रावधान किया गया था। टीनेन्सी एक्ट सन् १९५५ में और लैंड रेवेन्यू एक्ट सन् १९५६ में प्रावधान किये गये कि किस प्रकार से किसानों का बेटरमेन्ट होगा, उनकी आबादी और उनके गोचर के बारे में दिया गया है, लेकिन आज तक एक भी सुझाव सरकार ने कार्य रूप में परिणित नहीं किया है। एक सुझाव दिया गया ग्रेजिंग के बारे में। जिस गांव में पान-पत्ती आदि ऐसी जमीनें हैं जिनको गोचर मान लिया जाय और उनको पंचायतों को बता दिया जाय। जिस जिले से मैं आता हूँ वहाँ सन् १९५५ से लेकर सन् १९६२ तक गोचर की भूमि नहीं भरी गई है। शिकायतें हुई, ऑर्डर पहुंचा है। फिर दूसरा ऑर्डर होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है पहले वाला गलत था। एक सुझाव था गांव में पान–पत्ती और गोचर के लिए जमीन पंचायतों को भरानी थी लेकिन रेवेन्यू अधि–कारियों के लख्खन नहीं........

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : फिर भी थोड़ी बहुत कृपा कीजिये।

(घन्टी)

**श्री मोतीलाल चौधरी** : मैं इतना ही कहूंगा कि पान चराई वगैरा बोर्ड के टैक्स थे, पंचायतों को दिये कि वे लगायें। लेकिन वे पंचायतें किस पर लगा सकती हैं सिम्पली

( श्री मोतीलाल चौधरी )

गोचर । राजस्थान में जमीम तीन तरह की है जिस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। पान चराई पर नहीं लग सकती । नेक्स्ट गोचर । पंचायत में ट्रांसफर हो गई। सरकार की कोई जमीन रहती है तो मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिए कहूंगा कि कोई गांव नहीं होगा जहां पांच बीघा सरकार की जमीन पड़ी होगी। लेकिन उन गांवों में पिछले साल तक पान-चराई लगा दिया और हर काश्तकार को इतना तंग किया गया कि कोई कहने में नहीं आ सकता। हमारी तरफ पेड़ होते हैं खेजड़ी, वगैरा। उन पेड़ों को नीलाम किया गया। पान-पत्ती और सूखे पेड़ों को नीलाम करते हैं। रेवेन्यू विभाग का एक तरह का षड़यन्त्र रहा है कि जिससे पंचायतों को तकलीफ पहुंचे और पंचायतें फैल हो जायं। रेवेन्यू महकमे ने इतना गलत काम किया है कि जैसा किसी पोलिटिकल पार्टी ने ऐसा गलत काम नहीं किया।

(विराम)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लैंड कमीशन की रिपोर्ट में यह शब्द लिखे हैं कि जितनी देर करेंगे लैंड के बारे में प्रोब्लम्स खड़ी होंगी।

एक बात कहना चाहूंगा सैटलमैंट महकमे के बारे में। सैटलमैंट महकमा एक ऐसा महकमा है कि जिसको जितना जल्दी बन्द किया जाय उतना ही अच्छा है। जो सेटलमेन्ट हो चुका है उनके कागजात की जयपुर में बैठ कर खतौनी कर लें। इस महकमे को फिकली बन्द कर देना चाहिये।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : महकमे के साथ साथ सरकार को भी समाप्त करने की बात करें।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : सरकार को तो समाप्त नहीं करेंगे। सुझाव उसको देंगे और किसानों के हकों के लिए उसको मजबूत भी करेंगे।

तो उसके अन्दर जो कारनामे हैं इसके लिए इतना ही कह कर छोड़ देता हूं कि इसको सुधारने की बहुत जरूरत है और जरूरत पड़े तो सरकार को इसके लिए एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिये, जिससे पता चल सके कि क्या-क्या गड़बड़ियां इस विभाग के द्वारा हो रही हैं। मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित करके अपना भाषण समाप्त करूंगा।

**श्री दौलतराम सारण** (उप-मंत्री, कृषि): सेटलमेन्ट में क्या गड़बड़ियां हैं, यह तो बताया नहीं; कैसे बन्द कर दिया जाय।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : मैंने इसको टाला था। सेटलमेन्ट कमिश्नर जिस गांव से आते हैं, वे जागीरदार हैं, उनके गांव के सेटल-मेन्ट रेकॉर्ड को देख लीजिये और दूसरों को देख लीजिये। नम्बर टू, जिस गांव की हालत थी ६० परसेन्ट सेटलमेन्ट कमिश्नर ने नहीं दिया, खुद थे। नागौर जिले में जाइये तो पता चलेगा आपको कि किसी गांव वाले से उन्होंने पैसे न खाये हों। आपको काफी डिटेल्स मिल जायंगी। कम से कम एक कमेटी बैठा दीजिये।

**श्री रामप्रसाद लडढा** : आप पॉलिसी पर ही बहस करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : मैंने सुझाव दिया था। डिप्टी मिनिस्टर साहब ने पूछ लिया था इसलिए मैंने जवाब दिया। गवर्नमेंट हमारे सुझावों को कार्य रूप में परिणित कर लेगी, यह उम्मीद करनी चाहिये। सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के लिए इतना ही सुझाव दूंगा कि उसके लिए एक कमेटी बैठायें तो ज्यादा अच्छा है।

आगे मैं और कहना नही चाहता, सिर्फ एक बात और कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सेक्शन २१ और लैन्ड कमीशन की रिपोर्ट के पैरा ७६ (६) की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए जिसके आखिर में लिखा है सेक्शन ३१ में कि किसानों को किस तरह से मकान बनाने के लिये सुविधा दी गई है। गवर्नमेन्ट को लैन्ड कमीशन ने जो सुझाव दिया है वह इस प्रकार है....

"...Rules should provide for the preparation of bricks from clay without payment. In other words, material locally available should be allowed free of cost."

इसके आगे कहा है कि अगर माइनर मिनरल का कॉन्ट्रेक्ट भी यदि किसी को दे दिया गया है तो किसानों के लिये उसको लिख दें कि रॉयल्टी न ले। हाउसिंग की प्रोब्लेम राजस्थान में थी। इसके लिये लैन्ड कमीशन ने यह सिफारिश की कि किसानों को गांव के अन्दर ही मेटीरियल मिल जाय। शहरों में तो सभापति महोदय, मकान बनाने के लिये कर्जा दे देते हैं लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, मिडियम हाउसिंग स्कीम के नाम से लोन मिलता है! यहां इसके लिये कोई सीलिंग नहीं, एक मकान, दो मकान बना सकते हैं। लेकिन किसान को अपने मकान के लिये अपने खेत की मिट्टी में से ईटें बनाता है तो उसको रोका जाता है। इस तरह हजारों केसेज मेरी तहसील के हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं। अगर किसी ने मकान बना लिया तो उसको नोटिस देते हैं हमारे हुक्म के बिना क्यों बना लिया, ईंटें क्यों बना ली? लैन्ड कमीशन की खुद की रिपोर्ट है। या तो यह अधिकारियों को मालूम नहीं या इसके बारे में गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स नहीं होंगे। हां, यह सही है कि अधिकारी उसको नहीं मानते यह एक प्रकार से सरकारी हुक्म की मखौल है या लैंड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको कार्य रूप में परिणित नहीं करना मैं समझता हूं यह अधिकारियों की बगावत है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकारी अधिकारियों को ठीक करने के लिये हुक्म निकालें। लैन्ड कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ जो भी कार्यवाही होती है वह एक तरह से पोलिटिकल इश्यु बन जाता है। इससे अन्य राजनैतिक पार्टियां फायदा उठाती हैं। रिपोर्ट अच्छी है, इसकी मन्शा अच्छी है, भावना अच्छी है लेकिन इसके अनुसार अधिकारी लोग आचरण नहीं करते। इसी बात की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और जिन अधिकारियों ने उदासीनता बतायी है, मनमानी जो अधिकारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति** : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव की जो सूचना दी उसके शब्द ये थे, "the Demand be reduced by Re. 1-(to discuss the matter of reduction of land revenue on small holdings and ejectment of peasants)"

उसके स्थान पर जो मेरे नाम से कटौती का प्रस्ताव आया है वह इस प्रकार है :–

"( To discuss the ejectment of peasants)" यहइबारत उद्धृत की गई है।

सभापति महोदय, मेरे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कई महत्व-पूर्ण बातें कही और विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किसानों को तरह तरह के आश्वासन दिये थे। उनको कहा गया कि हल के पीछे सवा रूपया लेंगे। कहीं कहीं यह भी कहा गया किसानों को सोने की लकड़ी देंगे और सोने की लकड़ी से खेती करायेंगे। उसके विपरीत आज हम १४ साल से लगातार देखते आ रहे हैं कि किसान टैक्स के मारे पिसता चला जा रहा है। उसकी जो भूमि है उसके ऊपर उसके स्वामित्व के अधिकार शनैः शनैः न्यून होते जा रहे हैं। किसानों के मन में कानून से अस्थिरता उत्पन्न हुई है। वह खूब समझता है कि अब भूमि रहेगी तो किस शक्ल में, किस रूप में रहेगी। सरकार उसके लिये नये कानून बना करके भूमि के सम्बन्ध में कई अन्य कानून बनायेगी। मेरे पूर्व वक्ता ने यह भी कहा कि आज लैन्ड रेवेन्यू के सम्बन्ध में इतने कायदे बन चुके हैं कि किसान तो क्या बड़े बड़े वकील तक नहीं जानते। अमेन्डमेन्ट्स नाना प्रकार के हो चुके हैं कि वे अमेन्डमेन्ट्स अपटूडेट रूप से किसी वकील को ज्ञात हों और उसके अनुसार कोर्ट्स में अपने क्लाइन्ट के मुकदमे के बारे में प्लीड कर सके, यह एक वकील तक के लिये भी सम्भव नहीं है। यहां तक भी कहा गया कांग्रेसी नेताओं द्वारा कि जमीन हल हांके उसकी है। यह तो मनु स्मृति में भी उल्लेख है कि जमीन वास्तविक रूप से हल हांके उसकी होनी चाहिये। लेकिन कुछ महीनों पहले सौराष्ट्र के अन्दर भाषण करते हुए माननीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री, श्रीमुरारजी देसाई ने कहा था कि भूमि भी अब राज्य की है, राज्य भूमि के सम्बन्ध में कानून बना करके किसानों को विशेष रूप से आजादी दी जायगी। अगर भूमि राज्य की है तो किसानों के स्वामित्व के अधिकारों में न्यूनता होती है। इसके साथ साथ मैं समझ नहीं सकता कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा आजादी किस रूप में दी जायगी। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं।

अभी मेरे क्षेत्र में सरकार की ओर से ऐसा कानून लागू किया गया है कि किसानों के जो फलदार वृक्ष हैं जैसे महुआ या आम ये किसी अन्य व्यक्ति के खेत में हैं तो चाहे उस आम या महुए का सौ वर्ष से जो मालिक है उसको भी उसे त्यागना पड़ेगा। जिस आसामी या जिस व्यक्ति का खेत है उसके खेत में फलदार पेड़ हैं तो वह पेड़ उस व्यक्ति का हो जायगा जिसका खेत है। मैं समझता हूं यह मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर जनतंत्र में कोई सेंक्टिटी ऑफ प्रोपर्टी नहीं होती, कोई भी व्यक्तिगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कानून

( महारावल श्री लक्ष्मणसिंह )

द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी किसान को सुरक्षा नहीं मिलती है तो मैं समझता हूं वह जनतंत्र नहीं है एक अधिनायकवाद है । नौतोड़ के सम्बन्ध में भी आज किसान परेशान है। पहले किसान नौतोड़ कर सकता था, दस वर्ष के बाद उस पर लगान लागू किया जाता था और वह भी बहुत हल्की रेट से । दो वर्ष तक फिर चहारू में निस्क शरह होती थी। लेकिन आज नौतोड़ किसान करना चाहता है तो बिना इजाज़त नहीं कर सकता।

यदि इजाज़त भी मिलती है तो तरह तरह के प्रलोभन देने पड़ते हैं । तरह तरह की अपमानजनक बातें करनी पड़ती हैं और रिश्वतें देने के पश्चात् अगर उसको इजाजत भी मिलती है तो नौतौड़ भूमि पर छूट केवल दो साल तक ही दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि किसान की आजादी दिनों दिन घटी, बढ़ी नहीं और उसके ऊपर टैक्स का वज़न दिनों दिन बढ़ा, घटा नहीं। तो मैं यह समझता हूं कि यह कोई प्रगतिशील शासन नहीं है। अधिनायकवादी शासन है और गांधीजी के ध्येय और सिद्धान्त के अनुसार मैं समझता हूं कि किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसको ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जानी चाहिये, उसके बजाय उसके ऊपर तरह तरह के टैक्स लगाये जा रहे हैं, उसके स्वामित्व का अधिकार कम किया जा रहा है । यह कोई प्रगतिशील बात मैं नहीं समझता।

मेरे जिले के अन्दर जो लगान है, शायद समस्त राजस्थान में उसकी दरें सबसे हल्की हैं। वहां पर ढाई साल हुए बन्दोबस्त हो चुका। आसामियों को, काश्तकारों को कुछ पर्चियां दी गई और उनको पक्के पट्टे अब तक नहीं मिले। कहा जाता है कि चुनाव के पहले इसलिये नहीं दिये गये कि उनकी लगान की दरों में बढ़ोत्तरी होगी। चुनावों के पश्चात् सम्बन्धित पक्के पट्टे दिये जावेंगे जब वास्तविक स्थिति उनके लगाने की दृष्टिगोचर होगी।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदय, कि मालपुरा तहसील में जहां से भूतपूर्व राजस्व मन्त्री गत चुनावों में आये थे, वहां पर काश्तकार को आश्वासन दिया गया, तीन साल तक लगातार कि उनके लगान में आधा लगान उनको माफ कर दिया जावेगा। यानि छः आना छूट कर दी जावेगी एक साल दस आना छूट कर दी जावेगी और उनसे बिल्कुल ही लगातार तीन सालों तक लगान ही नहीं लिया गया।

अब चुनावों के पश्चात् तीन साल का इकट्ठा लगान ताबड़तोड़ रूप से, सुना गया है, मैं निश्चित नहीं कह सकता, वसूल किया जा रहा है। यह एक जनतन्त्र में एक सभ्य देश के अन्दर एक ऐसी गलत बात है कि सरकार के ऊपर मैं समझता हूं कि कालिमा का काला टीका है।

रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में,

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

सभापति महोदय, मुझे कुछ समय दिया जावे, मैं बहुत कृतज्ञ होऊंगा।

पटवारियों के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। पटवारियों की स्थिति के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। उनकी तनख्वाह की दरें इतनी

( महारावल श्री लक्ष्मणसिंह )

कम हैं कि यदि वे भ्रष्टाचार आज की महंगाई के जमाने में नहीं करें तो आश्चर्य की बात होगी। उन पर इतने कर्त्तव्य लाद दिये हैं कि एक आदमी ठीक तरह से उन कर्त्तव्यों को परिपूर्ण रूप से उत्तरदायित्व के साथ ठीक रूप से सम्पन्न नहीं कर सकता। यदि सरकार पटवारियों के वेतन की दरों के सम्बन्ध में कुछ विचार करेगी तो मैं समझता हूं कि ऐसा प्रगतिशील कदम लेगी कि जिसके द्वारा ऐसा वर्ग जो पिसा जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम लाद दिया गया है उसकी वाजिब जो मांग है और आकांक्षा है उसकी भी पूर्ति होगी। हरेक दिशा के अन्दर यदि हमें प्रशासन लैण्ड रेवेन्यू को सुचारू ढंग से चलाना है तो सर्व प्रथम हमारा कर्त्तव्य है कि हम हमारा लैंड रेकॉर्ड अपटूडेट रखें।

मैं समझता हूं कि आज के प्रशासन के अन्दर लैण्ड रेकॉर्ड एक नगण्य सी वस्तु है। गिरदावरी बराबर नहीं होती। बेचारा पटवारी थका हुआ काम के बोझ से लदा हुआ गिरदावरी करने को जाता है। तालाब की पाल पर आम के वृक्ष के साया के नीचे बैठ कर पूछता है काश्तकारों से कि फलां फलां खेत में क्या हुआ और मनमानी गिरदावरी के इन्द्राजात करके काम परिपूर्ण कर देता है। यह मेरे खयाल में सरकार के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है और मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जहां पर गिरदावरी ही ठीक तरह से न हो, जहां लैण्ड रेकॉर्ड अपटूडेट न हो वहां का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? वह तो बिल्कुल केऑटिक है।

मेरे जिले के अन्दर आसपुर तहसील में, आसपुर गांव के पास बहुत छोटा सा गांव गोल है। उसके अन्दर अन्न की खरीफ में मुश्किल से मक्की, तिल, उड़द खेतों में बोये गये होंगे। वहां सूखा पड़ा और सब फसलें सूख गईं और गिरदावरी के इन्द्राज में बताया गया कि चावल और साल बिल्कुल १६ आने वहां हुआ है और उस छोटे से गांव से पूरा मतालबा १,६००) रु० का वसूल किया गया। यदि अन्य जगह भी इस तरह हो रहा हो तो मैं समझता हूं कि यह कोई शासन नहीं है। यह अन्धाधुन्ध की साहिबी और घटाटोप का राज्य है।

चकबन्दी के सम्बन्ध में भी सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा कि चकबन्दी अच्छी चीज है, पर चकबन्दी वहां करनी चाहिये जहां यह सफल हो। चकबन्दी सफल करने के लिये प्रचार के द्वारा लोगों को, किसानों को आमादा करना चाहिये कि चकबन्दी फलां जगह की होगी तो उनके हितों की रक्षा होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया और ऊल-जलूल रूप से पार्टियां आकर दो-दो महीने तक सरकारी खर्चा खाती हैं, उनके खिलाफ आन्दोलन होता है, विरोध होता है, लोग नहीं चाहते और वे लोग विरोध करने के पश्चात् भी, परेशान होने के पश्चात् भी वे सरकारी पार्टियां दो महीने वहां रह कर कुछ काम किये बिना अगर रवाना होती हैं वहां से तो सरकार को चाहिये कि किसी एक या दो क्षेत्रों में चकबन्दी के कानून को लागू करे, प्रचार के द्वारा लोगों पर और जहां पर यह कानून सफल रूप से कार्य रूप में परिणित किया जा सके वहां करे तो इसके द्वारा आसपास के क्षेत्र के किसानों के लिये एक उदाहरण ऐसा उत्पन्न

( महारावल श्री लक्ष्मणसिंह )

होगा कि चकबन्दी के लिये किसान अपने आप रज़ामन्द होगा और उसकी विचारधारा चकबन्दी के महत्व को मान कर चकबन्दी को अपने आप स्वीकार करना पसन्द करेगो।

सभापति महोदय, मैं सरकार को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे किसानों को विशेष रूप से अधिक से अधिक आजादी दी जावे। मेरी पार्टी के मन्तव्य के अन्दर तो यह उल्लेख है कि लैंएड रेकोर्ड को कायम रखने के लिये जो भी खर्चा हो उसको वहन करने के पश्चात् किसान को पूर्ण आजादी देकर और उससे लगान नहीं लिया जावे। सम्भवत: राजस्थान सरकार को इससे विशेष हानि हो और जब आठ करोड़ रुपया भू-राजस्व का उसके पास जमा होता है तो वह सब की सब रकम यदि सरकार नहीं दे सके तो छोटे किसान को कम से कम ७५ प्रतिशत लगान से विमुक्त किया जावे और अन्य काश्तकारों को धीरे-धीरे ५० प्रतिशत लगान से मुक्त किया जावे। तभी तो गांधीजी की कल्पना के अनुसार यह एक ऐसा आदर्श राज्य होगा जिसमें किसान को आजादी मिले और अन्न भी विशेष से विशेष उत्पन्न हो।

आज की नीति के अन्दर खाद्यान्न को प्रोत्साहन देने के लिये कोई भी, सरकार के पास ऐसी रीति-नीति नहीं है जिसके द्वारा किसान के मन के अन्दर यह दिल जमई हो कि वह सुचारू रूप से स्थिरता से खेती करना ठीक समझे।

सेटलमेंट के संबंध में सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अमला सेटलमेंट एक अमुक मात्रा में रखा जाये....

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

और हरएक जिले का सैटलमेन्ट एक एक साल के अन्दर कराया जाये और सेटलमेन्ट की मियाद २५ साल कर दी जाये तो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में सेटलमेन्ट हो जायेगा और सेटलमेन्ट का अमला आपके लिए एक एक्सपर्ट अमला होता चला जावेगा और वह स्पेशलिस्ट हो जायेगा, खर्चा भी कम होगा और एक सुचारू ढंग से आपके सेटलमेन्ट की व्यवस्था होगी। यही व्यवस्था भूतपूर्व कोटा राज्य के अन्दर सर हरबर्ट बटलर ने कायम की थी और वह ऐसे भू-राजस्व के विशेषज्ञ थे कि जिनका सानी उस समय में भारतवर्ष में अन्य नहीं होगा। तो मेरा यह निवेदन है कि सेटलमेन्ट की मियाद बढ़ानी चाहिए और सेटलमेन्ट को एक एक जिले के अन्दर हर साल के अन्दर इस तरह से इस ढंग से किया जाये कि साईकिल जो है रोटेशन के द्वारा २५ साल के अन्दर २६ जिले सेटलमेन्ट के अन्तर्गत आकर सेटलमेन्ट अपने आप सुचारु ढंग से चलता चले। मुझे अन्य बातें भी कहनी थी लेकिन दो दफा घन्टी हो गई है। मैं कुछ सीलिंग के संबंध में भी कहूंगा....

**श्री सभापति** : इस संबंध में आपका कटौती प्रस्ताव तो है नहीं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : जी।

**श्री सभापति** : सीलिंग के संबंध में आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : नहीं है, लेकिन सीलिंग के साथ साथ किसानों को बेदखल करने की समस्या है, तो यह उससे संबंधित, क्लोज़ली कनेक्टेड है ।

**श्री सभापति** : आप एक मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दें ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : तो मैं सीलिंग के विषय में यह कहूँगा कि अन्य देशों में पोलैण्ड है, ईस्ट जर्मनी है वहां पर भी सीलिंग इतनी कम नहीं रखी गयी है जितनी हमारे देश में रखी गयी है । मैं समझता हूं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ सीलिंग के लिए बहुत कम भूमि है । वैसे बहुमत के द्वारा आप करें तो करें, आपको अधिकार है लेकिन उतना ही अधिकार हमें भी कहने का है कि यदि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के ऊपर आप यह सीलिंग कायम करेंगे तो मेरा खयाल है कि काश्तकारी की जो इन्डस्ट्री है जो सेल्फ हैल्पिंग पीजेन्ट्स हैं और पीजेन्ट प्रोप्राइटर्स हैं उनके अधिकारों का इस हद तक हनन होगा कि काश्तकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही हनन न हो जायेगा लेकिन खाद्य उत्पत्ति के अन्दर और काश्तकारी पेशे के अन्दर भी देश को नुकसान पहुंचने वाला है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : आपके खयाल से सीलिंग कितनी होनी चाहिए ?

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**: पोलैण्ड और ईस्ट जर्मनी में २२५ एकड़ थी लेकिन अब जो सरकार उपयुक्त समझे । मेरे खयाल से तो ३० एकड़ से ज्यादा होनी चाहिये । मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारे देश की स्थिति कितने एकड़ की इजाजत दे लेकिन ३० एकड़ तो कुछ भी नहीं है । इससे तो नहीं हो तो अच्छा है । तो सभापति महोदय, मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा । मैं इतना ही कहूंगा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जाये और भूमि पर उसका अधिकार अक्षुण्ण रखा जाये ताकि किसान अनुभव करें कि सच्चे रूप में स्वतंत्रता क्या है ।

**श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू) : माननीय सभापति महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव लैंड रेवेन्यू के सिलसिले में हैं । एक तो है सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में और दूसरा तहसील चाकसू के अन्दर जो जमीन सवाईचक की अलॉट की गई है वह अच्छी तरह से नहीं की गई यानि गैर-कानूनी ढंग से की गयी है, उसके बारे में । माननीय सभापति महोदय, चाकसू के अन्दर जो सवाईचक की जमीन अलॉट की गयी है वह इस ढंग से की गयी है कि वास्तव में जिनको जमीन मिलनी चाहिए थी वह उनको नहीं मिल कर जो खातेदारी हक पहले रखते थे उनको ही मिली । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय यह कहने के लिये तैयार होंगे कि उस अलॉटमेन्ट कमेटी के सदस्य एम० एल० ए० भी होते हैं । लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह कमेटी नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेम्बर्स दोनों की है । लेकिन उसके अन्दर नॉन-ऑफिशियल मेम्बर एक भी पहुंच जाता है तो जमीन अलॉट हो जाती है । नॉन-ऑफिशियल मेम्बर्स यानि पंचायत का सरपंच या प्रधान या एम०-एल० ए० कोई भी कमेटी में पहुंच जायें तो जमीन अलॉट कर दी जाती है और ऑफि-

( श्री नाथूलाल करोल )

शियल मैम्बर्स के अन्दर तहसीलदार वगैरह होते हैं। अगर यह नहीं आ पाते हैं तो भी जमीन अलॉट हो जाती है। यह अलॉटमेंट कमेटी की बॉडी बनी हुई है लेकिन एम०-एल० ए० नहीं पहुंच पाते हैं और पंचायत के सरपंच ही मिल कर इस जमीन को अलॉट कर देते हैं। तो वह गैरकानूनी ढंग से होजाती है। मैं एक मिसाल दूं। तहसील चाकसू, पंचायत खेड़ा रानीवास के अन्दर गैरमुमकिन तलाई सवाई चक के खसरे में दर्ज है लेकिन गैरमुमकिन तलाई को भी अलॉटमेन्ट कमेटी ने अलॉट किया। माननीय सभापति महोदय, एक और मिसाल दूं कि तहसील चाकसू ग्राम पंचायत थेली के अन्दर जमीन अलॉट हुई है प्रधान साहब को, जिनको पहले से ही खातेदारी हकूक प्राप्त थे और उन्होंने अपने भाई के नाम या लड़के के नाम या किसी तरह से भी सैकड़ों बीघा जमीन अलॉट कराई और उसको वह बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं और काफी बेच भी दी है। माननीय सभापति महोदय, इस तरह से अगर जमीन का अलॉटमेन्ट गैर ढंग से होगा तो बेचारे गरीब काश्तकार इससे महरूम रह जायेंगे। मैं निवेदन करूँगा कि पंचायत थेली के अन्दर जो जमीन अलॉट हुई है उसके अन्दर हरिजन चिल्लाते रहे और जमीन अलॉट कर दी। इस तरह से कई गैर-कानूनी जमीन लोगों को दे दी गयी हैं और मैं माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करते हुए कहूंगा कि जरूर इसकी छानबीन की जाय और जो जमीन तहसील चाकसू के अन्दर अलॉट की गयी है उसकी इन्क्वायरी कराई जाये।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि व्यापक भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारियों के अन्दर है। चाहे आप तहसील लैविल पर लीजिए चाहे सेटलमेन्ट के अन्दर के नीचे के कर्मचारियों को लीजिये, चाहे कन्सोलिडेशन करने वाले कर्मचारियों को ले लीजिए, यह भ्रष्टाचार काफी व्याप्त है। इसका रीज़न यही है कि एक तो उन लोगों को काफी कम तनख्वाहें मिलती हैं, इसलिए उनका भ्रष्टाचार करना लाज़िमी होता है। मैं निवेदन करूंगा कि पटवारियों के पास इतना काम है कि वे करते करते थक जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करूंगा कि पटवारी गिरदावरी के टाइम पर यानि जमीन के अलॉटमेंट के टाइम पर भ्रष्टाचार करके अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि पटवारियों की तनख्वाह अगर नहीं बढ़ाई गई तो यह भ्रष्टाचार कभी नहीं मिट सकता है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि आप अवश्य ही पटवारियों की तनख्वाहें बढायें जिससे भ्रष्टाचार कम हो जाये। माननीय सभापति महोदय, एक और मेरा निवेदन है कि सेटलमेंट के सरवेयर्स हैं इनको भी तनख्वाहें बहुत कम हैं और इनका भी इसी तरह काम चलता रहता है। सर्वे का काम करने यह जिस गांव में घुसते हैं तो वह गांव वालों को भिड़ा कर ही अपना पेट पालते हैं। इसका रीज़न यही है कि उनको तनख्वाह कम मिलती है। सरवेयर्स को, सर्किल इन्सपेक्टर जो सेटलमेन्ट विभाग में होते हैं उनकी तनख्वाह कम है और उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए इस

( श्री नाथूलाल करोल )

सदन को विचार करना पड़ेगा ।

इतना ही कहते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो दो कटौती के प्रस्ताव मैंने रखे हैं उन पर ध्यान रखें और इनके ऊपर विचार करें और जो तहसील चाकसू के अन्दर जमीन अलॉट की है और जिसके लिए मैंने कहा है खेड़ा रानीवास और पंचायत थेली के लिए उत्तर में बतायेंगे कि वहां पर जमीन ठीक अलॉट हुई है या वह गलत हुई है । इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

**श्री सभापति** : श्री आनन्दसिंह ।

( अनुपस्थित )

श्री जयनारायण सालोदिया ।

**श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : माननीय सभापति, मेरा बेदखली के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव है । इस बेदखली के कानून के द्वारा सरकार उन किसानों को जिनका जमीन पर पीढ़ियों से कब्जा होता है, जो सैकड़ों और पचासों सालों से जमीन पर काबिज़ होते हैं, एक नाटकीय ढंग से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है । इसलिए कर दिया जाता है, एक नाम से कर दिया जाता है, वह नाम है विकास । किसी विकास के लिए उन गरीब किसानों का, उन बेजबान किसानों का विनाश कर दिया जाता है, जिनका कि आधार एकमात्र वह जमीन होती है और उस जमीन को वह सरकार, विकास के नाम पर उनको बेदखल करके उससे उनको महरूम कर देती है और फिर उस जमीन का जो मुआवज़ा उस किसान को मिलता है वह मुआवज़ा सिर्फ कौड़ियों में मिलता है और उसकी वह जमीन जिसके ऊपर उसने अपना खून पसीना एक किया था, जिसके ऊपर उसके दादा ने, बाप ने और उसने अपना खून पसीना बहाया था उसको सिंचित किया था उस जमीन की जो असली कीमत है, जो वाज़िब कीमत है वह गवर्नमेंट ले लेती है । यह कोई न्यायपूर्ण बात नहीं है ।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात रखूं कि निवाई तहसील में निवाई कस्बे के आसपास म्युनिसिपेलिटी के विकास के नाम पर, पंचायत के दफ्तर के नाम पर, पंचायत समिति के दफ्तर के नाम पर, गर्ल्स स्कूल के नाम पर करीब ५० काश्तकारों को, जो कि बेचारे गरीब हैं, जिन के पास एकमात्र वही जमीन है, उससे उनको बेदखल कर दिया गया है और उसी जमीन में जिस जमीन से उन्हें बेदखल किया गया है उस पर ३० कुए भी हैं । उनको बेदखल कर दिया गया है और वह भी इस नाम पर कर दिया गया है कि हम कस्बे का विकास कर रहे हैं, यहां दफ्तर बन रहे हैं । मैं इस किस्से में नहीं जाना चाहता । मैं नहीं चाहता हूं कि पंचायत समिति का दफ्तर नहीं बने, मैं यह नहीं चाहता कि कन्या-पाटशाला नहीं बने, मैं यह भी नहीं चाहता कि कस्बे का विकास नहीं हो, लेकिन यह ज़रूर चाहता हूँ कि विकास के नाम पर किसान का एकमात्र साधन जो कि जमीन है । उससे वह एकमात्र साधन नहीं छीना जाय । अगर विकास करना है तो बहुत सी सरकार की जमीनें हैं, जंगलात की जमीनें हैं वहां विकास कर सकते हैं । वहां बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत सी बिल्डिंग्स का निर्माण कर सकते हैं । लेकिन उस किसान के आधार पर जिस किसान के आधार पर आपकी यह सरकार

# Page No. 71



( श्री जयनारायण सालोदिया )

टिकी हुई है जिसका आधार देश का आधार है, जो देश का निर्माता है, देश का अन्नदाता है, उसको आप इस कानून के द्वारा और वह कानून भी जो उसकी मरजी से नहीं, उसकी सलाह से नहीं, बल्कि आपके द्वारा, सरकार के द्वारा, मामूली बहुमत के द्वारा जो ऐसे कानून बना दिये जाते हैं जिनकेद्वारा किसानों का जमीन का अपहरण होता है। फिर आप कैसे इस राज्य को समाजवादी राज्य कहते हैं ? कैसे इस राज्य को उस राज्य की संज्ञा दे सकते हैं जो यह कहता हो कि हम किसानों का हित देखना चाहते हैं, हमारे कानूनों के द्वारा किसानों को अच्छा देखना चाहते हैं ? आपका कहना तो यह है और कार्य उसके बिल्कुल विपरीत है........

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो बेदखली का कानून है जिसके द्वारा मूक किसानों को बिना कुछ कहे उनका मुख बन्द कर देते हैं और उनकी जमीनें छीन लेते हैं। और उनके बाल बच्चों को दर-ब-दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें संशोधन करें। उसमें ऐसी बात रखें और वह भी उन किसानों की मरजी से किया जाय, उनको राजी करके किया जाय और उनकी जमीन का जितना वाजिब पैसा हो वह उनको मिलना चाहिए। यह नहीं हो कि किसान को थोड़ा बहुत पैसा देके उसका मुंह बन्द कर दिया जाय और वाजिब पैसा उस जमीन का जो कि किसान ने अपनी मेहनत से कमाई है और मेहनत के साथ सदैव से उसका रहा है उसका मुआवजा या उसकी वाजिब कीमत सरकार नहीं दे। यह बात मानने योग्य नहीं है, यह बात न्यायोचित नहीं है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह दोनों बातें कि जो बेदखली हो वह किसान की मरजी से हो और मुआवज़े में अच्छी जमीन मिले, उन्हें अच्छी सुविधाएं—रहने के लिए मकान आदि की मिलें।

मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां एक डैम बना है उससे कुछ किसान बेदखल हुए हैं। बांध को बने ५-६ साल हो गये लेकिन उन बेचारे किसानों को अब तक जमीन नहीं मिली है काश्त के लिए, न मकान के लिए और न कोई मुआवजा ही दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैंने क्वेश्चन किया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है। इन सारी बातों से स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार की नीति किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। वह सरकार किसानों की जमीन, जायदाद और पैसे पर बुरी नजर रखती है; जो जनतन्त्र और उसका वायदा करती है और यह कहती है कि हम समाजवाद इस देश के अन्दर लाना चाहते हैं। अब आपका कैसा समाजवाद है ? कैसा समाजवाद इस देश में लाना चाहते हैं ? किस तरह के आप समाजवादी हैं ? यह सब आपको ही मालूम है। न मालूम किस तरह का आप इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं।

मैं इतना ही कह कर सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम वह किसानों की तरफ अच्छी नज़र रखे और किसानों के सम्बन्ध में जो कानून बने हैं उनके सम्बन्ध में कुछ सोच समझ कर कानून बनाये और आम जनता पर सरकार की जो नजर है वह तो है ही लेकिन किसान की जमीन पर और उसके बाल बच्चों

( श्री जयनारायण )

की तरफ थोड़ी ऐसी दृष्टि रखे। मैं इतना ही कह कर सरकार से प्रार्थना करता हुआ बैठता हूं।

**श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : सभापति महोदय, मांग संख्या १ के विषय में मैंने ३ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, जिनमें से दो तो कन्सोलिडेशन डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखते हैं और एक चौधरियान की चौधरात के बारे में।

कन्सोलिडेशन के बारे में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है उसमें कन्सोलिडेशन और कॉलोनाइज़ेशन अलग २ विभागों द्वारा किया गया है और कन्सोलिडेशन का वहां जो आधार था वह कॉलोनाइज़ेशन का था। इसलिए कॉलोनाइज़ेशन की ओर से दो मूलभूत गल्तियां हुई हैं, जिसका असर अब भी वहां पर कायम है। उसके सम्बन्ध में मैं पहले थोड़ा संकेत कर देना चाहता हूं। कॉलोनाइज़ेशन विभाग ने जो भी चकबन्दी की, अलॉटमेंट की जितनी भी कार्यवाही की, किलाबन्दी, नालियों के समकोण करने की कार्यवाहियां की, वे सारी की सारी कागज़ाती कार्यवाहियां थीं। उन पर वास्तव में अमल नहीं किया गया, मौके पर कहीं भी कब्ज़ा नहीं दिलाया गया। इसके लिए, सभापति महोदय, मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कान और आंख में सिर्फ ४ अंगुल का फर्क रहता है। लेकिन जहां तक उनके कार्यों का सम्बन्ध है आंख के देखे हुए और कान के सुने हुए के बारे में सैकड़ों मील का अन्तर रहता है। मैं उस इलाके का बाशिन्दा हूं। मैंने कन्सोलिडेशन के काम को अपनी आंखों से देखा है, कानों से नहीं सुना है। जो भी इस बारे में रिपोर्ट है, इस बारे में लीपा-पोती सरकार के पास आई है। उसमें अधिकांशतया गलत है। मैं यह प्रमाण सहित साबित करूंगा।

मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि कॉलोनाइज़ेशन का जितना भी काम हुआ है सारा कागज़ी हुआ है और कन्सोलिडेशन विभाग को यह काम दुबारा डी नोवा या नये तरीके से करना पड़ा और इसमें जो लाखों रुपया खर्च हुआ वह बेकार गया। उसका कोई असर नहीं हुआ।

दूसरी बात, जो कॉलोनाइज़ेशन ने एक बड़ी भद्दी गलती की वह यह है कि कॉलोनाइज़ेशन एक्ट में कोई भी प्रावधान नहीं होते हुए भी उन्होंने काफी जमीनें प्रभावशाली आदमियों को ट्रान्सफर कीं। मिसाल

(३.० म. प.)

के लिए मैं आपको सिर्फ चार या पांच मिसालें बताता हूं। फेफाना, तहसील नोहर में एक गांव है। किसी एक बड़े नेता की जमीन वहां से उठ कर पीलीबंगा के पास वहां से ७० मील दूर चली गई। उसी तरह से सोती एक दूसरा गांव है, कॉलोनाइज़ेशन महकमे के एक कर्मचारी के रिश्तेदार की जमीन वहां से उठ कर तहसील भादरा में चली गई। तससील भादरा के गांव प्रागसर में एक की जमीन थी वह वहां से मरकेड़ा गांव में बहुत बढ़िया हजार रुपया बीघा की जमीन में तब्दील हो गई और चौथा उदाहरण यह है कि टेन्डेसा, तहसील का नाम मुझे मालूम नहीं है वहां की जमीन एक दूसरी

( श्री हरदत्तसिंह )

जगह तब्दील हो गई। यह तब्दीली कानून की किसी धारा के तहत नहीं हुई लेकिन सिर्फ अफसरों की मर्जी के भरोसे यह सब कुछ तब्दीली हुई है इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।

यह सच है कि इतिहास अपने आपको दोहराता है। यह सुनते आये हैं कि रामायण-काल में लक्ष्मणजी की मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमानजी संजीवनी बूटी के पहाड़ को बहुत दूर से लेकर आये थे। यह सुनी-सुनाई बात है। लेकिन आज हमारी सरकार के खेत उठ कर सैकड़ों मील दूर चले जाते हैं, यह आंखों से देखी हुई बात है। इसलिये ये जो कोलोनाइजेशन महकमे के हनुमान हैं इनको वहां से दूर करना चाहिए, नहीं तो इनको उठा कर दूर ले जाने के लिये कोई और हनुमान लाना पड़ेगा।

मेरा दूसरा कट मोशन कोलोनाइजेशन के बारे में है। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहता हूँ। महकमा कोलोनाइजेशन ने आबादी के नक्शे तैयार किये हैं। उनमें गलत तौर पर आबादी के लिए थोड़ी जमीन दिखाई है। वह वही जमीन है जिसमें वास्तव में लोगों के मकान हैं। कोई भी सरकारी अफसर वहां जाकर देखे, मैं चेलेन्ज करता हूं कि भाखरा के पास किसी गांव के बसने के लिए जमीन नहीं छोड़ी है। आबादी तेजी से बढ़ रही है लेकिन बसने के लिए बिल्कुल जमीन नहीं छोड़ी है। भाखरा क्षेत्र में लोगों के लिये, खाद के लिए, खड्डों के लिए कोई जमीन नहीं छोड़ी है, बाहर निपटने के लिए कोई जमीन नहीं छोड़ी है। इस ओर ध्यान मैंने भूतपूर्व माल मंत्रीजी का दिलाया था और उन्होंने फैसला किया था कि जिन गांवों में आबादी के लिये जमीन कम है उन गांवों में पंचायतों को सरकारी रेट पर आबादी के लिये जमीन खरीदने का अधिकार होगा। और उनके आदेश के अनुसार कमिश्नर के कार्यालय से पंचायतों को आदेश जारी हो गये थे कि तमाम पंचायतें जमीन खरीदना चाहें तो उनको दे दी जाय। लेकिन सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि कमिश्नर का और राजस्थान सरकार का हुक्म जारी होने पर भी भाखरा कोलोनाइजेशन विभाग इस हुक्म की उदूली करता है। इसकी मिसाल मैं अपने खुद के गांव की देता हूं। वहां पर जमीन खरीदने के कागज़ात चलाये, तहसील कोलोनाइजेशन, नोहर ने स्वेच्छा से कागज़ात बना कर भिजवा दिये, शहादत पूरी हुई और सब कार्यवाही होकर मिसल पूरी हुई और फैसले के लिए डाइरेक्टर ऑफ कोलोनाइजेशन, भाखरा के पास गई तो ४-१२-६१ को मिसल इस आधार पर खारिज कर दी गई कि फरीक गैर हाजिर हैं। समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा अफसर इस बात को नहीं समझे कि यह फौजदारी मुकदमा नहीं है जिसमें कि फरीक हाजिर नहीं हो तो अदम-हाजरी में खारिज हो जाय। इस मामले में जब कि शहादत हो चुकी है, नीचे की सिफारिश जा चुकी है, सब कुछ कार्यवाही पूरी हो चुकी है फिर भी अदम हाजिरी में खारिज हो जाय। यही नहीं, उस फैसले की नकल के लिये दर्ख्वास्त की थी तो नकल देने से इन्कार हो गये और यह कहा कि नकल देने

( श्री हरदत्तसिंह )

का कायदा नहीं है। राजस्थान सरकार के इतने जिम्मेदार, आला अफसर यह नहीं जानते कि नकल दी जाती है या नहीं, फरीक की हाजरी जरूरी होती है या नहीं ! जो इतना भी नहीं समझते उनके जिम्मे, मुझे माल मन्त्रीजी माफ करेंगे, माल मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उन जैसों के भरोसे सरकार चलानी है या चलती रहेगी तो समाजवाद दूर रहेगा। मैं इसमें उन अफसर महोदय की भी गलती नहीं मानता। वे एक्स-मिलिटरी मैन हैं, बहुत बड़े अफसर हैं लेकिन मैं राजस्थान सरकार की गलती मानता हूँ कि जहां राजस्व मामले के जानकार होशियार आदमी को लगाना चाहिये था वहां ऐसे ऑफिसर को लगा दिया जो राजस्व में जानकार नहीं हैं। उनको तो पी. एस. सी. में या युनिवर्सिटी में या और किसी जगह लगाना चाहिये था। इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस बारे में जरूर गौर करें।

भाखरा क्षेत्र में इस्तमरारी के लिये जब सर्वेयर गांवों में जाते हैं तो गांववालों को कहते हैं कि इस्तमरारी का यह नियम है कि चार टुकड़ों में काटा जायगा। यह नियम है कि चार टुकड़ों में खेत को कायम रख सकते हैं। सभापति महोदय, ताज्जुब की बात है कि यह नियम कैसे बना ? भादरा का इलाका बहुत पुराना है चार सौ, पांच सौ वर्षों से आबाद है। इस इलाके में किसी भी काश्तकार के पास चार टुकड़ों से ज्यादा नहीं है इसलिए इस्तमरारी की जरूरत नहीं पड़ी, नक्शा तैयार करना पड़ा, कोना-खोचड़ा सीधा किया। जहां पर १३ लाख ५५ हजार रुपया सालाना देते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा यह करना पड़ा कि किसी खेत का कोना ठीक कर दिया, क्योंकि टुकड़े पहले से ही चार मौजूद थे इसलिये नौबत नहीं आई। नौबत उस जगह आई जहां प्रेशर था, प्रभाव था उनके प्रभाव में आकर किसी की गन्दी जमीन को अच्छी में तब्दील कर दी। इसकी मिसाल मैं सभापति महोदय, आपकी मार्फत देना चाहता हूं। मेरे खुद के गांव में मैंने देखा है, यह नियम है कन्सोलिडेशन का, वह जमीन उठ कर जाती है दूसरी जमीन के पास, जो छोटी है, एक कीमत की है वह बड़े खेत के पास जाती है। लेकिन यहां एक अजीब ही तरीका देखा ! एक साहूकार के पास ५० किला खेत था। उसमें से ४ किला रद्दी था। वह उसमें से काट कर दूसरा जो ६ नम्बर का था जिसके पास ७ किला जमीन थी उसमें से कट कर दी गई और वह अच्छी जमीन उस साहूकार को दिलादी गई। नतीजा यह हुआ कि दूसरा काश्तकार जिसके पास ६ किला थी उसको फिट करने के लिए उसमें से ४ काट कर दूसरेवाले को दे दी गई और इस तीसरे के पास २ किला ही रह गई। उसकी बढ़िया जमीन उस साहूकार को दे दी गई। वह किसान डाइरेक्टर के दफ्तर तक रोता फिरा लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसी साहूकार के बेटे ने एक जमीन जो उसने २५०)रु० बीघा की दर से खरीदी थी उसको हजार, डेढ़ हजार रुपये बीघा की जमीन से तब्दील करवा ली। इस प्रकार का कन्सोलिडेशन कर लिया। इस तरह से कन्सोलिडेशन नहीं होता है। कन्सोलिडेशन वहां होता है जहां आगे जमीन हो, उसमें फिट हो। लेकिन आगे जमीन नहीं हैं तो भी घटाया, बढ़ाया और फिट हो गया। इसके खिलाफ अपील की तो कोई फैसला नहीं।

( श्री हरदत्तसिंह )

आम तौर पर किसानों के पास चार टुकड़े मौजूद थे इसलिए कन्सोलिडेशन का सवाल नहीं था। हमारे पास एक ही कन्सीडरेशन था, जिनके पास अलग अलग पैसा था वह सब कन्सोलिडेशन करनेवालों के पास आकर पैसे का कन्सोलिडेशन हुआ, लेकिन जमीन का नहीं। जहां यह बात राजस्थान केनाल एरिया में होने जा रही है वहां पूरी गहराई से सोच समझ कर की जानी चाहिये। इसलिये सभापति महोदय, आपके द्वारा मन्त्रीजी से निवेदन करता हूं कि इसके लिए आप सजग रहें।

इसमें एक गड़बड़ी और हुई है, यह इतने सारे....

**श्री सभापति** : आप समय का ध्यान रखें।

**श्री हरदत्तसिंह** : मैं बहुत संक्षेप में बात कहूंगा। यह बहुत विशेष बात है, यह टैक्निकल विषय है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, इसलिये इसमें टाइम लगेगा।

एक बात यह हुई कि एस.ई.सी, सी. ओ., डिप्टी डाइरेक्टर और डाइरेक्टर यह बहुत लम्बा चौड़ा अमला कन्सोलिडेशन विभाग का है। नीचे वाले अमले ने जितनी भी गलत कार्यवाही की, उसकी करीब तीन हजार अपीलें दायर हुई। डाइरेक्टर साहब इतनी सारी मिसलें देख कर या पता नहीं क्यों फैसला देने से इन्कार हो गये। सभापति महोदय, मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूँ कि वे मिसलें ढाई साल तक उनके पास पड़ी रहीं और पेशियां नहीं हुई और डेढ़, ढाई साल के बाद फैसला सरकार ने किया और ये अपीलें कलेक्टर गंगानगर के पास भेज दीं। इस तरह ढाई साल तक तत्रालत में काम रखा गया।

सभापति महोदय, भाखरा क्षेत्र में जितने गांव आते हैं उनको भाखरा ज़ोन से सम्बोधित किया जाता है। इसमें करीब ३५६ गांव हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में खास तौर पर यह अर्ज कर देता हूं कि भाखरा तहसील में १५३ गांव हैं जो भाखरा ज़ोन में आये हैं, नोहर तहसील में ३३ गांव इसमें आये हैं। जो भाखरा ज़ोन राजस्थान के चमन के नाम से अखबारों में पब्लिश किया जाता है, उसकी पब्लिसिटी की जाती है, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि भाखरा क्षेत्र के किसान सबसे ज्यादा दु:खी हैं। अगर राजस्थान में नरक कहीं है किसानों के लिए तो वह भाखरा ज़ोन में है। वह मैं आंकड़ों के साथ प्रमाणित करूंगा। भाखरा के क्षेत्र में ५३ तहसीलें भाखरा की भाखरा ज़ोन में आई हैं। उनमें से १७ भाखरा ज़ोन की टेल पर पड़ती हैं! उन टेल के गांवों में किसी गांव में दो बीघा में पानी लगता है, किसी में २० बीघा में लगता है, किसी में ५० में लगता है। वहां कोलोनाइजेशन विभाग ने यह किया कि जितने रकबे को कमाण्ड करार दिया, उसकी चकबन्दी कर दी और भूमि अलॉट कर दी और बाकी के रकबे को बारानी दर्ज कर दिया। इस जमीन का किसी को अलॉटमेंट नहीं दिया, किसी को राइट नहीं दिया चाहे वे इस जमीन पर सालों से काबिज हों, चाहे पीढ़ियों से हों। इसका नतीजा यह हुआ कि कन्सोलिडेशन विभाग काम करने आया तो उसने गांववाइज कन्सोलिडेशन किया। उसने

( श्री हरदत्तसिंह )

इस्तमरारी की किलावाइज और कन्सोलिडेशन किया गांववाइज । इसका नतीजा यह हुआ कि जिस अनकमाण्डेड जमीन का कन्सोलिडेशन विभाग को करना था, उसको चकों के बाहर जो बारानी रकबा था, वह फिट किया और फिट करने में जितने टुकड़े फिट किये उतने ही बारानी जमीन के काश्तकार बेदखल हो गये और उनको दफा १५ के तहत राइट नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाखरा ज़ोन में दफा १५ लागू नहीं होती इसलिए एवज में जमीन नहीं दे सकते और किसान सदा के लिए भूमिहीन हो गये । इसके बाद कन्सोलिडेशन विभाग ने, जिनकी जमीन फिट की उनको जहां इच्छा हुई जमीन दे दी और जो रकबा बचा उस बचे रकबे को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सम्भला दिया । इसका मतलब यह हुआ कि एक एक गांव में कई हजार काश्तकार ऐसे हैं जो इस्तमरार में आने से बेदखल हो गये और जो बचत रकबा काश्त में आ गया उसका छः रुपया फी बीघा तावान एक-एक गांव में लगा दिया । इसका नतीजा यह हुआ कि भाखरा जोन में जो बारानी एरिया है उसके अन्दर कम से कम ऐसे पांच हजार परिवार होंगे जिन पर छः रुपया फी बीघा तावान उन लोगों के बिना कसूर के इस बात के लिए लगा दिया गया है कि उनका गांव भाखरा जोन में आता है । मैं अर्ज करूंगा सभापति महोदय, आपकी मार्फत कि इन लोगों के लिए जल्दी कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में उनका टिकाना नहीं है । मेरा सुझाव है कि जितना बारानी रकबा है, मैं मिसाल देता हूँ कि गंगासिंहपुरा, तहसील भादरा में गांव है, उसकी दो, तीन बीघा जमीन कमान्डेड है लेकिन सारा गांव भाखरा जोन में है और सारे काश्तकार बचत रकबा काश्त के काश्तकार हैं । उन पर छः रुपया तावान लगा है और वहां के तहसीलदार हैं, तहसील का अमला है, वह गांव वालों से पांच रुपया बीघा वसूल कर रहा है । मुझे पता नहीं कि यह सरकार की नीति है या गैर तरीके से वसूल कर रहे हैं । इस पर सरकार ध्यान दे और उन लोगों को भाखरा जोन से निकाल कर दफा १५ के तहत खातेदारी अधिकार दे दे जिससे किसान बच सकें । और इसके बाद में दूसरी बात टेल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री सभापति** : दो मिनट में समाप्त कर दें ।

**श्री हरदत्तसिंह** : बहुत जरूरी बात है । हजारों किसान मारे गये हैं । आप कहें तो मैं बैठ जाता हूँ ।

इन टेल के गांवों को कमान्ड में बता कर जमीन दी गई वह फी परिवार पचास बीघा दी गई । लेकिन लोगों के पास सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ बीघा जमीन है वह खींच ली गई है और पचास बीघा जमीन दी गई है । अब क्या हुआ है कि उन लोगों की जमीन थी, वह नहर के लिए काटी गई ।....

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

टेल की कुछ जमीन को अनकमान्डेड डिक्लेयर कर दिया । ३६ हजार बीघा जमीन को अनकमान्डेड घोषित कर दिया गया है भाखरा क्षेत्र में और जो ३६ हजार बीघा जमीन के गरीब किसान थे उनका हक करटेल किया

( श्री हरदत्तसिंह )

गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो जमीन अनकमान्डेड हो गई है उस अनकमान्डेड जमीन को इस तरह अलॉट किया जायगा और जो नीलामी हो रही है उसको रोक दी जायगी और जो जमीन है वह उनको दे दी जाय।

इसके बाद मैं एक छोटी सी बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि २८० रुपया फी किसान से सरकार वसूल करती है, ६३४ रुपया सालाना पचास बीघा वाले किसानों का खर्च पड़ता है और उसकी तीन किश्त फी काश्तकार पर चढ़ गई, शासन की ढिलाई के कारण, कोलोनाइजेशन की मशीनरी की ढिलाई के कारण। तो जिसको जमीन अलॉट की और जिसको पास बुक दी उस पर तीन किश्त पहले से चढ़ चुकी हैं, ६३४ रुपये के हिसाब से २,८०० रुपये और १६६ रुपये और चढ़ गये, जो डेढ़ रुपया कोलोनाइजेशन का होता है और एक रुपया चौदह आना कन्सोलिडेशन का होता है और इस प्रकार फी काश्तकार तीन हजार रुपया सरकार को जमीन के लिए देना पड़ता है। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू अलग है और आबकारी अलग है। इतना सारा रुपया काश्तकार दे सके, यह असम्भव बात है। दूसरे, खेत की प्रोडक्टिविटी के बाहर की बात है। और पांच किश्त होते ही अधिकार को खत्म कर दिया जाता है और ६ रुपया सैकड़ा सूद लिया जाता है। इसके सम्बन्ध में मैं तीन, चार सुझाव जल्दी में पेश कर देना चाहता हूं, सरकार के सामने। पहला यह है कि पांच, किश्त इकट्ठी हो जाने पर खारिज करते हैं उसके बजाय जमीन पर दस किश्त इकट्ठी हो जाने पर खारिज की जानी चाहिए। पांच में रुपया वसूल नहीं किय जाया, बल्कि दस में किया जाय। इसके बाद जो पन्द्रह रुपये वसूल किये जाते हैं, यह मोटी किश्त हो गई जो उसके सामर्थ्य के बाहर की बात है तो वह बीस में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किश्त चढ़ गई, पांच किश्त चढ़ गई तो एक किश्त का पैसा लेने से अमला इन्कार कर देता है। इसके सम्बन्ध में मैं दो, तीन मिसालें देना चाहता हूं जिन पर विचार करने के बाद शासन, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होना चाहिए। एक भूमिहीन किसान है, आरजी काश्तकार है उसे सरकार ने जमीन दी थी। वह बेदखल होने जा रहा है क्योंकि उस पर किश्त चढ़ गई है। अब अगर वह एक किश्त देना चाहता है, पांच किश्त की चार किश्त करना चाहता है तो उसको फौरन किये जाने का सरकार को हुक्म देना चाहिए ताकि वह बेदखली से बच सके। इसके बाद में सूद के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। हमारा राज्य एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। और कुरान में बताया है कि सूद लेना और देना दोनों हराम है। हमारी कांग्रेस सरकार धर्म निरपेक्ष सरकार है और कांग्रेस में मुसलमान भी हैं। वह सरकार ६ परसेन्ट सूद वसूल करती है जब कि धर्म निरपेक्ष के मायने हैं इसके अनुसार सूद नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं कि सैकड़ों किसान थे, जो लैंडलैस थे। उनको जमीन दी थी, वह आपने उनको मुफ्त नहीं दी थी पैसा लेकर, सूद लेकर जमीन आपने दी। अब अगर उस पर पांच किश्त इकट्ठी हो जायं तो जमीन खारिज कर दी जायगी। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उनको जमीन पर बहाल कर दिया जाय और

( श्री हरदत्तसिंह )

वह किश्त पांच को जगह सात कर दी जायं ।

एक कट मोशन मेरा है, उसके बारे में कहने के पहले मैं अपनी बात कहूंगा । मैं छोटा था सभापति महोदय, तो मेरी मां कहा करती थी, बेटा राह जाना, कुराह मत जाना । सभापति महोदय, कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट ने यह नियम बनाया था कि रास्ता सीधा करेंगे । पुराने रास्तों को छोड़ दिया गया और नये रास्ते कायम किये । वे रास्ते मुरब्बा-वाइज चलने चाहिए और अगर उसमें अड़-चन पड़ती हो तो किलावाइज चलने चाहिए । मैं, सभापति महोदय, सरकार को कहता हूं कि ज्यादातर रास्ते कायम किये गये वे न तो किला-वाइज किये, न मुरब्बावाइज किये, बल्कि पैसा-वाइज किये गये । जहां से मिल गया वहां छोड़ दिया और जहां नहीं मिला वहां किया । मैं जल्दी में एक, दो बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि गांव बिहारीपुरा से ढाणियां डेढ़ मील है । कन्सोलिडेशन विभाग कि महरबानी से, पैसावाइज महरबानी से वे ढाणियां ६ मील दूर हो गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने साइट तो देखा ही होगा । गंगानगर से हिन्दूमलकोट जाते हैं उसमें रास्ते में आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि २२ मोड़ हैं । जहां कहीं भी कोलोनाइजेशन वालों को पैसा देने वाला आसामी मिला वहीं से उन्होंने रास्ता मोड़ दिया । मैं यह निवेदन करूंगा कि भाखरा के रास्ते में आप जाएंगे तो आपको २२ मोड़ मिलेंगे । यह इसीलिये मिलेंगे कि किसी ने पैसा दे दिया और कह दिया कि रास्ता इधर से नहीं पास से निकाल दो तो उन्होंने मोड़ देकर रास्ता निकाल दिया । मगर मैं आपको एक कानून की बात इसके अलावा और कहना चाहता हूं वह यह है कि जितने भी आप पुराने रास्ते देखेंगे वे सब सरकारी जमीन पर ही निकलते थे । इस प्रकार का कानून था । लेकिन कोलोनाइजेशन विभाग ने जितने भी रास्ते निकाले हैं वे सरकारी जमीन पर न निकाल कर किसानों की जमीन में निकाले हैं, चाहे वह रास्ता उनके खेतों में पड़ता हो और उस पर भी ताज्जुब इस बात का है कि बगैर मुआवजा दिये हुए । उनको किसी प्रकार का उस जमीन का मुआबजा आज तक नहीं दिया गया । यह बात मैं हल्फ उठा कर कहने को तैयार हूं और कसम खा कर कहने को तैयार हूं कि कोलोनाइजेशन विभाग ने उन बेचारे गरीब किसानों को जिनकी जमीन ले कर रास्ता निकाला एक पैसा भी मुआवजे का नहीं दिया । यह अन्याय नहीं तो क्या है ?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अब इन रास्तों को सीधा करने का एक ही तरीका है और वह यह कि यह काम पंचायतों के हाथ में दे दिया जाय तो यह रास्ते सीधे हो सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य भी रूल्स से वाकिफ हैं । वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पुराने जो रास्ते थे उससे वे हट गये हैं और बोर्डर के गांवों के रास्ते तो मेल नहीं खाते हैं । अगर वहां पर इस प्रकार से किया जाता तो मैं समझता हूं कि खून-खच्चर होता । इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो रास्तों की बात है उसको पूर्णतया पंचायतों

(श्री हरदत्तसिंह)

के हाथ में सौंप देना चाहिये। हां, यह जरूरी है कि जितने रास्ते पंचायतें सीधे करें उनके लिये यह नियम बना दिया जाय कि वे ग्राम पंचायतें, ग्राम सभायें बुलावेंगी और तमाम गांव वालों की राय से उस पर कोई निर्णय लेंगे और उसके बाद अपने निर्णय को एस. डी. एम. साहब को बतावेंगे। वे भी उसका मौका मुलाहिजा करेंगे और उसके बाद आदेश जारी करेंगे। इस प्रकार यह समस्या आसानी से हल हो सकती है, अन्यथा नहीं।

आगे एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह कि पुराने राजाओं के समय में चौधरियों को पिचोतरा दिया जाता था और वे लोग रकम वसूल करके खजाने में जमा करा देते थे। पिचोतरा जिस समय वे खजाने में रकम जमा कराने के लिये जाते उस रकम में से काट कर उसी समय खजान्ची उनको दे दिया करते थे, जिससे चौधरी लोगों को किसी प्रकार भी अपना पिचोतरा वसूल करने में दिक्कत नहीं आवे। इससे चौधरी लोग सरकार की लगान की रकम को वसूल कराने में पूरी पूरी मदद देते थे। लेकिन आज कल क्या हुआ है और उसका नतीजा मैंने खुद ने भुगता है। पहले तो कोई रकम जमा कराने के लिये जाता था तो उसको कहा करते थे कि यह राजा का आदमी है, इसकी रकम पहले जमा करो। मगर अब क्या होता है यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज चौधरी रकम लेकर जमा कराने के लिये जाता है तो उल्टा उसको परेशान किया जाता है और इसके अलावा उसकी रकम को जमा करते समय पिचोतरा उसी समय उसको जैसे पहले दिया जाता था नहीं दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि बिल बना कर पेश करो। इससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पिचोतरे के नाम की जो रकम होती है उसका अधिकांश भाग भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाता है। अधिकारी लोग कहते हैं कि बिल बना कर चौधरीजी पेश करो। अव्वल तो वे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिये उनको बिल बनाने वाले को कुछ न कुछ पैसा देना ही पड़ता है और जब वे बिल बना कर पेश करते हैं तो उसके बाद दूसरे कर्म-चारियों को बिल पास कराने के लिये कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। इस तरह से उसके हाथ बहुत कम पैसा आता है और पिचोतरे की रकम का आधे से ज्यादा हिस्सा भ्रष्ट कर्मचारियों के पास पहुंच जाता है। इससे वह कार्य करने में उतना इन्ट्रेस्ट नहीं लेता जितना पहले राजाओं के समय में लिया करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति पहले स्वेच्छा से काम करता था अब वह उसी प्रकार से काम नहीं करता, क्योंकि उसको पिचोतरा तो पूरा मिलता नहीं और उल्टा परेशान होना पड़ता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बेचारे गरीब चौधरी के साथ भी अन्याय होता है और रुपया सरकार से यों का यों खर्च के नाम से उठता है और भ्रष्ट अधिकारियों के पास जाता है। इसलिये यह ३० लाख रुपया जो पिचोतरे के नाम से खर्च होता है यह सारा का सारा रुपया भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाने से रोकने के लिये इसको बन्द कर दिया जाए। मैं माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे चौधरियों को इस प्रकार जो पिचोतरा दिया जाता है इसको खत्म करें या पंचायतों को यह

( श्री हरदत्तसिंह )

काम दे दें या पहले की तरह चौधरियों को सुविधाएं दे दें ताकि उन गरीबों को परेशान न होना पड़े ।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं ।

**श्री सभापति** : आपने समय बहुत ले लिया है ।

**श्री हरदत्तसिंह** : मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह कि जब मैं यह सारी टंटे बाजी देखता हूं तो मुझे एक सुखदेवा की बात याद आ जाती है । मुझे यह महसूस होता है कि सुखदेवा के विचार यहां भी लागू होते हैं । सुखदेवा अपने घर में बीबी को शादी करके लाया । घर पर लाने के बाद उसने अपनी बीबी को बहुत तंग किया और तकलीफ दी । कुछ समय बाद जब बीबी वापिस अपने पीहर गई तो उसने अपनी मां से सारा किस्सा कहा । सुखदेवा कुछ समय बाद फिर अपनी बीबी को लेने के लिये सुसराल पहुंचा । सासू ने कहा, बेटा ! तेरा नाम जैसा है उसको देखती हूं तो यह जी में आता है कि सुखदेवा को दूसरी बेटी और दे दूं मगर जब मैं तेरे कारनामों को देखती हूं तो तेरे कारनामे ऐसे हैं जिन्हें देख कर मेरा जी यह चाहता है कि इस बेटी को भी अपने पास ही रख लूं । इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जो आज राजस्थान का चमन कहलाता है, वहां के रहने वाले किसानों के साथ किस प्रकार मनमानी और जुल्म होते हैं उनको देख कर और सुन कर मैं यह समझता हूं कि उधर बैठने वाले भी जाकर देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि किस तरह से उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वे भी सरकार का साथ नहीं देंगे ।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

**श्री सभापति** : चूंकि माननीय सदस्य बहुत बोलने वाले हैं, अत : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों का एक ही कटौती प्रस्ताव है वे पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे और एक से अधिक हैं वे १० मिनट बोलेंगे, तो मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य बोल सकेंगे ।

श्री हीराभाई ।

**श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : सभापति महोदय,

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मेरे भी कट मोशन्स थे....

**श्री सभापति** : आप उस समय उपस्थित नहीं थे ।

**श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : मैं सलेक्ट कमेटी में था ।

**श्री सभापति** : आप उस समय मौजूद नहीं थे जिस समय आपका नाम पुकारा गया । अगर सभी माननीय सदस्यों के बोलने के बाद समय रहा तो आपको अवसर दिया जाएगा ।

**श्री हीराभाई** : सभापति महोदय, मेरा कट मोशन खुदकाश्त करने वाले किसानों के साथ सरकारी कर्मचारियों की अनियमितताओं

( श्री हीराभाई )

के बारे में है। सभापति महोदय, आज सरकार खुदकाश्त करने वालों की भलाई के गीत गाती है लेकिन मैं यह कहूंगा कि गरीबों के साथ जो मुसीबतें आती हैं उनको दूर करने के लिये उनके साथ रह कर काम करते हैं तब जाकर कहीं गरीबों की भलाई होती है। सरकार हमेशा हरिजन और आदिवासियों की भलाई की बात कहती है और उनकी भलाई के गीत गाती है और अपना मतलब हल कर लेती है। इसी तरह का रवैया आज किसानों के साथ हो रहा है। वास्तव में उनके लिये कुछ नहीं हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं कोई जागीरदारों की बुराई नहीं कर रहा हूं और न मैं जागीरदारों की तारीफ करना चाहता हूं लेकिन मैं यह भी इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आज के जमाने में कई गुना ज्यादा जागीरदार हमारी कांग्रेस सरकार ने बना दिये हैं। इसलिये मौजूदा पुराने जागीरदारों को किस तरह से बुरा कहें? जो मौजूदा जागीरदार आपने बनाये या गांव के काश्तकारों से जागीरदार बना रहे हैं उसकी तरफ मैने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

सभापति महोदय, आज एक तरफ तो हमें इस प्रकार की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ एक जागीरदार या कोई भी नेता किसानों को अन्धा बना कर सरकारी नेताओं के इशारे से सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डाल कर अच्छे सभ्यतावाले आदमियों को, पैसेवाले आदमियों को जो नेता नहीं हैं, चाहे खुद काश्त की जमीन उनके पास है, तीन वर्षों के अधिकार या चार वर्षों का अधिकार उनका हो गया है तब भी उनको खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाते हैं और उनको आज दबाया जा रहा है उन लोगों द्वारा जो सरकार के आदमी हैं या उनकी पार्टी के आदमी हैं या पुराने जागीरदार हैं। किसी तरह से उन लोगों की सुनवाई नहीं होती है और वे लोग जो वाकई काश्तकार हैं वे बराबर चिल्लाते रहते हैं। मगर आज तक उनका मामला हल नहीं हो रहा है। आज का जो मैं सरकार का रवैया देखता हूं तो मैं यह समझता हूं कि भविष्य में यह रवैया मिटने वाला नहीं है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में एक भूखिया गांव है। उसकी मिसाल दूंगा। एक जागीरदार थे। उनके नाम १,५०० बीघा जमीन थी। उसमें गरीब लोग काश्त करते थे। यानि वहां नवांधरी नाम के गांव वाले खेती करते थे। करीब ५० वर्षों से वे लोग खेती करते चले आ रहे थे। १९५९—६० में जागीरदार ने खड़ी फसल तुड़वा दी और कब्जा कर लिया। उस जमीन को हमारे रेवेन्यू विभाग ने और हमारी गवर्नमेन्ट ने उस जागीरदार को सुपुर्द कर दी और कानून बना कर यह कहते हैं कि १९५६ से जिनके अधिकार में जमीन है वह जमीनें आदिवासियों तथा शिकमी काश्तकारों से नहीं छीनी जावेगी और शिकमी काश्तकारों को तीन वर्ष खेती करने के बाद उनको उस जमीन का कब्जा दे दिया जावेगा। तो इस तरह से एक तरफ कानून की बातें कही जाती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों की फसल नष्ट की जाती है। यह सब पटवारियों की रिपोर्ट से होता है और पटवारी बिना रिश्वत लिये या खुशामद कराये सही जिन्होंने फसल बोई उनके नाम नहीं लिखते हैं और इसकी वजह से उन गरीब लोगों का गला काटा जा रहा है।

( श्री हीराभाई )

अगर पटवारी उनको पर्ची काट देता है कि ये शिकमी काश्तकार हैं तो इन जागीरदारों को मौज लूटने का मौका नहीं मिलता । वह पर्ची कटाने जायगा और लगान जमा कराने जाता है तो लगान जमा नहीं किया जाता और आज कल के जागीरदार जो नेताओं के रिश्तेदार, कृपा–पात्र वफादार और सरकारी अफसरों के सिफारिशी हैं उन लोगों के नाम से पर्ची काटी जाती है और इन बेचारे आदिवासी गरीब काश्तकारों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जता है । अनियमितता इस तरह की जाती है । बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एरिया में पानी बहुत ज्यादा गिरने से भी अकाल हो जाता है और पानी कम गिरने से भी अकाल हो जाता है और खरीफ की फसल में हमेशा धोखा होता है, दूसरे–तीसरे साल अकाल पड़ता ही रहता है । १६५६ की मिसाल मैं पेश करूं....

**श्री सभापति** : एक मिनट में ही खत्म करें ।

**श्री हीराभाई** : सभापति महोदय, पहले वालों को तो आधा–आधा घंटा मौका दिया है ।

**श्री सभापति** : ऑर्डर प्लीज़ ! एक मिनट में खत्म करें ।

**श्री हीराभाई** : एक मिनट में खत्म नहीं होगा । फसल उत्पादन की रिपोर्ट में पटवारी ४ आनी पाक का आंकड़ा पेश करता है उसी आंकड़े को बढ़ा कर तहसीलदार, क्लेक्टर की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी जाती है तो आठ आनी, बारह आनी पाक बताई जाती है । किसी को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता । हमेशा की तरह लगान वसूल किया जाता है । वह भी उसी साल वसूल कर लिया जाय तो कुछ नहीं, उस साल तो अकाल घोषित करने की कार्यवाही चालू रहती है और टाइम निकल जाने के बाद दो साल बाद वसूली करने की तैयारी होती है, जब्तियां होती हैं बैल व जमीन की नीलामियां होती हैं और गरीबों पर इस तरह से अत्याचार और जुल्म किया जाता है । इसी तरह इस साल बागीडोरा में हुआ है । चुनाव के टाइम में कलेक्टर ने लगान वसूली को स्थगित रखा, आज गांव–गांव से लगान वसूल किया जा रहा है । जब्तियां हो रही हैं , आदिवासी लोगों के साथ इस तरह का रवैया बरता जाता है, क्योंकि वे लोग बोल नहीं सकते, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं है । उनको बेदखल किया जाता है तो लोग लड़ नहीं सकते क्योंकि वकीलों को देने के लिये उनके पास पैसा नहीं और न उन लोगों की कोई सुनता ही है । इस तरह उन लोगों की जमीनें छीन कर नेताओं के वफादारों को दे दी जाती है और इस तरफ आदिवासी गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है और यह सब देखने के लिये गवर्नमेंट के आंखें ही नहीं हैं । इनको पहले भी जानवर कहते थे और आज भी उन गरीबों को जानवर ही कहा जाता है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जल्दी ही खत्म करूंगा ।

**श्री सभापति** : अब तशरीफ रखें ।

**श्री हीराभाई** : जल्दी ही खत्म करूंगा। तो इसके लिये मैं एक सुझाव सरकार के सामने रखूंगा कि ऐसे सब मामलों की जांच के लिये एक जांच कमेटी मुकर्रर करके इस बात की जांच करवाई जाय कि इन लोगों को कब से खातेदारी हक हैं और कब से काश्त करते आ रहे हैं। इसकी जांच नहीं करवाई जायगी और पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर की ही जिम्मेदारी रखी जायगी तो खातेदार आदिवासी कुचले जायेंगे। श्री कुम्भाराम, श्री एस. के. डे. ने जमीनें ले रखी हैं और दुहाई देते हैं कि खुदकाश्त है। इस तरह पुराने जागीरदार तो थोड़े थे पर ये नये जागीरदार उनसे चौगुने हो गये हैं। इसलिये स्पेशल कमेटी मुकर्रर करके इन सब मामलों की छानबीन और जांच करवाई जाकर इन गरीबों को अधिकार दिलाये जायें तो यह मामला हल हो सकता है, वर्ना नहीं हो सकता।

**श्री सभापति** : श्री जोधसिंह।

**श्री जोधसिंह** (गिरवा) : श्रीमान् सभापति महोदय, मैंने भू-राजस्व में १००) रू० की कटौती चाही है और पटवार-व्यवस्था पर विचार करने हेतु निवेदन किया है। पटवार-व्यवस्था में यह है, मैं तो यह कहूंगा कि यह एक भ्रष्टाचार का साधन बन गया है। जितने पटवारी हैं, सरकार के नौकर हैं, वे चुनावों में काम करते हैं, जैसा कहते हैं काम करते हैं। मैं कहता हूं, पटवार का विभाग है उसमें हमें सुधार लाना है। इस प्रकार लाना है कि जिससे जनता को, हमारे किसानों को राहत मिले, सहूलियत मिले। इस बात को सोच कर इस पटवार सिस्टम को बदलना पड़ेगा और इस प्रकार किसानों को राहत पहुंचानी होगी। अभी पटवार सिस्टम है उससे जनता घबरा गई है, सरकार को बदलना चाहती है, वह सरकार को गालियां देती है। वह कहती है कि यह कैसी सरकार है, इससे तो अंग्रेजी सरकार ही अच्छी थी। एक कहानी याद आ गई। वे दुखी हो गये हैं। आज किसी जमीन पर उनका अधिकार नहीं, जरा सी गलती किसान ने की कि पटवारी उसके खिलाफ केस लगा देगा। केस इसलिये लगायेगा कि पैसे लेने के लिये, केस इसलिये लगायेगा कि प्रधानों को, सरकार को खुश रखने के लिये। मैं तो यही कहूंगा कि जितने पटवारी हैं वे सब कांग्रेस के नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं और जैसा ये कहते हैं वैसे काम करते हैं। मैं सबसे पहले इसमें सुधार लाने के लिये निवेदन करूंगा कि पटवारी, वी. एल. डब्लू. हैं इनको एक कर देना चाहिये और पटवारियों को पंचायत समितियों के अधिकार में देना चाहिये जिससे पटवारी गांवों में जायगा, खेती दर्ज करेगा उसमें क्या होगा कि वह अपने आप ही मालूम नहीं कर सकेगा कि किस खेत में किसकी किस प्रकार की खेती हुई। ५ आदमी साथ जायेंगे और वहां की ठीक हालत मालूम करके दर्ज करेगा। यही नहीं जब पटवारी गांव से फसल का निरीक्षण करके आवे और रजिस्टर में दर्ज करे तो गांव में फहरिश्त लगा दे कि कितना कहां पैदा हुआ, इतना इतना अनाज पैदा हुआ, ताकि किसान महसूस कर सकें कि मेरे इतना रुपया लगा है और इतनी पैदा हुई है। अगर पटवारी ने उचित नहीं लिखा हो तो कार्यवाही कर सकें।

आज पटवारी अपनी मनमानी लिख कर चला जाता है। आज पटवारी भ्रष्टाचार का

( श्री जोधसिंह )

साधन बन गया है । मैं गिरवा तहसील से आया हूं वहां और मावली में यह हालत है कि दस-दस, बारह-बारह साल से, ऐसे किसान हैं जिनकी जमीनों के खाते नहीं बदले हैं । मैं तो यही कहूंगा कि उनकी पैतृक जमीन उनके नाम दर्ज नहीं हुई है । वहां के किसान दुखी हैं । जगह-जगह सोचते हैं कि पटवारी से कैसे बचा जाय । पटवारी किसानों से रिश्वत लेता है, उसका तबादला हो जाता है, किसान का कोई काम नहीं होता और दूसरा पटवारी आता है तो उसी काम के लिये उससे फिर रिश्वत मांगता है । तो इस तरह भ्रष्टाचार फैलता है ।

इसका मुख्य कारण मैं समझता हूं यह है कि हमारे पटवारियों का वेतन बहुत कम है । पटवारी का वेतन १००) रुपयों से कम नहीं होना चाहिये । इनका वेतन ठीक होगा तो सरकार के बड़े बड़े अफसरों और नेताओं से नहीं डरेंगे । इनके पेट का पालन ठीक तरह से होगा तो उनके साथ नहीं रहेंगे । मैं तो निवेदन करूंगा कि पटवारी का इतना कम वेतन है कि उसके घर के आदमियों का और उसका पेट पालन नहीं होता है । पटवारी भी दुखी हैं । उनका वेतन ठीक हो जाय, उनकी माली हालत ठीक हो जाय तो हमारे यहां भ्रष्टाचार मिट सकता है और किसान सुखी हो सकते हैं ।

गांवों में पटवारियों के लिये ऑफिस हों, चपरासी हों, उनके रहने के लिये घर हों, ये सारी सुविधाएं हों । आज पटवारी को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, न कोई ऑफिस है, न चपरासी है और न रहने के लिये घर है । आज पटवारी गांव में जाता है तो किसी किसान के घर पर ठहरता है, न रहने को स्थान है, न घर है, न क्लर्क है, फिर वह क्या करे ? मैं तो सबसे पहले यही निवेदन करूंगा कि गांवों की स्थिति ठीक रखनी है, भ्रष्टाचार मिटाना है तो सबसे पहले मुख्य ध्येय यह होना चाहिये कि पटवारियों की हालत ठीक हो, जिससे कि पटवारी गांवों में जाकर चोरी न करें ।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

बस, मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

**श्री सभापति:** श्री उम्मेदसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद): सभापति महोदय, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे मुख्य अंग यदि कोई गांव में है तो वह है पटवारी और पटवारी के दो पहलू हैं, एक अच्छाई का और दूसरा बुराई का । मैं सबसे पहले आपके सामने गांवों में पटवारी लोगों की वजह से जो तकलीफ हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा । आज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से गांव वालों को बड़ी तकलीफें हैं, उससे गांवों के काश्तकार बड़े परेशान हैं । सबसे बड़ी चीजें हैं वे हैं रद्दोबदली की । रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पटवारी लोग हैं । रद्दोबदली का काम पंचायतों को सुपुर्द किया गया है । रद्दोबदली करने के लिये पंचायतें पटवारियों को बुलाती हैं मगर पटवारियों को रद्दोबदली नहीं करनी है तो इनको इस प्रकार कह कर

( श्री गिरधारीलाल व्यास )

टाल देते हैं कि हम तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत हैं और तहसीलदार से जब तक इजाजत न मिले हम पंचायत में जाकर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। इस तरह की टालमटोल की वजह से आप स्वयम् ही सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है। जिस व्यक्ति द्वारा पटवारी को खुश कर दिया जाता है चाहे वह रद्दोबदली हो या और कोई नाम हो वह तुरन्त हो जाता है और जिस व्यक्ति ने पटवारी को खुश नहीं किया है और पटवारी जिसको टालना चाहता है उसके लिए तरह–तरह के वह रोड़े अटका देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो दोहरा एडमिनिस्ट्रेशन है कि पटवारियों को तो रखा गया है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे और रद्दोबदली का काम दिया है पंचायतों को, इसलिए इसमें सुधार लाने की आवश्कता है और जब तक इस तरह का दोहरा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तो वे गड़बड़ियां मिट नहीं सकेंगी। इसलिए इस प्रकार का दोहरा सम्बन्ध हटाना चाहिये और पंचायतों और पटवारियों का ताल्लुक ज्यादा से ज्यादा मजबूत और अच्छा बनाना चाहिये जिससे कि गांवों में काश्तकारों को राहत मिल सके।

इसी प्रकार से पटवारियों के द्वारा गांवों में तरह तरह की कठिनाइयां गांव वालों को उठानी पड़ती हैं। सबसे बड़ी कठिनाई यदि कोई गांव वालों के सामने आती है तो वह आती है हरे दरख्तों को। यह बड़ी भारी कठिनाई गांव वालों के सामने आती है। खेती के लिए औजार, हल आदि के लिए काश्तकार को दरख्त काटने का कानून द्वारा अधिकार दिया हुआ है। इसके सम्बन्ध में पटवारियों के खिलाफ बहुत शिकायतें गांवों में सुनी जाती हैं। पटवारियों द्वारा हरे दरख्त काटने पर बेजा दबाव डाला जाता है और किसी ने यदि पटवारी को खुश कर लिया तो उसके विरुद्ध कोई केस नहीं बनाया जाता है और खुश नहीं करता है तो झूठे मुकदमे बना कर कचहरियों में काश्तकारों को भेजा जाता है। चुनावों के वक्त भी इस प्रकार की बातें आई हैं कि सरकार कुंए, ढाणे वगैरह के लिये हल आदि के लिए कोई दरख्त से लकड़ी नहीं काटने देती है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की बातों का सख्ती के साथ पालन नहीं किया जायगा तो इससे काश्तकारों के अन्दर जो भावनायें सरकार के खिलाफ फैल रही हैं वह अधिक से अधिक फैलेंगी और उनको रोकना मुश्किल हो जायगा।

इसी प्रकार से अलॉटमेंट के लिए निवेदन करना है। सरकार की यह नीति है कि भूमिहीनों को भूमि दी जाय और इस नीति के अनुसार लाखों बीघा जमीन भूमिहीनों को दी भी गई है। लेकिन जो जमीन दी जाती है वह सरकार की ओर से मुफ़्त जमीन दी जाती है। लेकिन पटवारी लोगों के पास जब वह नापने व दर्ज होने के लिए जाती है तो कोई कीमत देकर जमीन खरीदे उतनी ही कीमती वह जमीन बन जाती है। पटवारियों को नापने में जो पैसा दिया जाता है तो वह जमीन की कीमत उससे भी अधिक कीमती हो जाती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : एक मिनट में समाप्त कर दीजियेगा ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : सभापति महोदय, अभी तो मुझे दो मिनट ही नहीं हुए हैं । बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए । मुझे कुछ समय दिया जाय ।

**श्री सभापति** : अधिक से अधिक पांच मिनट दिये जा सकते हैं ।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : अभी पांच मिनट हुए नहीं हैं ।

तो अलॉटमेंट की जो जमीन दी जाती है वह पटवारियों के द्वारा नापने वगैरा के सम्बन्ध में जो पैसा लिया जाता है वह उस कीमत में दी जाने वाली जमीन से भी अधिक कीमती हो जाती है । अलॉटमेंट की जमीन इसलिए इस तरीके से दी जाय कि जिससे नाजायज तरीके से पटवारी द्वारा उनसे पैसा नहीं लिया जा सके ।

दूसरा प्रश्न यह है कि छोटे २ तालाबों से जमीन की पिलाई की फीस सेटलमेंट के समय में ही बांध दी गई थी । अब जो सिंचाई गांवों में छोटे छोटे तालाबों द्वारा होती है पटवारी उनकी पिलाई अलग वसूल करते हैं । पहले सेटलमेंट हुआ था उन तालाबों के जरिये से जो पिलाई होती थी उनको सेटल्ड लगान में एड कर दिया गया था । अब पटवारियों की ओर से अलग वसूल किया जाता है, जो गांव वालों को एक बड़ी तकलीफ है और सरकार को उसको मिटाना चाहिये । सेटलमेंट में पहले से पिलाई दर्ज करके तालाब की जमीन बताई जाती थी । अलग से पिलाई की रेट वसूल नहीं होनी चाहिये । इसी तरह से बहुत सी जगह तहसीलें हैं और नायब तहसीलें भी हैं । नायब तहसीलों में नायब तहसीलदार और पटवारी आदि स्टाफ रहता है, जनता की सुविधा के लिए । आज नायब तहसीलों को बिल्कुल पंगु बना दिया गया है । छोटे-मोटे केस वर्क के लिए नायब तहसीलदार तक ही समाप्त हो जाने चाहिये लेकिन वे केस वर्क नायब तहसीलों में न जाकर तहसीलों में जाते हैं और पटवारियों को तहसीलों के अन्दर ही रखा जाता है । इस तरीके से जो नायब तहसीलों को रख कर उनके नीचे पटवारियों को रख कर गांव की जनता को छोटे-मोटे केस वर्क के लिए सहूलियतें दी गई थीं उनको खत्म किया जा रहा है और इस प्रकार से जो व्यय उन पर किया जाता है वह भी राज्य के लिए एक भार रूप ही रहता है । अतः जनता की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए नायब तहसील तक ही उन केसेज का निपटारा हो जाया करे और पटवारियों को तहसील तक न जाना पड़े ।

इस तरह से पटवारियों के लिए निवेदन करना चाहता हूं । यह आम शिकायत है कि वे लोगों से रिश्वत लेते हैं और उनको दिक्कत पैदा करते हैं । यह सारा किस कारण से है ? यह उनकी आज कम तनख्वाह के कारण ही । पटवारी का ४०) से ६०) रु० का ग्रेड है जब कि एक एल० डी० सी० का ग्रेड ६०) रु० से शुरू होता है । उनको आज वेतन एक एल० डी० सी० से भी कम मिलता है और दीगर कर्मचारियों से कम मिलता है । एल० डी० सी० के पास जितना काम है उससे कहीं अधिक पटवारी के पास काम

# Page No. 87



( श्री गिरधारीलाल व्यास )

होता है । बहुत अधिक उसके पास काम है। इसलिए कम से कम एल० डी० सी० को जो तनख्वाह मिलती है उतनी तो पटवारियों को मिलनी ही चाहिये और जो सुविधायें और सहूलियतें सरकार अपने दूसरे गवर्नमेंट सर्वेन्टस को देती है जैसे फ्री मेडिकल एड, टी. ए., डी. ए. आदि वे भी उन पटवारियों को दी जानी चाहिये तो वे लोग भी ऑनेस्टली और उत्साहपूर्वक काम करेंगे । इससे अधिक से अधिक लोगों को राहत मिलेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : श्री अमरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशकुमार ।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह ।

**श्री नत्थीसिंह** ( गोविन्दगढ़ ) : सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव पट्टेदारों की समस्या पर है । सभापति महोदय, जो पट्टेदारों के पास कस्टोडियन की जमीन है उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह जो निष्क्रान्त भूमि है भूमिहीन किसानों को सरकार ने पट्टे पर बतलायी है । मैं अर्ज करूं १२ साल के करीब सरकार पट्टेदारों से दुगुनी माल गुजारी वसूल कर रही है । इसके साथ-साथ अभी इन लोगों के ऊपर है करीब इसकी कीमत जो बान्ध दी है वह २००) और २५०) रुपया है । मेरी समझ में नहीं आता एक तरफ तो सरकारी नुमायन्दे यह कहते हैं कि हम भूमिहीन किसानों को जमीनें देंगे और दूसरी तरफ दो-दो बार जमीन की कीमत वसूल कर रहे हैं ! क्या गांधीवाद ने उन्हें यही बतलाया था ? आप लोगों का जैसा कि प्रोग्राम है समाजवादी समाज आप लाना चाहते हैं । क्या आप इसी तरह से गरीबों का शोषण करके समाजवाद ला सकेंगे ? आप लोगों की थ्योरी और प्रेक्टिकल में बहुत अन्तर है । आप लोगों ने आजादी से पहले, बारबार वायदे किये थे कि हम भूमिहीन किसानों को जमीन देंगे, जिनके पास रोजगार नहीं उनको रोजगार देंगे । क्या आपका जनतन्त्र यही है कि आप पट्टेदारों का शोषण करें ? मैं अर्ज करूंगा कि आपने उन पट्टेदारों पर जो कीमत लागू की है उसके लिए मेरा तो यह सुझाव है कि वह न रखो जाय क्योंकि उनसे बारह साल से दुगुनी जमा वसूली की गई है ।

दूसरा प्रस्ताव है भूमिहीन मेवों की मांग के बारे में, जो कि भरतपुर और अलवर की बहुत बड़ी समस्या है । आप उनकी पिछली हिस्ट्री को सुनें तो आपको यह महसूस होगा कि आज किस दयनीय अवस्था में वे अपना गुजर बसर कर रहे हैं । आदरणीय सभापति महोदय, मैं हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सन् ४७ में जब साम्प्रदायिक झगड़े हुए उन लोगों ने घरबार छोड़ा । वे लोग जब गुड़गांव के पास जा रहे थे उस वक्त महात्मा गांधी उनके कैम्प में आये और आकर उन लोगों को

( श्री नत्थीसिंह )

इकट्ठा किया और उनको विश्वास दिलाया कि हम आपको उन्हीं चूल्हों पर रोटियां करा देंगे जिनको तुम छोड़कर आये हो। ऐसा उनको विश्वास दिलाया गया था। महात्मा गांधी के विश्वास पर वे वापिस अलवर और भरतपुर के लिए रवाना हुए, उनमें से बहुत भाइयों ने जो चालाक थे, होशियार थे, रिश्वतों के आधार पर अपनी जमीन और मकान ले लिए पर बहुत से आदमी घरबार से रहित हैं। आज उनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है, जब कि वे सौ-सौ बीघा जमीन के मालिक थे, काश्तकार थे। उनके महल बने हुए थे, आज उनके लिए झोंपड़ी भी नसीब नहीं और वे एक-एक बीघा जमीन के लिए तरस रहे हैं। यह सरकार के लिए लज्जा की बात है। एक तरफ कहते हैं कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे, दूसरी ओर जमीन को छीन करके जो कि कस्टोडियन की जमीन है पट्टे पर देकर उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं। यह आप क्या करने जा रहे हैं ? मैं आपको अर्ज करूं कि जिन लोगों के पास १०० बीघा जमीन थी, वे लोग आज एक-एक बीघा के लिए तरस रहे हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ये नेता लोग, मंत्री लोग वहां जा करके भाषण देते हैं कि अब हम आपको जमीन और मकान बतला देंगे। पिछले चुनाव हुए यानि इस असेम्बली के जब चुनाव हुए उस वक्त सुखाड़ियाजी साहब गोविन्दगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने वहां के लोगों से कुछ वायदे किये थे लेकिन अभी तक उन मेवों को जमीन नहीं मिली। उनको कहा गया कि जमीन दिलायेंगे घर-बार दिलायेंगे। क्या सरकार उन वायदों पर ध्यान दे रही है या उनको फिर अगले पांच सालों के लिये लटकाये रखा जायगा ? मैं समझता हूं इस तरह से कितने दिनों तक हुकूमत चलेगी, सामन्तवादी तरीके से भी गलत तरीका है यह हकूमत का। इस प्रजातन्त्र के समय में इस तरह से जनता को लटका कर भाषण देकर वोट लेना स्वस्थ परम्परा के खिलाफ है। एक तरफ तो आपके नेता लोग कहते हैं कि यह जन-कल्याणकारी राज्य है, हम स्वस्थ परम्परा कायम करना चाहते हैं। जनतन्त्र का राज्य है। क्या आप इसी को जन-कल्याणकारी राज्य कहेंगे ? एक तरफ उन मेवों का क्या कसूर था ? वे महात्मा गांधी के कहने पर वापिस आये। मैं समझता हूं आप जब महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को मानते हैं, जिन्होंने उन लोगों को विश्वास दिलाया तो उस विश्वास की कद्र करनी चाहिये, नहीं तो आप महात्मा गांधी की आत्मा को स्वर्ग में भी दुखी करेंगे। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा और सरकार से अपील करूंगा यह जो मसला भरतपुर और अलवर के मेवों का है जिनके पास काफी जमीन थी, जो बहुत अच्छे काश्तकार थे, इसके बारे में शीघ्र एक्शन लेंगे। आज वे लोग एक एक बीघा जमीन के लिए तरस रहे हैं, इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे। अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा ये जो मेव हैं उनकी संख्या दो लाख के करीब है, उनके लिए जमीन की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था करें, यही मेरा सुझाव है।

**श्री सभापति** : श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)

( अनुपस्थित )

श्री मनफूलसिंह।

( ४ म. प. )

**श्री मनफूलसिंह** ( सूरतगढ़ ) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है, वह है भाखरा राजस्थान केनाल के परमानेन्ट आरजी काश्त के अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में ।

सभापति महोदय, राजस्थान केनाल के जो भूमिहीन किसान हैं उनको हर साल आरजी अलॉटमेन्ट करते हैं । उनकी जो अव्यवस्था है उसके सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं । वह यह है कि जैसे चम्बल एरिया के अन्दर भूमिहीन किसान थे और जो कई साल से लगातार चले आते हैं उनको सन् ५३ के अन्दर पट्टे मिल गये, उनको खातेदारी राइट्स दे दिये गये । लेकिन राजस्थान केनाल के अन्दर कई सालों से दस, पन्द्रह साल से आरजी काश्तकार चले आ रहे हैं उनको हर साल आरजी काश्त पर जमीन अलॉट होती है । इनकी जो अलॉटमेन्ट की परम्परा है वह इतनी गलत है कि उसके लिए दरख्वास्तें मांगी जाती हैं, हर साल तहसील हैडक्वार्टर पर बुलाया जाता है, फड़द मांगते हैं उस पर पटवारी कितनी आना-कानी करता है, पटवारी द्वारा कितनी ज्यादती होती है, यह उस किसान से पूछने से ही मालूम हो सकता है । इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान केनाल में टेम्पोरेरी अलॉटमेन्ट की जो व्यवस्था बनी हुई है वह डिफेक्टिव है । उसको सुधारने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा । उसके लिए जब कि कोलोनाइजेशन एक्ट के अन्दर चम्बल के अन्दर परमानेन्ट अलॉटमेंट हो चुका है तो फिर राजस्थान केनाल एरिया में परमानेन्ट अलॉटमेंट में क्या अड़चन आ रही है ? दूसरा निवेदन यह है कि जब टेम्पोरेरी अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद छः महीने, १२ महीने तक दूसरी दरख्वास्त नहीं मांग लेते हैं, पटवारी निशानदेही समय पर नहीं देता । पटवारी के साथ में जब तक कोई बात नहीं हो जाती तब तक वह निशानदेही नहीं देता । इस तरह से बड़ी तकलीफ है । यदि इस प्रकार की तकलीफ रही तो उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल चीज है । और दूसरा मैं आप से यह अर्ज करूं कि जब वह अलॉटमेंट हो जाता है टेम्पोरेरी, निशानदेही भी मिल जाती है तो उसके बाद पटवारी, जिस किसान को जो जगह जमीन मिली होती है उसको वह जगह नहीं देकर दूसरी जगह बता देता है और इस पर उसके ऊपर तावान कायम होता है । एक-एक गांव में इस तरह से बीस-बीस और तीस-तीस हजार रुपया तावान का कायम हुआ है । जिस तरह एक माननीय सदस्य ने भी फरमाया कि इस पर लोगों का धन-माल, हल, सामान सभी कुर्क करके किसान को हैरान कर देते हैं । किसान इस तरह दुखी होता है ।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

एक मिनट और ।

तो मैं अर्ज करूं कि राजस्थान सरकार ने अच्छे प्रगतिशील कानून जरूर बनाये हैं, पर उनको कार्य रूप में परिणित करने में खामियां हैं ।

इसी तरह से जब कि राजस्थान केनाल में परमानेन्ट अलॉटमेंट किया जा सकता है तो हर साल क्यों हैरान किया जाता है किसान को ? विकास के काम में आज किसान आपका

(श्री मनफूलसिंह)

सबसे अधिक मददगार है, पर उसको आप जब इस तरह से दुःखी और हैरान करते हैं तो आपके ये विकास के काम भी बन्द हो जाते हैं । आरजी अलॉटमेन्ट के लिये उनको साल भर में छः महीने तो सरकार के अधिकारियों और दफ्तरों में ही भागने में बीत जाते हैं, फिर वह क्या आपको विकास के काम में मदद दे पावेगा ? अगर इसको आप परमानेन्ट अलॉटमेन्ट कर दें तो सरकार को नुकसान नहीं रहेगा । फिर इससे सरकार को आमदनी भी होगी । आज जब कि आपका बजट करोड़ों के डेफिसिट में जा रहा है तो इससे इस तरह परमानेन्ट अलॉटमेन्ट से काफी आमदनी भी सरकार को होगी । तो फिर क्या दिक्कत है ? राजस्थान कैनाल एरिया को भूमिहीन किसानों को परमानेन्ट अलॉट कर दी जावे । हर साल जो सरकार की बदनामी होती है, किसानों को दिक्कतें होती हैं, करप्शन भी पनपता है या पटवारियों और तहसीलदारों ने जो अपना धन्धा बना रखा है वह भी समाप्त हो जावेगा । हर साल जो वे दूकान खोल कर बैठ जाते हैं और बीच में दलाल डाल कर रिश्वतखोरी करते हैं और जिससे असन्तोष बढ़ता जाता है और भूमि भी अच्छी तरह से वक्त पर नहीं जुतती, ठीक वक्त पर निशान पटवारी नहीं देता और जिसके कारण तावान लगता है तो ये सारी बातें भी ठीक हो जावेंगी । इसलिये यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल एरिया को जल्दी से जल्दी परमानेन्टली अलॉट कर दिया जावे ।

**श्री सभापति** : श्री अमरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्रकुमार ।

**श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (सराडा-सु०) : माननीय सभापतिजी, मेरा कट मोशन का शीर्षक है भू-राजस्व के पटवारियों को पंचायत के अन्तर्गत सौंपने के संबंध में ।

आज रेवेन्यू विभाग दो भागों में बंटा हुआ है, जिसका थोड़ा काम तो तहसीलों से होता है और थोड़ा पंचायतों से ।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारी वर्ग को पंचायतों के अन्डर में देना जरूरी है, कारण कि जितने विकास के काम होते हैं बहुत से पटवारियों के मार्फत होते हैं और जिनमें से ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं । गांवों में काश्तकारों को तकावी का लोन या किसी तरह की सुविधा देते हैं तो लोग पटवारी के पास जाते हैं । तो अब जब किसान से पटवारी का इतना नजदीक का सम्बन्ध है और किसान गांव में रहता है और गांव में पंचायत और सरपंच आदि होते हैं, सरपंच को गांव के हित का और विकास का अधिक ध्यान रहता है तो पटवारी अगर सरपंच के कहने को नहीं माने तो विकास के काम में काफी हानि होती है । इसलिये सरकार को पटवारी को पंचायतों के नीचे दे देना चाहिए ताकि वह सरपंच की सिफारिश को भी माने । आज पटवारी उसकी सिफारिश नहीं मानता, कहता है, तहसीलदार की सिफारिश लाओ । तो इसमें काश्तकार और किसान को बहुत नुकसान होता है और वे मारे-मारे फिरते हैं । सरपंच और पंचायत के अन्डर में अगर पटवारी होगा तो हर तरह का विकास का काम पंचायत उससे

( श्री देवेन्द्रकुमार मीणा )

करवा सकती है। उनको किसी कागज की फाइल आदि की जरूरत होती है तो इधर-उधर डोलने की जरूरत नहीं रहेगी।

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार जो वसूली अपने खुद के द्वारा रेवेन्यू की करवाती है वह पंचायत के अधीन होनी चाहिये। आज काश्तकार बेचारा नहीं समझने के कारण तहसील में जाकर बैठ जाता है। पटवारी नहीं मिलता है तो किसान बहुत तंग होता है। तो इसलिये यह वसूली का काम भी अगर पंचायत में होगा और पटवारी भी पंचायत के अण्डर में रहेगा तो किसान की दिक्कत दूर हो जावेगी।

**श्री जयकृष्ण** ( थानागाजी ) : मेरा कटौती का प्रस्ताव भू-राजस्व अलवर के जिले में वसूल होता है उसके ऊपर विचार करने के लिये है। राजस्थान में, यह निश्चित है, भूमि-सुधार कानून बनने के बाद काफी प्रगति हुई है। मैं निवेदन करूं कि अलवर और भरत-पुर जिले ऐसे हैं कि जहां भूमि के कायदे—कानून इस राजस्थान में दूसरी जगहों से भिन्न थे। वहां के भूस्वामियों और जागीरदारों के तरीके दूसरी तरह के थे और रेवेन्यू रेकॉर्ड रखने का तरीका भी दूसरी तरह का था। वहां भूमि की समस्या एक गहन समस्या पहले से ही थी। आज वह समस्या के रूप में नई नहीं है, क्योंकि वहां कम भूमि पर अधिक लोग निर्भर हैं। तो इसलिए वहां लगान वसूली की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ सुझाव सभापति महोदय, आपकी मार्फत इस सदन में रखना चाहता हूँ। पटवारी वहां वसूली की जो डिमांड स्लिप देता है उसमें वह न नम्बर लगाता है, न खसरा नम्बर लिखता है, एक मुश्त सिर्फ वसूली की रकम लिख देता है। तो इन स्लिपों में खसरा नम्बर और भूमि की तादाद अवश्य दर्ज होनी चाहिये।

दूसरा, यह लगान पंचायतों के द्वारा वसूल होना चाहिये। आज बिना मेहनत ही पंचायतों को एक आना वसूली का आप देते हैं। तो फिर वसूली का पूरा भार पंचायतों पर होना चाहिये। ये दो सुझाव हैं।

इसके साथ में राजस्व मन्त्री महोदय को, सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अलवर जिले में नीम-राना एक छोटी सी रियासत थी जो मत्स्य स्टेट के वक्त मर्ज हुई थी। वह आज बहरोड तहसील में है। तो उस रियासत में और बहरोड़ के अन्दर जो लगान वसूली के तरीके हैं उनमें बहुत अन्तर पहले भी था और आज भी है। बहरोड़ से आने वाले मेरे साथी ने यह बात पहले भी यहां रखी थी। मैं फिर इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनका अन्तर मिटना चाहिये। नीमराना में लगान बहुत अधिक है।

साथ ही यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अनट्रेन्ड पटवारी इस महकमे में लगाये जाते हैं जो दो-दो साल तक उन कागजों को नहीं समझ सकते।

तो जब वे कागजात को नहीं समझ सकते तो वे कागज़ात, 'रेवेन्यू रेकॉर्ड, जो कि मालगु-जारी की जान है, काश्तकारों को जान है, इसके लिये ट्रेण्ड पटवारी को लगाना जरूरी है। इस-लिए मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का ध्यान सभा-पति महोदय, आपकी मार्फत दिलाना चाहता

( श्री जयकृष्ण )

हूं कि पटवारियों के जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं वह ज्यादा से ज्यादा खोलें और जो ट्रेंड पटवारी हों उनको ही लगायें। दूसरी बात जो बहुत ही मुख्य है वह यह है कि कोई भी बन्ध बन जाता है वहां पर डहरी लगान पहले से ही लागू कर रखा है। बन्ध बनने के बाद सिंचाई की जमीन हो जाती है और उससे डहरी लगान भी वसूल किया जाता है और सिंचाई का लगान भी वसूल किया जाता है। जब सिंचित भूमि हो जाती है, उससे आबयाना वसूल किया जाता है। डहरी का मतलब यही है कि जमीन में पानी भरा रहे। फिर डहरी और आबयाना दोनों वसूल करना न्यायसंगत नहीं है। इसलिए, सभापति महोदय, इन बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो डहरी है साधारणतया किसानों से जमा वसूल की जाती है वही जमा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ कि खातेदारी राइट्स आपने दिये हैं और खातेदारी राइट्स से किसानों को जो हक मिले हैं वह सरकार ने सरकुलर द्वारा यह कर दिया है कि वह खातेदारी राइट्स उनको ऑटोमेटिक कागजों में मिल जायेंगे और कागजों में उसका इन्दराज हो जायेगा। परन्तु क्या किया है कि पटवारी द्वारा जितनी वह जमीन एक किसान को साल भर में देती है उतनी जमीन के खातेदार से उस इन्तकाल की फीस वसूल की जा रही है। आखिर पटवारी को खातेदारी अधिकार देने में क्या हो गया कि जितनी जमीन किसान साल भर में देता है वह इन्तकाल के समय वसूल कर रहा है ? मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी ध्यान देंगे और इससे आम किसानों को फायदा होने-वाला है उसके लिए अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे। मैं इन बातों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री सभापति** : श्री मजलिसखां।

**श्री मजलिसखां** (कामां) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव भरतपुर जिले के कुछ ग्रामों में भूड-बारानी भूमि को रेवेन्यू रेकॉर्ड में डहरी भूमि मान कर दर्ज कर रखा है, जो वास्तव में डहरी नहीं है, उस पर बहस करने के लिए है। माननीय सभापति महोदय, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में डहरी भूमि, बारानी, भूड-बारानी कई प्रकार की भूमि है। इस इलेक्शन पीरियड में मैंने देखा है कि कामां तहसील और पहाड़ी तहसील के कुछ ग्राम खोहरा, नीमला इत्यादि ऐसे गांव हैं जिनमें सरकार का न कोई बन्ध है और न वहां पर कोई पानी ही इकट्ठा होता है, बल्कि वह भूड-बारानी जमीन है और उसको डहरी जमीन मान रखा है और उनसे डहरी भूमि लगान लिया जाता है। यह आम शिकायत पाई गई है। इस कल्याणकारी राज्य में ऐसे गांव जिनमें भूमि भूड-बारानी है और लगान डहरी का वसूल किया जाता है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। एक पटवारी कलम से, पटवारी की नाराजगी होने से उस भूमि को डहरी मान लिया गया और रेवेन्यू रेकॉर्ड में उसका इन्द्राज भी डहरी हो गया तो उसके कहने से उसको डहरी नहीं मान लेना चाहिए। वहां के ग्रामों की और किसान भाइयों की आवाजों को देखना चाहिए और साथ ही साथ मेरा यह भी निवेदन है कि माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय को ऐसे ग्रामों का इन्सपेक्शन करना चाहिए कि वह जमीन डहरी है या भूड-बारानी

( श्री मजलिसखां )

है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां कहीं भी ऐसी जमीन हो वास्तव में भूड-बारानी है, लेकिन उसको रेवेन्यू रेकॉर्ड में डहरी मान लिया गया है उसको पूरी तरह से बारानी ही माना जाये और उसको रेवेन्यू रेकॉर्ड में भी भूड-बारानी ही इन्द्राज किया जाना चाहिए और भूड-बारानी का ही रेवेन्यू टैक्स वसूल किया जाना चाहिए। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री सभापति** : श्री नाथूराम।

**श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव बांसवाड़ा जिले में गत वर्ष वर्षाभाव के कारण अकालग्रस्त गांवों के कृषकों से लगान वसूली के सम्बन्ध में बहस करने हेतु है। माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है कि जहां हर तीसरे वर्ष अकाल का क्षेत्र रहता है। वहां गत वर्ष भी वर्षाभाव के कारण अकाल था। जब गश्त गिरदावरी होती है वह समय पर नहीं होती है। गश्त गिरदावरी अन्दाजिया होती है। गत वर्ष भी जब फसल सूख गयी थी, वहां के पटवारियों ने गिश्तगिरदावरी समय पर नहीं की। फसल सूखी हुई थी इस-लिए अन्दाजिया ही गिरदावरी कर ली और गलत आंकड़े इन्द्राज किए। जिन पटवारियों का स्वार्थ पूरा हो गया वहां तो पैदावार बहुत कम आंकी और जहां पटवारियों का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वहां ज्यादा पैदावार इन्द्राज कर दी। गांवों में कई गिश्त गिरदावरी के आंकड़े ऐसे भी इन्द्राज कर लिए कि जहां अनाज बिल्कुल नहीं पका था और घास के समान ही फसल हुई थी। वहां पर कहीं १२ आनी, कहीं पर १४ आनी और कहीं पर ८ आनी दर्ज की थी जिसके कारण उनको रुपया-रुपया लगान देना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, गढ़ी, बागीडोरा और घाटोल तहसील में तहसीलदारों की तरफ से अव्यवस्था होने से पटवारियों ने गश्त गिरदावरी की गलती की। इससे कई काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ।

माननीय सभापति महोदय, गश्तगिरदावरी में जहां कि २ आना, ३ आना और ४ आना पैदावार दर्ज हुई थी वहां अकाल घोषित भी हुआ और राजस्थान गजट में जो जो गांव अकालग्रस्त घोषित हुए थे वहां टीनेन्सी एक्ट के अनुसार लगान माफ हो जाना चाहिए था। लेकिन जो कानून हमारे यहां पास होता है वह कानून वैसे ही एक्ट में रह जाता है और गरीब काश्तकारों को कानून की राहत नहीं मिलती है और लगान देना होता है। दुष्काल क्षेत्र में जब वसूली हो रही थी तो हमने उनको रास्ता बताया। लोगों ने दरख्वास्तें पेश की तो उनका लगान रोक दिया गया। मेरे ही क्षेत्र में बागीडोरा के मुखिया क्षेत्र में लोगों ने तार भी दिये। मैंने माननीय मन्त्री महोदय को तार भी बताया लेकिन वहां वसूली हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा रेवेन्यू मन्त्री महोदय को निवेदन करता हूं कि तहसीलदारों पर कुछ कन्ट्रोल रखा जाये और गश्त गिरदावरी समय पर कराई जाये। अगर गश्त गिरदावरी समय पर नहीं होती है तो गरीब किसान की फसल अति वृष्टि से खराब हो जाती है, या और किसी कारण से खराब हो जाती है, उनसे लगान वसूल होता है। यह जो अव्यवस्था है, आपके द्वारा मेरा

( श्री नाथूराम )

यह निवेदन है कि इसकी व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए। बांसवाड़ा जिले में एक रेवेन्यू विभाग में यह भी अन्याय हो रहा है कि कुछ काश्तकारों ने नातोड़ भूमि काश्त की थी वहां पैदावार नहीं होती थी उन लोगों ने भूमि को सुधारा और दख्र्वास्तें दी कि हमारे से जो लगान होता है वह वसूल कर लिया जाये लेकिन वहां के पटवारियों ने अपना स्वार्थ पूरा नहीं होने से इन्द्राज नहीं की। आखिर उनके ऊपर पैनेल्टी लगाई और उनका लगान जो भी ४-५ साल का मय पैनेल्टी के देना पड़ा। गत वर्ष जब रेवेन्यू मन्त्री महोदय आये थे तो उस समय काश्तकारों ने निवेदन किया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उस पर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने आदेश दिया था कि ५ साल का लगान मय पैनेल्टी जिन २ से वसूल किया है उनके नाम से यह भूमि इन्द्राज हो जानी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिले में कई काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास २ या ३ या ४ या ५ बीघा जमीन होती है और नोतोड़ जमीन को सख्त परिश्रम कर सुधारते हैं वे लोग और जब पैदावार के लायक होती है तो उनको छोड़ देनी पड़ती है। रेवेन्यू मन्त्री महोदय ने जो आदेश दिया था गढ़ी तहसील में तहसीलदार ने उसका पालन नहीं किया। कई काश्तकारों की भूमि की बेदखली होने लगी और उनको भूमि छोड़ देनी पड़ी। उनके साथ सरासर अन्याय हुआ है। इसलिए सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन काश्तकारों ने नोतोड़ भूमि को सुधारा और लगान के साथ पैनेल्टी दी उनके नाम वह भूमि दर्ज हो जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, वहां पर हर तीसरे साल दुष्काल वगैरह होता रहता है। और गत वर्ष भी जिन २ गांवों में पैदावार नहीं हुई थी और अकाल घोषित हुआ था और जिनसे लगान वसूल हुआ है या नहीं हुआ है उनका टीनेन्सी एक्ट के अनुसार माफ हो जाना चाहिये और जिन लोगों से वसूल हुआ उन लोगों को शीघ्रातिशीघ्र देने की व्यवस्था हो जानी चाहिए........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ताकि उन लोगों को कानून की राहत मिल सके, यही मेरा निवेदन है।

**श्री सभापति** : श्री दुर्गालाल बाड़दार।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

कुमारी उमा माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : आदरणीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष मांग संख्या १ पर मैंने ३ कटौती-प्रस्ताव रखे हैं। मेरा मुख्य प्रस्ताव यह है कि आज के जमाने को देखते हुए, पटवारी के महत्व को देखते हुए और उसके काम को देखते हुए उसका जो वेतन है वह बहुत कम है। चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारे राजस्व विभाग की नींव अगर किसी को माना जाय तो वह पटवारी है। पटवारी को जो आप ६०) रु० ७०) रु० देते हैं यह मैं समझता हूं कि किसी

( श्री मानसिंह महार )

भी समाजवादी सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं। चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि समाजवादी सरकार के युग में दुःख की बात है। मैं तो जो कोई आदमी जबान से कहता है उसको सही ही मानता हूं। मैं यह नहीं मानता कि हमारी सरकार और हमारी सरकार की पार्टी के ऊपर से नीचे तक के नेतागण अपने आपको समाजवादी समाज-व्यवस्था की तरफ ले जाने की बात कहते हैं तो वह कोई गलत कहते हैं। मैं उसको गलत नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि उनके बीच के लोग गल्तियां करते होंगे, जैसे हमारी राजस्थान सरकार करती है, लेकिन जो ऊपर वाले बात कहते हैं वह तो सही है। तो आज के युग में एक पटवारी को ६०) रु० ७०) रु० की तनख्वाह देना, मैं समझता हूं उस पटवारी के लिए ही नहीं, लेकिन राजस्थान की ग्रामीण जनता के लिये भारी अन्याय है। राजस्थान की ग्रामीण जनता को जितना काम एक पटवारी से लेना पड़ता है उतना काम आपके यहां सेक्रेटरियेट में बैठनेवाले एल० डी० सी० वगैरह से नहीं लेना पड़ता है।

चेयरमैन महोदय, मैं आप से निवेदन करूं कि गांवों में अब तो पटवारियों से अधिक वेतन पानेवाली एक नई बीमारी और चली गई, वे हैं ग्राम-सेवक हमारे विकास विभाग के उन लोगों का काम पटवारी से आधा या चौथा हिस्सा ही है और उस गरीब पटवारी से अधिक वेतन मिलता है। ग्राम-सेवक का स्टार्टिंग करीब १०५) रु० है लेकिन एक पटवारी वही पुराना वेतन ६० रु० ७०) रु० महीना ही पाता है। तो मेरा निवेदन यह है कि सरकार यह कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी तो दिवालिया सरकार है, हम तो कर्ज में डूब रहे हैं तो मैं सरकार को एक कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दूंगा कि वे अपनी तरफ से इन ग्राम-सेवकों के पद को समाप्त कर दें, क्योंकि यह एक बिल्कुल सुपरफ्लुअस पोस्ट है। पटवारी का हलका छोटा कर दें। छोटा हलका करके पटवारी और ग्राम-सेवक को एक बना दें और बना कर पटवारी को खूब अच्छी तनख्वाह दी जाय। उसके अन्दर और भी एडीशन करना चाहें तो जब न्याय पंचायतें बनी हैं उसके बाद जो पंचायतें हैं उनके अन्दर भी काम बहुत कम रह गया है और मैं अपने निजी तजुर्बे से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैं जो हूं वह इस सरकार से नहीं, सारे तजुर्बे नीचे से नीचे के तबके से ग्रहण करता हूं। मैं एक सरपंच भी हूं तो मुझे मालूम है कि आज पंचायतों के पास न तो धनराशि है और न ही उनके पास कोई खास काम है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पटवारियों को अगर पंचायतों के सेक्रेटरी भी बना दिये जायं और १५) रु० एलाउन्स के रूप में पंचायतों से दिला दिये जायं तो पंचायतें भी हर्ष के साथ उनको यह एलाउन्स दे देंगी और पंचायतों की भी जो अर्थ-व्यवस्था है उसमें इससे सुधार होगा। पटवारी को भी गरीब को १५) रु० माहवार का अधिक फायदा हो जायगा और ग्राम-सेवकों को हटाने से सरकार को भी फायदा हो जायगा। तो उस सूरत में हमारी सरकार जो है पटवारी को १२५) रु० दे और पटवारी की पटवारी-कम-ग्रामसेवक की ड्यूटी कर दे और १५-२०) रु० पंचायतें देने लगे तो हमारे प्रत्येक पटवारी को १५०)रु० मिलने लगे।........

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : यह आपकी योजना है या राजगोपालाचारी की योजना है ?

**श्री मानसिंह महार** : मैं अपनी ही योजना बताता हूं । मैं दूसरों की योजना पर अमल नहीं करता हूं । और मैं सरकार से भी यही निवेदन करता हूं, चेयरमैन महोदय, कि मानें कोई अकल की बात और पहले से किसी कारण से कोई बेवकूफी करते आये हों तो समझना चाहिए और सोच-समझ कर कार्यान्वित करना चाहिए ।

तो मेरा निवेदन करना यह था कि पटवारी जो कि गांव के अन्दर सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसको १२५) रु०, १५०) रु० के बीच का वेतन देना चाहिए । यह मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और माननीय उपमंत्रीजी इसकी ओर अवश्य ध्यान देंगे । मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमेशा हम लोगों की शिकायत रहती है कि रिश्वतखोरी बढ़ रही है, यह हो रहा है, वह हो रहा है तो पटवारियों का पेट भरिये । आज अगर ६०, ७०) रु० पाने वाले पटवारी से जिसके ५—७ बच्चे भी होते हैं, उनके पढ़ाने--लिखाने का भी उसको इन्तजाम करना पड़ता है । उसको ७०) ८०)रु० देकर यह आशा करें कि वह सही ढंग से काम करेगा तो मैं समझता हूं कि पटवारी के लिए ही नहीं, उसकी औलाद के लिए भी हमें एक तरह से अन्याय मानकर चलना चाहिए । इस मंहगाई के युग में ८०) रु० से एक मनुष्य कभी भी अपने ५ बच्चों और बीबी का भरण-पोषण नहीं कर सकता । यही नहीं; बेचारे पटवारी को तहसील में बुलाया जाता है तो टी० ए०, डी० ए० थोड़े ही समय का दिया जाता है । १५–१५ दिन तक तहसील हैड क्वार्टर पर बैठाये रखते हैं बिला वजह । तहसील हैड क्वार्टर पर उसको बाजार से रोटी खानी पड़ती है । तो इन बातों की ओर ध्यान देने की मैं उप मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि पटवारियों की हालत सुधारने के लिए वे अवश्य कोशिश करेंगे ।

मेरा दूसरा सुझाव जो है, चेयरमैन महोदय, वह है पंचायतों को राजस्व आय में से चवन्नी-रुपया सहायता के रूप में देने का । मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वित्त उप मंत्रीजी तो इस छोटी सी बात पर हंसने लगे तो इनसे तो हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए और वह तो मैं भी जानता हूं, चेयरमैन महोदय, कि ये जब तक उस ओहदे पर रहेंगे पंचायतों का भला नहीं करेंगे, म्युनिसिपेलिटीज़ का भला कर सकते हैं । ग्रामीणों के दुःख दर्द ये क्या जानें ?

**श्री सभापति** : वह तो आप ही जानते हैं ।

**श्री मानसिंह महार** : और ऐसे कई लोग हैं जो गांवों से आये हैं, चेयरमैन महोदय, वे जानते हैं । लेकिन ये शहरी क्या जानें सरदार-शहर से आनेवाले, यह तो मानना ही पड़ेगा अपने को ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि शुरू शुरू में जब राजस्थान में विकेन्द्रीकरण हुआ तो हम यह सुनते थे कि सरकार ५० परसेन्ट तक पंचायतों को सहायता देनेवाली है । ५० परसेन्ट यानि आधा रुपया सहायता होते होते वह सहायता एक अन्नी रुपया पर आ गई । हम सुनते रहे कि अन्नी रुपया मिलेगा सरकार से सहायता के रूप में, लेकिन क्योंकि वह अन्नी रुपया भी गांव में जाता, यह नहीं कि

( श्री मानसिंह महार )

कोई शहर में जाता। तो डर सरकार को यह हुआ कि पंचायतों को इतना अधिक दिया तो म्युनिसिपैल्टीवाले ऐतराज करेंगे और हमारे मंत्री महोदय अधिकतर म्युनिसिपल टाउन्स से आये हैं, उन्होंने देखा कि अपने पर आफत आयेगी इसलिये उन्होंने एक आना रूपया भी नहीं रखा और उन्होंने हर पंचायत को ३००) रू० साल की सहायता देना निश्चित की। मेरी अर्ज़ यह है कि ३००) रू० पंचायतों को सहायता देने का कोई अर्थ नहीं निकलता। आज यदि ३०) रू० माहवार का क्लर्क या २५) रू० माहवार का चपरासी रखें तो ३००) रू० उसमें लग जाते हैं। फिर डेवलपमैन्ट का कार्य पंचायत कैसे करे? इसलिये मेरा निवेदन है कि रेवैन्यू से जो आमदनी होती है उसमें से चवन्नी रूपया पंचायतों को दिया जाय। आपका क्या होगा चवन्नी रूपये से? जहां १ करोड़ का नुकसान होगा वहां २ करोड़ का हो जायगा और मैं कहता हूं, यदि गांववालों के लिये १० करोड़ हों जायं तो भी हर्ज नहीं है। लेकिन यह जो पैसा पंचायतों को देंगे वह सही माने में ६० प्रतिशत ग्रामीण जनता है, उनके भले के लिये जायगा। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पंचायतों को आपको चार आना रुपया सहायता देनी चाहिये। यह महत्वपूर्ण सुझाव है। इसके लिये मैं उप-मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए घोषणा करें क्योंकि नये नये उप-मन्त्री बन कर आये हैं, वे इस प्रकार की घोषणा नहीं करेंगे जैसा कि आपके नजदीक बैठे उप-मन्त्री महोदय ने कहा है कि सीमेन्ट की कमी नहीं है, हालांकि सीमेन्ट नहीं है, फिर भी मैं उनकी जिन्दादिली की तारीफ करता हूँ। इसी तरह से आप इस सदन में जरूर कहिये कि चवन्नी रुपया नहीं तो दो आना रुपया मदद पंचायतों को जरूर देंगे। इतनी तो आप से आशा करता हूँ कि आप इतनी संकीर्ण दृष्टि के नहीं होंगे कि ग्रामीणों की तरफ न देख कर आंख मूंद लें। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है गोचर भूमि के बारे में। चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूं कि हमारे इलाके के आदमियों की तरफ से मांग रख देते हैं, महकमे की तरफ से मांग रख देते हैं लेकिन वे जो मूक गायें, भैंसें हैं उनकी तरफ से कोई मांग रखनेवाला नहीं है........

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : गधों की तरफ से कौन रखेगा?

**श्री चन्दनमल वैद** (उप-मन्त्री, वित्त): उनके रिप्रजेन्टेटिव आप हैं।

**श्री मानसिंह महार** : गधों के लिये तो उधर से बोलेंगे। गायों, भैंसों के बारे में मैं निवेदन कर रहा था........

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : गधों के लिये मिल-जुल कर कर लीजिये।

**श्री मानसिंह महार** : गोचर समस्या जटिल हो गई है। सरकार की तरफ से इस समस्या की ओर सही ढंग से ध्यान नहीं दिया गया। मैं मेरी पंचायत की मिसाल देता हूँ। मेरे गांव में जो पंचायत है वह नई पंचायत है। लेकिन इस पंचायत से पहले जो बड़ी

( श्री मानसिंह महार )

पंचायत थी कई गांवों को मिला कर और मेरा गांव भी उस बड़ी पंचायत में था उस पंचायत के सरपंच ने कई लोगों से पैसे लेकर गोचर भूमि में काश्त करवादी । दो, तीन वर्षों से उस गोचर भूमि में काश्त कर रहे हैं । अब जब कि वहां पर नई पंचायत बनी तो हमने कलेक्टर तहसीलदार और विकास अधिकारी से प्रार्थना की कि गोचर भूमि हमको दिलाई जाय । हमारे यहां पंचों और सरपंचों का सम्मेलन हुआ था । तब आप ताज्जुब करेंगे, जयपुर के कलैक्टर महोदय ने गोविन्दगढ़ में लम्बा-चौड़ा आश्वासन दिया कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि गोचर भूमि में कोई काश्त नहीं करेगा और यदि कोई करेगा तो उससे छुड़वा दिया जायगा और उसमें गायें चराई जायेंगी । मैं बड़ा खुश हुआ कि आखिर सरकार ने सही तरीके से फैसला दिया । लेकिन सही तरीके से दिये गये फैसले को किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है, इस बारे में निवेदन करूंगा । १२ महीने हो गये, गोचर भूमि का आज तक चार्ज नहीं दिलाया । खाली गोचर भूमि का ही नहीं, बल्कि इस सरकार की अयोग्यता की ओर जावें तो नयी पंचायत को पुरानी पंचायत का भी चार्ज नहीं दिलाया....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं थोड़ा नमूना पेश कर रहा हूं, सभापति महोदय।

**श्री सभापति** : आप २ मिनिट में समाप्त कर दें ।

**श्री मानसिंह महार** : थोड़ा समय और दें, सभापति महोदय ।

**श्री सभापति** : अभी बहुत हैं बोलनेवाले । फिर सरकारी पक्ष की ओर से भी जवाब देंगे ।

**श्री मानसिंह महार** : सरकारी पक्षवाले शुरू कर देंगे ५ मिनट पहले, घबराते क्यों हैं ।

तो मैं चेयरमैन महोदय, निवेदन कर रहा था गोचर भूमि के बारे में ।

एक मुद्दा सदन के सामने और है, वह यह है कि हमारे यहां आज तक मालूम नहीं है कि नंबरदारी प्रथा रखी जायगी या नहीं । कुछ लोग कहते हैं कि खत्म की जायगी, कुछ कहते हैं कायम रहेगी । इस प्रकार की प्रथा के लिए पटेल भोले लोगों से पैसे ले लेते हैं । होड़ चल रही है नये पटेल बनने के लिये । यदि सरकार को इस प्रथा को खत्म करना है तो स्पष्ट ऐलान करदें ताकि नये पटेलों की होड़ तेजी से चले, काफी तादाद में नये पटेल बनें और ऊपर से लेकर नीचे तक राजस्व विभाग को लाभ पहुंचे । यह लाभ आर्थिक रूप में हो सकता है, चुनाव के रूप में हो सकता है; कई बातों में हो सकता है । एक बात पटवारियों के बारे में कहूंगा कि उनका वेतन क्यों बढ़ाया जाय........

**श्री सभापति**: उनके बारे में कह चुके हैं ।

**श्री मानसिंह महार** : एक छोटी सी बात रह गई थी । यहां से ३० मील की

( श्री मानसिंह महार )

दूरी पर एक छोटासा गांव है जयसिंहपुरा। उसमें से रकम वसूल करके दो नम्बरदारों को देदी। १,१००) रू० थे। इन रूपयों को लेकर वे भाग गये। इस बारे में जब पटवारी को मालूम हुआ तो कागज़ात मुकम्मिल कर लिये। जब तहसीलदार ने पटवारी को धमकाया तो पटवारी भाग गया। उसके भागने पर राजस्व विभाग को अफसोस हुआ कि १,१००)रू० कैसे वसूल होंगे। तब उन्होंने पटेल को पकड़ा। तब क्या होता है, मजेदार बात है। एक देवू नाम का आदमी था उसने सोचा कि अब गिरफ्तार होने वाले हैं तो उसने एक दिन में खादी पहिन ली। सफेद टोपी, खादी का कुर्ता और खादी की धोती। ये पहनने के बाद उसने अपने आपको गिरफ्तार करवा लिया। जब उसकी यह पोशाक देखी तो मजिस्ट्रेट वगैरा उस पर फ़िदा हो गये और गबन का मामला क्लीयर कट होने पर भी मामूली में उसको छोड़ दिया। जब वह गांव में वापिस आया तो हमने उससे 'राम, राम' किया और पूछा कि कैसे बदल लिया आपने इतना जल्दी। तब उन्होंने कहा कि यह नहीं करते तो छूटते कैसे? छूटने के लिये हमने यह तरकीब अपनाई....

**श्री सभापति**: यह तरकीब आप भी अपनाना चाहते हैं क्या ?

**श्री मानसिंह महार**: मैंने तो अपनाई थी, लेकिन आप में समा नहीं सका, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूं, वहां कैसे समाता ? मैं ईमानदार था इसलिये २ वर्ष तक देख कर आ गया गुदड़ी में से।

तो यह निवेदन था कि मैं यह नहीं हूँ। लेकिन ये चन्द बातें कह कर मैं इस विभाग के लिए निवेदन करूंगा कि इस विभाग में बहुत सुधार की जरूरत है। यह विभाग सीधा ग्रामीण जनता से मिलता हुआ है इसलिए हमारे उपमंत्रीजी से मैं प्रार्थना करूंगा कि पटवारियों का वेतन बढ़ायें, पंचायतों को थोड़ी सहायता दें, आप लगान में छूट दें और उस तरह समझ लीजिये कि दो आना लगान कम आया है। फिर जो आप टैक्स लगा रहे हैं या कर्जा बाहर से ले रहे हैं तो तीन करोड़ का और सही। उसमें क्या फर्क पड़ता है? जहां दीवाला निकल रहा है तो जहां पचास करोड़ का है, वहां सौ करोड़ का सही। और मैं तो समझता हूँ कि दिवालिया होने की वजह से तो बाहर से कर्जा खूब लेना चाहिए....

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** (उप-मन्त्री, राजस्व) : कॉम्युनिटी डेवलपमेंट पर इसे डिस्कस करें।

**श्री मानसिंह महार** : जी, मैं समझा नहीं, माननीय उपमंत्रीजी ! आपने क्या फर्माया ?

**श्री सभापति** : आप अपना आसन ग्रहण करें।

**श्री मानसिंह महार** : बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस बात को ध्यान में रखते हुए पंचायतों का भला कीजिये, पटवारियों का भला कीजिये। मैं कहना तो बहुत चाहता था लेकिन चेयरमैन महोदय नहीं चाहते तो मैं उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

# Page No. 100



**श्री सभापति** : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** ( हवामहल, जयपुर ) : सभापति महोदय, हमारे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में जहां तक एक्रूअल ऑफ खातेदारी राइट्स का प्रश्न है और इस एक्रूअल ऑफ खातेदारी राइट्स के प्रश्न को लेकर इस प्रकार दफा १६ का इन्टरप्रिटेशन किया जाता है कि वे लोग इसका इन्टरप्रिटेशन करके ऑटोमेटिकली खातेदारी राइट्स खारिज कर देते हैं। लोगों के बहुत से ऐसे केसेज हैं, जिनके सम्बन्ध में इसके इन्टरप्रिटेशन से इतनी गलती हो जाती है कुछ लोगों से कि अगर एनुअल रजिस्टर में या गश्त गिरदावरी में किसी व्यक्ति का अमुक वर्ष में इन्द्राज है और वह तीन वर्ष तक रहा है तो साधारण रूप से उसे खातेदारी राइट्स प्राप्त हो जाने चाहिए। पर कुछ ऐसी महरबानी होती है, बहुत से केसेज ऐसे होते हैं कि जिनमें एक वर्ष पटवारी की किसी तरह की महरबानी हो जाय और उसमें इन्द्राज नहीं हुआ हो, किसी दूसरे के नाम दर्ज किया गया हो, किसी और आदमी के नाम दर्ज किया गया हो तो जो कब्जा बराबर चला आ रहा है, जो इस तरह से दस साल तक से बराबर खातेदार उस भूमि के ऊपर खेती करता चला जा रहा है, यदि एक वर्ष का तीन वर्षों के अन्दर गैप चला आ रहा है तो ऐसी सूरत में उसके नाम खातेदारी राइट नहीं होता। अब प्रश्न यह रह जाता है कि इस इम्पोर्टेन्ट सेक्शन का जिसका इन्टरप्रिटेशन वास्तव में लॉ में क्या होना चाहिए, न तो ऑथोरिटेटिव ब्यू रेवेन्यू बोर्ड ने डिसाइड किया है और न किसी और ने कानून की मंशा, इस तरह एम्बीगुअस करार रहती है तो इसका दोनों फरीकेन पर असर होता है, उन्हें नुकसान होता है। बहुत से केसेज हैं, जैसे एक केस में जमीन का एक आदमी के नाम पर्चा बना हुआ है, वह खातेदार है। इसके बाद ईअर टू ईअर एडमिट किया गया है। इसमें टीनेन्ट भी किसी तरह उस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए दर्ख्वास्त पेश करता है और एनुअल रजिस्टर में एक आदमी जमीन पर बिना कब्जा हुए निरन्तर तीन साल तक इन्द्राज करा लेता है तो उसको ऑटोमेटिकली खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेज हैं, यहां तक कि सैकड़ों केसेज हैं जो मेरे देखने में आये हैं, जिनमें नामकरण की कार्यवाही होती है, लेकिन उनमें नोटिस तक नहीं दिया जाता है। जो प्रोविजनस खातेदार है, टीनेन्ट है उसको बगैर नोटिस दिये जिसने अपने आपको इन्तखाब गिरदावरी पेश कर दिया है, तीन साल के लिए पेश कर दिया है, वह खातेदार हो जायगा और जो खातेदार है वह पुकारता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। उसे तब भी मालूम नहीं होगा लेकिन एक साल के बाद वह पर्चा आने पर जब तहसील में जायगा और तहसील में जाकर लगान जमा कराना चाहेगा तो खबर दी जायगी कि तुम्हारे नाम से लगान जमा नहीं हो सकता और लगान जमा इसलिए नहीं हो सकता कि तुम्हारे नाम का पर्चा नहीं है। वह कहता है कि मेरे पास बन्दोबस्ती का दिया हुआ पर्चा है। लेकिन उसको कहा जाता है कि इसमें तो नामकरण हो गया। यह सेक्शन १६ है, जो इस क्षेत्र में कार्य करनेवाले हैं, उन्हें इसको गौर से पढ़ना चाहिए और यह जो कठिनाई लोगों के सामने आती है इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए।

( श्री दुर्गालाल बाड़दार )

सेक्शन १६ के दो इन्टरप्रिटेशन लगाये जाते हैं। वह दफा १६, सभापति महोदय, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं :

"Confirmation of rights of certain tenants of Khudkasht and sub-tenants..."

ये राइट्स, जो खुदकाश्त का काश्तकार है और टीनेन्ट हैं, उसके ऊपर राइट कन्फर्म करता है। पर जो रेवेन्यू लाइन का तजुर्बा रखते हैं, खास तौर से बड़े अफसरान, उनकी निगाह में अच्छी तरह से यह बात आ जानी चाहिए कि इन्तखाब गिरदावरी तैयार किये जाने में क्या होता है कि एक आदमी खातेदार है, सब-टीनेन्ट है, इसको आप गम्भीरता से देखें, उसकी जमीन पर धोखा करनेवाला आदमी काबिज़ हो जाता है और गश्त गिरदावरी में उसका नाम लिखा जाता है जो काबिज़ है, जो उस साल खेती करता है। कहीं पटवारी उसमें यह इन्द्राज नहीं करेगा कि इसका स्टेटस क्या है, क्या पोजीशन है, किस पोजीशन से काश्त कर रहा है, कहीं कई साल से जायज आदमी को बेदखल करके कब्जा तो नहीं किया है, लेकिन चूंकि इन्तखाब गिरदावरी में उसने नाम दर्ज करा लिया है इसलिए उस इन्तखाब गिरदावरी के सहारे पर यह निर्णय लिया जाता है कि यह बराबर काबिज़ हो गया है, खातेदारी राइट इसके हो गये हैं। यह तो इन्तखाब गिरदावरी का रजिस्टर बनाया जाता है, जिसको आप क्रॉप रजिस्टर कह दीजिये। उसमें यही नहीं हो कि गिरदावरी उसके हक में करते हैं जो टीनेन्ट ऑफ दी खुद काश्त है, लेकिन उसकी क्या पोजीशन है, इस प्रकार का एक कॉलम इन्तखाब गिरदावरी के कॉलम के साथ होना चाहिये। इस प्रकार का कॉलम क्रॉप रजिस्टर के तहत चलाइये वर्ना यह दिक्कत है कि इन्तखाब गिरदावरी चार साल होने पर रिकॉर्ड ऑफ राइट हो जाता है, जब कि जो दफा खास तौर पर बनाई गई है, उसमें कहा गया है: —

"All entries in the record shall be presumed to be correct"

तो उसके तहत में एक प्रिजम्प्शन है, All presumptions are rebuttable; लेकिन यह बात सही है कि उसको रिफ्यूट करना मुश्किल हो जाता है। उसको कानूनन उस प्रिजम्प्शन को रिफ्यूट करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली बात है वह इस सिलसिले में है कि खातेदारी के सेक्शन १६ के अमेंडमेंट पर इस प्रकार विचार कीजिये; क्योंकि यह दिक्कत तभी दूर हो सकती है जब इन्तखाब गिरदावरी के रजिस्टर में एक कॉलम इस तरह का तैयार करायें जिसमें यह लिखा जाय कि इस हैसियत से यह काश्तकार काश्त करता चला आ रहा है। तो इससे पोजीशन क्लीअर हो जायगी वर्ना किसी लैंड पर दूसरा व्यक्ति तीन, चार, पांच साल काबिज़ रह कर अपनी हैसियत को साबित कर सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक मामूली प्रपोज़ल और है....

**श्री सभापति** : नहीं, पांच मिनट दिये गये थे।

**श्री दुर्गालाल बाड़दार** : एक प्रपोज़ल और रह जाता है........

**श्री सभापति** : You have taken your time.

**श्री दुर्गालाल बाड़दार** : Then I am to abide by the orders of the Chair. As a gentleman, I must take my seat.

**श्री सभापति** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : सभापति महोदय, अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर ८६ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अलवर और भरतपुर के इलाकों में जो शरणार्थी बसे हुए हैं उनके पिछले पन्द्रह सालों से झगड़े चले आ रहे थे, उनको हल करने के लिए राजस्थान सरकार और पुरुषार्थी किसान कॉन्फ्रेन्स के बीच पिछली २५-५-६१ को एक कॉन्फ्रेन्स हुई और उसमें कुछ समझौता हुआ। उस कॉन्फ्रेन्स में राजस्थान सरकार की तरफ से खुद मुख्य मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर, रिहेबिलिटेशन सैक्रेटरी थे और पुरुषार्थी कॉन्फ्रेन्स की ओर से दूसरे लोग भी मौजूद थे। इस फैसले में जो भी बातें दर्ज हैं, जिसकी कॉपी मेरे पास इस समय मौजूद है, उस फैसले को सरकार की तरफ से लागू नहीं किया जा रहा है, जब कि उस फैसले में जो शर्तें तय हुई थीं, किसानों ने अपनी तरफ से उनको पूरा कर दिया है। इस फैसले में इसके पैराग्राफ तीन में यह तय हुआ था कि जिन पुरुषार्थी किसानों के, जो अलवर-भरतपुर में बसे हुए हैं, क्लेम नहीं लिये गये उस मुताबिक जैसे कि हिन्दुस्तान में दूसरी दूसरी जगह लिये गये, उसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से यह सिफारिश की गई कि उनको उस तरह के क्लेम देने का मौका दिया जाय और यह जिम्मा लिया था मुख्य मंत्री ने कि वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बात को करवायेंगे। वह अभी तक नहीं किया गया है और किसानों को अधिकार अभी नहीं मिले हैं। मैं उसको पढ़ कर आपको सुनाता हूं : "The State Government will move the Government of India for this clarification and accord the same treatment in respect of adducing evidence about the establishment of rights, as was accorded for the previous claimant D. Ps." तो यह राजस्थान सरकार की ओर से बात पूरी नहीं हुई।

दूसरा, जमीन की कीमत के बारे में यह तय हुआ था कि जो सरकार का ३॥ करोड़ रुपया था उसको छोड़ कर १ करोड़ रुपया गवर्नमैंट ऑफ इन्डिया ने लेना तय कर लिया है। उसमें से यह तय हुआ था कि जो राजस्थान सरकार को कम्पैन्सेशन बिस्वेदारों को देना पड़ता है उतना कम्पैन्सेशन एक करोड़ में से और काट दिया जाये बाकी रहेगा ७० या ७५ लाख वह वहां पर जो पुरुषार्थी फेमिलीज हैं उनमें बांट दिया जाए और उनकी जो किश्त होती है उस हिसाब से वापिस वसूल हो जायेगा और ३१ जुलाई तक अदा कर देंगे। मगर अभी तक सरकार ने इसको तय नहीं किया, बल्कि जो लैटर गया है, एक-एक किश्त ३५)रु०, ३५)रु० की मांगी गई है और १००) रु० पर एकड़ पर कैल्कुलेट करने के लिये कहा गया है। मैं यह कहूँगा कि यह उस एग्रीमेंट का वायोलेशन है। उसमें कहा गया है: "Clause I-From the amount of Rs. 1 crore, the amount payable by the State Government to the Custodian as

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

compensation for abolition of Biswedari rights be deducted and only the remaining amount should be charged from the non-claimant displaced persons as cost of lands."

गवर्नमेंट अपने किये हुए वादे को flagrantly violate कर रही है और उससे डिप्राइव कर रही है । इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस सरकार को जिसने लिखित में समझौता किया है, उसे पूरा करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : दो मिनट और हैं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : दूसरी बात यह भी तय हुई थी कि पहली किश्त अदा करने के बाद यह तय कर दिया जावेगा कि पुरुषार्थियों से सिंगल लैन्ड रेवैन्यू ही लिया जावे और यह भी तय हुआ था कि उनको खातेदारी हकूक दे दिये जावेंगे । "Para 6, of sub-clause 5: On payment of this first instalment by the displaced persons, the liability of paying 1½ of land revenue should cease and the displaced persons thereafter should be considered liable to pay only single land revenue and thus acquire occucupancy rights on the lands with them." बावजूद इस बात के कि. डी. पीज़. ने अपने पैसे जमा करा दिये फिर भी सरकार ने अपनी शर्तें पूरी नहीं की और अभी तक उन लोगों को खातेदार दर्ज नहीं किया है । सरकार को Custodian Department से इस बात के लिये नोटिफिकेशन निकाल कर इप्सो-फैक्टो (ipso facto) डी. पीज़. को खातेदार करार देने चाहिये । मगर अभी तक नहीं दिये हैं तो यह सरकार की ज्यादती है । यह सरकार की जबावदारी है और अभी तक इसको भी वर्क-आउट नहीं किया है कि काश्त कितनी आती है । यह सब सरकार की जिम्मेदारी है ।

इसके अलावा यह भी तय हुआ था कि कुछ पैसे सरकार को देने हैं और कुछ लेने हैं तो इसके लिये यह तय हुआ था कि जो रुपया उनसे लेना है सरकार को वह तो जमा करा देंगे, वह सवाई जमा के । बाकी क्लेम का मामला तय न हो जाये तब तक अदा नहीं करेंगे । क्लेम का मामला सरकार ने अभी तक तय नहीं कराया है और तकावी वगैरह पूरी मांगी जा रही है । मैं कहता हूं कि यह सब बातें, जो फैसला सरकार ने वहां के लोगों से किया, उसके विरुद्ध हैं ।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

अगर इसके लिये सरकार जोर-जबर्दस्ती से वसूल करने की कोशिश करेगी तो मैं यह कहूँगा कि झगड़ा होगा और इस झगड़े के लिये खुद सरकार जिम्मेदार होगी; क्योंकि वह अपने लिखित एग्रीमेंट से मुकर रही है । डी. पीज़. ने घर घर से जाकर सवाई जमा के पैसे जमा करा दिये । मगर जो काम सरकार को करना था वह एक भी काम सरकार ने अभी तक नहीं किया है ।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

**श्री सभापति** : श्री आनन्दसिंह ।

**श्री आन्दसिंह कछवाहा** ( जोधपुर-प्रथम) : सभापति महोदय, वैसे तो दो रोज से

( श्री आनन्दसिंह कछवाहा )

भू-राजस्व पर बहस हो रही है और बहुत से माननीय सदस्यों ने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से राज्य के अधिकारी लोग लोगों की जमीन छीनने में भाग लेते हैं। यह बात जरूर है कि एक तरफ सरकार 'ग्रो मोर फूड' के लिए कोशिश करती है और दूसरी तरफ ऐसी कोशिश करती है कि भूमि-हीन किसानों को भूमि दी जाये और तीसरी ओर सरकारी अधिकारी ऐसे काम करते हैं जिससे 'ग्रो मोर फूड' के उद्देश्य खत्म हो जाते हैं। बहुत सी जमीन ऐसी है जिसको लोगों से छीन ली जाती है और उससे लोग बेघरबार हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक कॉन्क्रीट उदाहरण देना चाहता हूँ जो बहुत ही विचारणीय है। तहसील रूपवास और भरतपुर में उच्चेन नामक कस्बा है, जहां दो-तीन वर्ष पहले पानी आया था और उधर के भूतपूर्व एम. एल. ए. ने, जिनको कुछ वोट नहीं दिये थे, उन्होंने कोशीश की कि किसी तरह से उस जमीन को हज़म किया जावे और यह कह कर कि यहां पानी आता है। यह कह कर एक आदमी के खेत को जब्त कराने की कोशिश की और वह खेत जिसकी जमीन थी अगर उस जमीन को कानूनी कार्यवाही करके लेते तो कोई बात नहीं थी, मगर उन्होंने किया क्या कि खड़ी फसल पर जबरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। उसने किसी तरह से मिनिस्टरों का स्टे लिया, हाई कोर्ट का स्टे लाया, मगर उसकी कोई परवाह तक नहीं की गई। उस आदमी के घर में ५० आदमी घर के हैं और उसके पास कोई काम नहीं। उसकी जो भी आमदनी थी वह भी चली गई और सब लोग बेरोज-गार हो गये। उनमें से बहुत से लोग जयपुर और दूसरे स्थानों में बाजारों में भीख मांगते आपको मिलेंगे। उसके बाद में हाई कोर्ट में अपील की और फैसला हुआ। उस को भी चार महीने हो गये मगर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो रिमार्क दिया है उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ :

"The action taken the Collector is not warranted by any law."

हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सारे कानूनों को ताक में रखते हुए कलैक्टर ने उसकी जमीन को छीन कर कब्जा करा दिया। ऐसे लोगों का कब्जा कराया है जिनके पास दो सौ तीन सौ बीघा जमीन है और जिनके पास दो, तीन मंजिल के मकान हैं। अब कोई पानी आनेवाला नहीं है, क्योंकि अब तो वहां बांध बन गये हैं। ऐसी हालत में उसकी जमीन जल्दी से जल्दी उसको मिले, इस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाने के लिए यह कट-मोशन रखा है। आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।

**श्री सभापति** : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए ?

( स्वीकृत )

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

**श्री सभापति** : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : सभापति महोदय, नम्बरदारी सिस्टम खत्म करने के सम्बन्ध में तथा रेवैन्यू कलेक्शन का २५ प्रतिशत पंचायतों को देने और पिचोतरे के सम्बन्ध में, इन तीनों कटौती के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

प्रस्तावों द्वारा मैं सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। वे महापुरुष जिस नाम से जैसे नम्बरदार, कहीं पट्टेदारी या कहीं चौधरी के नाम से राजस्थान के विभिन्न जिलों में पुकारे जाते हैं, अंग्रेजों के युग से, राजाशाही के युग से, ब्यूरोक्रेसी के युग से जनता के नुमाइन्दे चले आ रहे हैं। राजस्थान का ही नहीं सारे भारतवर्ष का इतिहास देखें तो आपको मालूम होगा कि कहीं शहीदों पर जुल्म हुए और शहादतें देने का प्रश्न आया वहां पर इन्हीं महापुरुषों ने अपने आपको इस काम के लिये समर्पित किया है।

जहां पुलिस को शहादत देने का प्रश्न आया कि यही व्यक्ति हैं, जिनकी शहादत तैयार है? जहां कहीं बेगार देने का प्रश्न आया ब्यूरोक्रेसी को, तो यही महापुरुष हैं जो बेगार जुटाने के लिये तैयार हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों के इतिहास को देखें तो जिसके खेतों पर लोग मुफ्त में मजबूरन काम करते हैं, जिसको बेगार, गांवों के गरीब व्यक्ति देते हैं, वह है नम्बरदार। लगातार सुनने में आ रहा था कि नम्बरदारी खत्म हो रही है पर इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आते। जहां नहरी बन्दोबस्त मुकर्रर हुआ है और पुराना है, वहां और दूसरे जिलों में यह नम्बरदार लगान वसूल करता है और पिन्चोतरे के रूप में इसको उसका हिस्सा दिया जाता है जिसके लिये लगातार ३० लाख की राशि चली आ रही है, ५६ में भी इसके लिये ३० लाख थी, ६० में भी ३० लाख रूपय की राशि इसके लिये थी और ६१ में भी इतनी ही थी।

अब जब कि विकेन्द्रीकरण के जरिये पंचायतों का निर्माण कर दिया और राजस्थान में ७ हजार पंचायतें हैं तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि यह राशि नम्बरदार को ही दी जाय। अब जब कि पंचायतों का ढांचा केवल आर्थिक कारणों से डगमगा रहा है और न्याय पंचायतें बनने के बाद पंचायतों के पास केवल विकास का काम रह गया है और आबादी भूमि विक्रय, उसकी आमदनी का मुख्य आइटम है तो आबादी भूमि भी पंचायतें बेच चुकी हैं। अब पंचायतों के पास आमदनी के कोई विशेष साधन नहीं हैं जो पंचायत की आमदनी के मुख्य अंग हों। बल्कि आज तो ऐसी हालत पैदा हो गई है कि पंचायतों के सेक्रेटरीज़ को चुकाने के लिये पंचायतों के पास पैसा नहीं है। यह पिन्चोतरे का मद काफी है जो पंचायतों को दिया जाय तो कुल ७००० पंचायतें हैं और ३० लाख की राशि है, हर पंचायत को ४२८ रूपया मिल सकता है और यदि उन पंचायतों को निकाल दें जिनकी कि आर्थिक हालत अच्छी है तो छः सौ, सात सौ रूपया के हिसाब से एक एक पंचायत को यह पचोतरे की राशि मिल सकती है। लैंड रेवेन्यू का २५ प्रतिशत पंचायतों को दिया जाय वर्ना इन पंचायतों की और भी खराब हालत होगी। आज पंचायतें श्रमदान का झंडा लेकर चलें इसके अलावा और कोई काम इनके पास नहीं रहा है।

इसके अतिरिक्त अगर चाहते हैं कि पंचायतें रचनात्मक कार्य करें और ५० प्रतिशत जनता के श्रम को गांवों में लगा सकें तो इनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाना पड़ेगा। केवल श्रमदान के नारे पर पंचायतें चलने वाली नहीं हैं। युवक समितियां, महिला सभाएं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना कर

( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

संगठित रूप से प्रोग्राम बनायें तो पंचायतों के पास काफी राशि होनी चाहिये । यह राशि यही हो सकती है कि पचोतरे की यह ३० लाख की धनराशि पंचायतों के पास जाय और लैंड रेवेन्यू का २५ प्रतिशत पंचायतों को दें। यही योजना है जिससे हम सही माने में तरक्की कर सकते हैं।

**श्री सभापति** : उप-मन्त्री, राजस्व।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : सभापति महोदय, रेवेन्यू ग्रान्ट की मांग के सिलसिले में सदन के वन थर्ड भाग ने १०६ कट मोशन्स रखे। उन कट मोशन्स को देखने से, उनकी संख्या और नेचर से ऐसा पता चलता है कि हमारे माननीय सदस्य इस समस्या के प्रति कितने जागरूक हैं, कितनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के हल उनके दिमाग में क्या क्या हैं। उनका यह परिश्रम अवश्य सराहनीय है और मैं उन सभी को अपनी ओर से मुबारिकबाद देता हूं, इस वजह से कि इन कट मोशन्स से रेवेन्यू लॉज, टीनेन्सी लाज़ की रेवेन्यू के सम्बन्ध में, टिनेन्टस के सम्बन्ध में जितनी समस्याएं हो सकती हैं उनका ज्ञान हुआ है।

राजस्थान में भूमि समस्या का इतिहास आपको मालूम है। अलग अलग रियासतें थीं, अलग अलग जगहों की अलग अलग समस्याएं थीं, असमानताएं थीं उनमें अलग अलग समस्याओं और अलग अलग कानूनों के कारण तथा अलग अलग परिस्थितियों के कारण। उनमें समानता लाने के लिये, उनकी समस्याओं को हल करने की दृष्टि से किसानों को आराम मिले, किसान अपनी पोजीशन सिक्योर्ड समझें, बिचोलियों की संस्था खत्म हो, इसलिये ६० से अधिक कानून इस असेम्बली के द्वारा या अन्य तरीकों से पारित किये गये। निश्चित ही यह बहुत बड़ी संख्या है, पर इतनी बड़ी संख्या से घबराने की आवश्यकता नहीं। यह संख्या ज्यादा इस लिये है कि व्यवस्थाएं अलग अलग थीं, अनुभव अलग-अलग थे, समय समय पर जानकारी मिलने पर इसके सम्बन्ध में व्यवस्था की गई। जितने अधिक रुल्स, कानून बने उनकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में, काश्तकारों के दिमाग में और आम जनता के दिमाग में, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया है। उनको मालूम नहीं कि किस समय कौन सा कानून पास हुआ और किस तरमीम से किसे हटा दिया है।

अब सब कानून बन गये हैं, उनका सिम्प्लीफिकेशन होना आवश्यक है। उस आवश्यकता को सरकार ने महसूस किया है और रेवेन्यू लॉज और टिनेन्सी लॉज के सिम्प्लीफिकेशन के लिये सरकार ने एक कमेटी बैठाने का फैसला किया है, हाईकोर्ट के जस्टिस भंडारी इसके चैअरमैन होंगे। इस कमेटी के बनते ही टीनेन्सी लॉज़ और रेवेन्यू लॉज़ के सिम्प्लीफिकेशन के बारे में कार्यवाही की जायगी। जहां तक लैंड कमीशन की रिपोर्ट इस बारे में थी वह भी इससे हल हो जायेगी और जो सुझाव दिये हैं वे भी क्रियान्वित हो जायेंगे।

अभी एक और सुझाव आया है और वह यह है कि चूंकि इतने लॉज़, रूल्स

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

बने, इतने प्रगतिशील कानून बने, लेकिन इनके इतना प्रगतिशील होते हुए भी इन कानूनों का किसानों के ऊपर क्या असर हुआ, पीज़ेन्ट्री पर क्या असर हुआ ? जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रगतिशील कानून बनाये गये, उनसे उस उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं ? इसमें कई माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की । इस मामले को लैंड कमीशन ने भी स्टडी किया और उनकी सलाह हुई और आज भी कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये कि आज तक जितने लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, जितने लैंड रिफोर्म्स के सम्बन्ध में कानून पास हुए हैं उनका राजस्थान की पीज़ेन्ट्री पर क्या असर हुआ, इसको स्टडी करने के लिये एक कमेटी का निर्माण किया जाय । सरकार ने फैसला किया है कि पीज़ेन्ट्री पर इन कानूनों का, इन लैंड रिफॉर्म्स क्या असर हुआ है, इसकी जांच के लिये एक कमेटी बैठाई जाय । डा० धूलसिंह, बिड़ला कॉलेज के प्रोफेसर ऑलरेडी इस मामले में रिसर्च कर रहे हैं, उनका इन्तज़ार है, फिर जल्दी ही कमेटी का निर्माण होकर इसके अध्ययन की कार्यवाही शुरू होगी ।

खातेदारी हकूक देने के सम्बन्ध में और भूमि वितरण के बारे में माननीय सदस्यों ने असन्तोष प्रकट किया । पटवारियों की गलतियां, अधिकारियों की गलतियां, पक्षपात और अन्य तरह की व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा । अलॉटमेंट के बारे में पटवारियों की, तहसीलदारों की गलतियां बताई गईं, पक्षपात की बातें कही गईं और बताया कि भूमि वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है, भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल रही है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया था कि भूमिहीनों को भूमि देंगे और यह भी वायदा किया था कि जोतने वाले को जमीन का मालिक बनायेंगे, इस आशय के विचार व्यक्त किये । जैसे कि इस आशय के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी राजस्थान में कुछ हुआ ही न हो । हो सकता है कि कहीं गलतियां हुई हों, हो सकता है कि कहीं अनियमिततायें हुई हों, हो सकता है कि कहीं देरी हुई हो, लेकिन जो कुछ हुआ इन गत वर्षों में, जो कुछ इस सम्बन्ध में कार्य हुए हैं वे भुलाये नहीं जा सकते हैं । सराहनीय ही कहे जा सकते हैं और जो आंकड़े मैं अभी सदन के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा उनसे उनको भलीभांति विदित हो जायगा । २३ जिलों में ३,८२,४७० काश्तकारों को ३३,७७,७३३ एकड़ भूमि में दफा १५ के तहत और १६ जिलों में १,०६,६१६ काश्तकारों को ६,६३,०५८ एकड़ भूमि में दफा १६ के तहत खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : ये फीगर्स सुनाई नहीं दिये गये है । इन फीगर्स को जरा रिपीट कीजिये ।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : २३ जिलों में ३,८२,४७० काश्तकारों को ३३,७७,७३३ एकड़ भूमि में दफा १५ के तहत और १६ जिलों में १,०६,६१६ काश्तकारों को ६,६३,०५८ एकड़ भूमि में दफा १६ के तहत खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं ।

**श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : मुआवजे में दी गई या कीमतन दी गई ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : दफा १५ और दफा १६ टिनेन्सी एक्ट की हैं उसके तहत दी गई है।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : कितने वर्ष में यह दी गई ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इस कानून के बनने के बाद में यह जमीन दी गई।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सन् १६५५ के बाद ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जी। लेकिन शायद ये फीगर्स भी आपको बहुत मालूम हो रहे हैं। इसके अलावा भी हैं, जिनमें खातेदारी राइट्स दिये जा चुके हैं और वे हैं नॉन-प्रोजेक्ट एरिया में।

**श्री श्योपतसिंह** : प्रोजेक्ट एरिया में कितने दिये हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : प्रोजेक्ट एरिया में जहां का पूछेंगे मैं बता दूंगा। मैंने ये यक्जाई फीगर्स दी हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी इसका विवरण बता सकता हूं। केनाल एरिया के हिसाब से नहीं बता सकता। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही बता सकता हूँ। मैंने यह फीगर्स २३ जिलों के और १६ जिलों के दिये हैं। तीन डिस्ट्रिक्ट्स में दफा १५ के तहत दिये गये हैं और ७ डिस्ट्रिक्ट्स में दफा १६ के तहत खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं पर उनकी संख्या आई नहीं है। उनके आने पर उनके जोड़ने से लाखों एकड़ भूमि में खातेदारी के जो अधिकार दिये गये हैं उनमें और इज़ाफा होगा।

इसके साथ साथ नॉन-कमान्डेड एरियाज़ में जो निःशुल्क भूमि वितरण की व्यवस्था सन् १६५७ से लागू है उसके सम्बन्ध में भी आंकड़े सदन के समक्ष रखूंगा। जितनी जमीन वितरित की गई है और फोर ऑल प्रेक्टिकल पर्पजेज़ खातेदार हैं सिवाय उसके कि दस वर्ष तक उसको वे बेच नहीं सकते, दस वर्षों के बाद उनको मुन्तकिल करने का अधिकार होगा, उसके आंकड़े भी मैं सदन के सम्मुख रखूंगा जिससे यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि अभी मैंने जो खातेदारी राइट्स प्राप्त होने के आंकड़े बताये थे वे ही नहीं हैं; और भी हैं जिनमें उनको खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं।

**श्री श्योपतसिंह** : प्रोजेक्ट एरिया के बारे में बतायें, भाखरा, कैनाल आदि।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने अर्ज किया कि कैनाल वाइज़ मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। जैसा मैंने अभी अर्ज किया मैं आपको जनवरी सन् १६६१ तक जितनी भूमि अलॉट हुई है उसके फीगर्स देना चाहता हूँ और वे हैं : ३,२१,१८३ एकड़ जमीन लैंडलैस पर्सन्स या जिनके पास अनइकॉनामिक होल्डिंग्ज़ थीं उनको अलॉट हुई और ७०,२६२ उनकी संख्या है जिनके परिवारों को यह अलॉट हुई। अनकमान्डेड एरिया में यह अर्ज़ करूं....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : This is throughout Rajasthan.

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : It is a question of 21 districts. Five districts still remain, for which figures are not available. If you add that, it will be

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

more than what the figures are at present.

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जिन लोगों को आपने किश्तों में भूमि दी है उनके फीगर्स क्या हैं ? कमान्डेड एरिया में किश्तों से दी है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कमान्डेड एरिया के बारे में मेरे पास फीगर्स नहीं हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अनकमान्डेड में किश्तों से दी हैं उसके क्या फीगर्स हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अनकमान्डेड एरिया में कीमत से या नि:शुल्क जमीन दी जाती है....

**श्री श्योपतसिंह** : पचास-पचास रुपया बीघा के हिसाब से अनकमान्डेड एरिया में भूमि वितरित की है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : पचास रुपया बीघा का सवाल नहीं है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर क्लासिफिकेशन के हिसाब से जमीन वितरित की गई है ! कहीं ५०) रु० बीघा है, कहीं १००) रु० बीघा है, तो कहीं १५०) रुपया बीघा है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : बारानी २५ बीघा का ७॥ हजार रुपया है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जिस सब्जेक्ट पर मैं बोल रहा हूं मुझे इस पर पूरा बोलने दिया जाय और उसके बाद भी कोई क्लेरिफिकेशन करना आपके दिमाग में जंचे और चेयर भी क्लेरिफिकेशन मांगने का हुक्म दे तो उसके बाद मैं अर्ज़ करूंगा।

एक बात और बताना चाहता हूं कि जमीन अलॉटमेंट के जरिये ही नहीं दी गई है, खातेदारी राइट्स ही नहीं दिये बल्कि और तीसरा तरीका है जिसके हिसाब से ५७,०७३ एकड़ भूमि दी गई है लैंडलेस टिनेन्ट्स को....

**श्री अब्दुलजब्बार** (नीम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्रीजी....

( घंटी )

**श्री सभापति** : Order ! Order !! बाद में पूछ सकते हैं।

**श्री अब्दुलजब्बार** : वास्तव में काश्तकार हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जमीन के साथ-साथ काश्तकारों के फीगर्स पहले बोले हैं। आप न सुने तो मैं क्या कर सकता हूं।

**श्री अब्दुलजब्बार** : अलॉटमेन्ट कैसे किया ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जिनको जमीन दी गई है, डेफिनिशन है। एग्रीकल्चरिस्ट की कानून में जो डेफिनेशन दी हुई है उसके अनुसार उनको जमीन दी गई है। हो सकता है कि आपके सामने ऐसा कोई उदाहरण हो जिसके कारण डेफिनिशन से गलत तरीके से जमीन ले ली गई हो। ऐसे कम उदाहरण मिलेंगे प्रोजेक्ट नॉनकमान्डेड एरिया में, अलग अलग फ्री डिस्ट्रिब्युशन से और जिस जिस प्रकार की परिभाषा है, जिस जिस किस्म के काश्तकार शुमार हो सकते हैं, उन काश्तकारों

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

को यह जमीन दी गई है।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : आपने ७० हजार बताया।

**श्री सभापति** : No interruption please.

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : लैंड अलॉटमेंट रूल्स, १६५७ के तहत जो परिभाषा है, जो उसमें लैंडलेस टिनेन्ट्स में आते हैं उनको दी गई है।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : ऐसे आदमी तो नहीं हैं जिनके पास जमीन थी ?

**श्री रामप्रसाद लडढ़ा** : मैं उन सब आदमियों को तो जानता नहीं, उस कमेटी में एम० एल० ए०, बी० डी० ओ०, तहसीलदार पंचायत समिति के अध्यक्ष आदि होते हैं।

**श्री विजयसिंह झाला** : किसानों के आंकड़े बताये उसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्रीजी ने ये आंकड़े जानते समय यह जानने की कोशिश की कि जो जमीन किसानों को दी गई है वह दरअसल भूमिहीनों को दी गई है या जिनके पास जमीन थी उनको वह और दी गई ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : माननीय सदस्य भूमिहीनों की परिभाषा को नहीं जानते।

**श्री विजयसिंह झाला** : आप बता दीजिये।

**श्री रामप्रसाद लडढ़ा** : मैंने यह कहा है कि भूमिहीन पर्सन्स और साथ साथ यह भी कहा है कि अनइकॉनोमिक होल्डिंग और जिनको इन नियमों के अन्तर्गत जमीन अलॉट की जा सकती है वे लोग भी उसमें शामिल हैं।

मैंने बोलते वक्त अनइकॉनोमिक होल्डिंग और लेन्डलैस टिनेन्ट बोला है।

**श्री अब्दुलजब्बार** : On a point of Order, Sir.....

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : Your direction, Sir, is that in the end they can interrupt. I think, it will not be a good precedent that all should interrupti at this time.

**श्री अब्दुलजब्बार** : It is not a question of interruption but of getting information from the concerned Minister that actually a person who has...

**श्री सभापति** : Order ! Order !!

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : माननीय सदस्य को फीगर्स बताये तो उनको यह खयाल हुआ कि इस सम्बन्ध में जो एतराजात उन्होंने रखे थे और जिस तरह से इस समस्या को भयंकर बताने की कोशिश की थी उस पर वे क्रॉस एक्जामिन करना चाहते हैं।

खातेदारी राइट्स के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि खातेदारी राइट्स नियमानुसार उनको दिये गये। जब इतनी जमीन इतने तरीकों से इतने भिन्न भिन्न कानूनों के आधार पर दी जाती है तो हो सकता है उसमें कुछ अनियमितता हुई हो और गलत आदमियों को भी जमीन मिल सकती है। इसका यह

( श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा )

मतलब नहीं कि सरकार लैन्डलैस टिनेन्ट और अनइकोनॉमिक होल्डिंग का खयाल न रखती हो और मालदार आदमियों को ही ज्यादा जमीन दी गई हो यह बात नहीं है। जो उद्देश्य है वह कानून में स्पष्ट है उसका बराबर पालन किया जाता है....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : खुले आम ऑक्शन की जा रही है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा** : ऑक्शन की जमीन अलग है। मैंने इससे अपने आपको अलग रखा है। इसका अलग से प्रत्युत्तर मिलेगा।

**एक माननीय सदस्य** : भूदान की जमीन तो बंजर है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा** : मैं अच्छी कह देता हूँ तो और सवाल पैदा होंगे। आखिर यह भी तो जमीन है और काश्तकार लोग खेती के काम में ले रहे हैं। उनकी उपज बढ रही है। माली हालत ठीक हो रही है। खातेदारी राइट्स प्राप्त करने को वे उत्सुक हैं। उनको तो कोई ऐतराज नहीं, माननीय सदस्यों को क्यों एतराज है ?

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : On a point of privilege, Sir...

**श्री सभापति** : बाद में कोई इनफॉर्मेशन हो तो आप पूछ सकते हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : इनफॉर्मेशन का सवाल नहीं, मैं पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज उठा रहा हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने यह जो कहा कि काश्तकारों को तो कोई एतराज नहीं, माननीय सदस्य को क्यों एतराज है ? मैं समझता हूं यह एक सदस्य की डिग्निटी के खिलाफ है। माननीय सदस्य भी जनता से चुनकर आते हैं, उनमें किसान भी होते हैं, सबका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी हालत में माननीय मन्त्री महोदय ने जो यह एस्पर्सन किया है मैं समझता हूं वे उसे विड्रा करें।

**श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा** : आप सुनिये। सभापति महोदय, खातेदारी हक प्राप्त करने के सम्बन्ध में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है। इसके अलावा कानून के अन्दर जिस प्रकार के प्रोवीजन्स हैं उन प्रोवीजन्स की जानकारी के अभाव में किसानों को दिक्कत आती है। मैं समझता हूँ जानकारी का अभाव होना दूसरी बात है। उसकी जानकारी दी जा सकती है। यह बात ऐसी नहीं है कि जिससे कहा जाय कि खातेदारी राइट्स देना नहीं चाहते। इसके लिये डिक्लेरेशन देना पड़ता है और कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया, कुछ तहसीलें बतलायीं! उनके लिये कहा कि जागीर के जितने भी गांव हैं उनकी रीसर्वे होनी चाहिये। उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि रिवीजन ऑफ सेटलमेंट कितनी अवधि के बाद होता है। जितनी अवधि निर्धारित है, ३० साल की अवधि समाप्त होने पर रिवीजन ऑफ सेटलमेन्ट हो सकते हैं। जिस तहसील के सम्बन्ध में जिक्र किया २५ साल तो २०१६ में और ३० साल २०२४ में होते

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

हैं । १४ गांव ड्यू होते हैं रिवीजन ऑफ सेटलमेंट के लिये । और बाकी के गांवों का इसके बाद में रीसेटलमेन्ट ड्यू होता है । कानून के अनुसार समय से पहले किसी विशेष परिस्थिति के बिना रीसेटलमेंट या रिवीजन ऑफ सेटलमेन्ट नहीं हो सकता ।

माननीय सदस्यों ने गिरदावरी के संबंध में काफी ऐतराज उठाये । उन्होंने यह बताया कि गिरदावरी की स्लिप नहीं मिलती । इसमें बहुत रिश्वत चलती है । इसमें बहुत दिक्कत होती है पटवारी के पीछे पड़ना पड़ता है । इसके जो रूल्स हैं, जिनको इसकी जानकारी है, उनको अनुभव होगा कि जब कोई पटवारी टूर पर जाता है तो उस टूर प्रोग्राम को तीन रोज पहले भेज दिया जाता है । पंचायतों के पंच और सरपंचों के पास भेजा जाता है । लम्बरदार को भेजा जाता है और जिसकी जमीन पर जाना हो उनको भी इत्तला दी जाती है । उसके बाद में पंच, सरपंच और गांव का नम्बरदार और दूसरे अन्य व्यक्ति साथ में उनके जाने चाहिये और गिरदावरी स्लिप बनानी चाहिये । आज वक्त ऐसा देखा गया है कि अपनी जिम्मेदारी को अनुभव न करते हुए बेगार समझ कर पंच और सरपंच' मौके पर नहीं जाते । गिरदावरी की स्लिप में गलतियां हो जाय तो वह चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के जरिये जो जिम्मेदारी लोगों पर दी है कि किसानों की भलाई के लिये उस जिम्मेवारी को उठाना चाहिये । पंच-सरपंच गिरदावरी के समय मौके पर जाय तो वाकई जो गलतियां होती हैं वे रुक सकती हैं ।

साथ ही साथ यह सिस्टम रखा जाय या नहीं ? रेकर्ड ऑफ गिरदावरी सिस्टम रखा जाय, गिरदावरी की व्यवस्था न रहे इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा । यह चीज पहले से ही सरकार के विचाराधीन है । सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया है जो इस बात की जांच कर रही है कि गिरदावरी सिस्टम की जो गडबड़ियां हैं उनको किस प्रकार से अवॉइड किया जा सकता है । रेकर्ड ऑफ राइट रखा जाय या नहीं, अन्य भी कई प्रश्न हैं जो प्रत्यक्ष खड़े होते हैं उन सब को एग्जामिन करके वह सरकार को रिपोर्ट देंगे उस सम्बन्ध में मुनासिब कार्यवाही की जायगी । इन सारी तकलीफों के संबंध में कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायगा ।

यह भी कहा गया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीन का अलॉटमेन्ट नहीं होता । अलॉटमेन्ट के समय उनका खयाल नहीं रखा जाता । इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि आप १९५७ के अलॉटमेन्ट ऑफ लैंड को देखें तो सरकार ने किस प्रकार प्रावधान किये हैं । जिस क्षेत्र की जमीन का अलॉटमेन्ट होता है उस क्षेत्र में जितनी भूमि अलॉटमेन्ट के लिए अवेलेबल है उसका पच्चीस प्रतिशत हिस्सा शिड्यूड कास्ट और शिड्ल्डट्राइब्स के लोगों को अलॉट करने के लिए रिजर्व रखा जाता है । मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं । शिड्ल्ड ट्राइब्स और शिड्ल्ड कास्ट के जमीन अलॉटमेन्ट के सिलसिले में सरकार ने कभी उदासीनता नहीं बरती । मेरे पास शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आंकड़े उपलब्ध हैं वे मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन

( श्री रामप्रसाद लडढ़ा )

करदूं। १६५७ से १६५६ तक जो भूमि अलॉट हुई वह है ७६,६३३, ८७,२८३ शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के परिवारों को अलॉट हुई है। उसके बाद ५६ से ६२ तक और अलॉट हुई है वह अलग है। शिड्यूल्ड कास्ट के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं हैं, लेकिन जितनी भी जगह जमीन का अलॉटमेंट हुआ है उसके अन्दर जब दर्ख्वास्तें आती हैं तो इस प्रकार के नियम हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की दर्ख्वास्तें अलग छांटनी होती हैं और उनको जमीन दी जाती है। हो सकता है कहीं पर इर्रेग्युलेरिटी बरती गई हो। लेकिन यह बात निश्चित है कि सरकार का उद्देश्य है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको टीनेन्ट माना जाय, एग्रीकल्चरिस्ट माना जाय और उनको जमीन दी जाय और जमीन देने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। अब एक बात बड़े जोरों से कही गई पटवारी प्रथा के संबन्ध में। उसको किसी ने ब्यूरोक्रेसी का एजेन्ट बताया, किसी ने महापुरूष बताया, किसी ने राजनैतिक दलाल और कइयों ने कई और नामों से उसे पुकारा।

**श्री सभापति** : आप भाषण जारी रखना चाहेंगे आज या नेक्स्ट डे ? अगर सदन की सम्मति हो तो कुछ समय बढ़ा दिया जावे।

**श्री विजयसिंह झाला** : अभी प्रवर-समिति की बैठक भी है और काफी बोलना है, इनको, तो अब अगले दिन के लिये रखा जाय तो अच्छा है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा** : क्योंकि कल तीन घंटे ले लिये गये थे और १६ तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे। उसका रिप्लाई होगा इसलिये आज ही १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जावे तो ठीक रहेगा।

**श्री सभापति** : सदन बैठना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

**श्री विजयसिंह झाला** : आपको शंका का निवारण करने के लिये आधा घंटा चाहिये और फिर उसके रिप्लाई में कुछ समय इधर भी चाहिये।

**श्री सभापति** : सदन का समय दस मिनट और बढ़ाया जाता है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : तो मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्यों ने चौधरियों को, नम्बरदारों को खत्म करने की बात कही। अब नम्बरदारी प्रथा अच्छी है या बुरी है, इसके मैरिट पर नहीं जाऊंगा। पर निवेदन यह करना चाहूंगा कि सरकार ने इसको बन्द करने का निश्चय किया है। सरकार का इस पर तीस लाख रुपया सालाना खर्च होता है। यह खर्चा काफी अधिक है, इसलिये इकोनोमी की दृष्टि से इस व्यवस्था को समाप्त करने का सरकार ने निश्चय किया है। अब इसका विकल्प क्या होगा, यह प्रश्न विचाराधीन है सरकार के। ज्यों ही इसके विकल्प के सम्बन्ध में कोई निर्णय हो जावेगा, इस निश्चय को कार्यान्वित किया जावेगा।

इसी तरह कई सदस्यों ने पटवारियों के सम्बन्ध में निवेदन किया। कइयों ने इनको भ्रष्टाचार का अड्डा भी कहा। कइयों ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की जड़ वहां से शुरू

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

होती है। कइयों को उन पर दया आई और कहा गया कि यह एक मल्टीपर्पज एजेन्सी है जिसे दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं, चाहे वे काम उनके विभाग के हों या न हों। किन्हीं को दया इसलिये आई कि काम उनके पास बहुत ज्यादा है इसलिये उनकी तनख्वाह बढ़ाई जावे।

सब पहलुओं पर अगर विचार किया जाता है और यहां हमारे पटवारी की तुलना हिन्दुस्तान के दूसरी जगह के पटवारियों से की जाती है तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यहां के पटवारियों को उनसे अधिक वेतन मिलता है। मैं निवेदन कर दूं कि जैसा आपको मलूम होगा इन पटवारियों के दो ग्रेड कर दिये गये हैं और वे दोनों ग्रेड इस प्रकार हैं: एक है ६५) से ६०) रु० तक और दूसरा सलेक्शन ग्रेड है ७५) से १०५)रु० तक। पहले यानि १ सितम्बर, ६१ से पहले ये ४० से ६०) रु० के ग्रेड में थे। डीयरनैस अलाउन्स दस रुपया अलग है। हमारे यहां के पटवारियों का वेतन-स्तर पहले पंजाब के बराबर था, उसे हमने फिर रिवाइज़ किया।

**श्री हीराभाई** ( कुशलगढ़ ) : डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर की कितनी तनख्वाह है ?

**श्री सभापति** : आप जारी रखिये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : अभी सदन में म्यूटेशन के बारे में बहस हो रही थी।

**श्री हीराभाई** : पटवारी की और मन्त्री महोदय की तनख्वाह में कितना अन्तर है, यह तो सोचना चाहिये।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कहा गया था कि पटवारी को म्यूटेशन का पैसा क्यों दिया जाता है, पंचायतों को क्यों नहीं दिया जाता ? अगर इस म्यूटेशन की प्रोसीडिंग की कार्यवाही पटवारी करता है तो उसकी मेहनत का पैसा उसको मिलना चाहिये, सरपंच तो केवल अटेस्टेशन करता है। इस अटेस्टेशन के आधार पर पंचायत यह पैसा चाहे तो यह उचित नहीं समझा जा सकता। तो म्यूटेशन की इस प्रोसीडिंग में पटवारी को काफी परिश्रम करना पड़ता है, इसलिये हमने यह तय किया है कि इसका ४० परसेन्ट पैसा पटवारी को मिले। तो ग्रेड को रिवाइज़ कर देने के बाद और रूल में म्यूटेशन का पैसा जो आता है उसका चालीस प्रतिशत उसको मिले, यह प्रावधान कर देने के बाद उसकी तनख्वाह के सम्बन्ध में किसी को ऐतराज नहीं रहना चाहिये। सोचना चाहिये कि टोटल इमॉल्यूमेन्ट उसको कितना पहुँच जाता है। इसे देखते हुए यह कहना कि उसको एल० डी० सी० और यू० डी०-सी० से भी कम पैसा मिलता है और काम दुनिया भर का देते हैं, ठीक नहीं। इसलिये आपको सन्तोष होगा कि जहां तक इनके इमॉल्यूमेन्ट्स का सवाल है, सरकार ने टाइम-टू टाइम बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

दूसरी किस्म की शिकायत यह आई कि भ्रष्टाचार इसलिये होता है कि इनको तनख्वाह कम मिलती है। इसलिये तनख्वाह बढ़ जावे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जावेगा। तो अब बकौल आपके भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिये क्योंकि उनको काफी ठीक इमॉल्यूमेन्ट्स अब

( श्री रामप्रसाद लड्ढा )

मिलते हैं और अब भ्रष्टाचार पर बोलने की जरूरत भी नहीं रहती ।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर) : तो अब क्या सरकार भ्रष्टाचार की ओर से आंखें बन्द कर लेगी ? इसके बाद बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी क्या ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कई माननीय सदस्यों ने सैटलमेन्ट के सम्बन्ध में........

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अब तक क्या आंखें खुली हुई थी भ्रष्टाचार के बारे में ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कई माननीय सदस्यों ने सेटलमेन्ट के बारे में कहा कि सैटलमेन्ट की प्रणाली ठीक नहीं, कहीं अफसर ठीक नहीं । तो कई अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई ।

मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जब राजस्थान बना उस समय राजस्थान की क्या स्थिति थी और आज क्या है । इससे यह भी मालूम हो जावेगा कि हमारी जो असमानता पहले थी वह किस प्रकार दूर की गई और वॉल्यूम ऑफ वर्क भी कितना हुआ और खालसा और जागीरी एरिया में रहनेवाले किसान को राहत मिली या नहीं ?

हमारे राजस्थान में कुल गांवों की संख्या ३४,६४२ है । इनमें से जब हमारा राजस्थान बना, १४,४०० खालसा के गांवों का सेटलमेन्ट हुआ था, बाकी अनसेटल्ड था खालसा का एरिया भी ! इसी तरह नॉन-खालसा के ५,४०० गांव सैटल्ड थे बाकी सारे अनसैटल्ड थे । इस प्रकार कुल ३४,६४२ गांवों में १६,८०० गांव सैटल्ड थे, बाकी अनसैटल्ड थे । यह स्थिति मैं उस समय की बता रहा हूं जब राजस्थान बना था, सन् १९५० की । और अब क्या स्थिति है ? आज जैसलमेर को छोड़ कर हमारे राजस्थान के सभी जिलों के गांवों का सेटलमेन्ट कम्पलीट हो गया है, कोई भी सैटलमेन्ट बाकी नहीं है । कुछ हिस्सा जो कि रिसैटल्ड हुआ उसकी भी सार्वजनिक कार्यवाही मुकम्मिल है, कुछ कार्यवाही बाकी है, जिसके फाइनल होते ही वह पब्लिश हो जावेगी ।

तो इस प्रकार जैसलमेर को छोड़ कर जहां कि एक विशेष समस्या है, वहां समरी सैटलमेंट से काम चलाया जा रहा है, जहां के गांवों की करीब २००-४०० सौ गांवों की संख्या हो सकती है, बाकी सभी राजस्थान भर के ३४,-६४२ में से ३४,२४२ गांवों का सैटलमेन्ट हो चुका है ।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : जैसलमेर को क्यों छोड़ा गया ? जो सबसे अधिक पिछड़ा था, जहां सबसे पहले यह होना था आजादी के बाद वहां नहीं करके दूसरी जगह पहले किया, यह क्यों ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : आप तो वहां के रहनेवाले हैं । वहां की विशेष परिस्थिति है । सैंडी प्लेस है, बहुत दूर दूर गांव हैं, मार्क्स डिमार्केशन के ठहरते नहीं । फिर समरी सैटलमेन्ट से वहां काम चल रहा है । तो जैसलमेर को छोड़ कर बाकी राजस्थान का सैटलमेंट हो गया, यह तो मान कर चलना ही होगा ।

**श्री मानसिंह महार** : क्या आपने ६२

( श्री मानसिंह महार )

में समाप्त कर दिया, तो कोई यह क्रेडिट की बात हो गई ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : क्रेडिट की बात के लिये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो इसलिए कहा कि यहां बहस उठाई गई इस विभाग के विरुद्ध, इसके कर्मचारियों के विरुद्ध, इसकी कार्य-प्रणाली के विरुद्ध और इसकी आजकल जैसी गांवों में व्यवस्था है उस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कराया गया, इसलिये यह सब बताया।

अब इस संबंध में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सेटलमेन्ट हो गया। अब कई माननीय सदस्योंने २-३ बातें सदन के समक्ष रखीं और उनमें से एक बात यह थी कि मेक्सीमम लैण्ड रेवेन्यू में बहुत डिफरेन्स और असमानतायें हैं, इसकी समानता होनी चाहिए और इसके समानीकरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यह भी उन कदमों में से एक है जिससे कि समानीकरण होता है। क्यों होता है ? इसलिए कि जहां सेटलमेन्ट होता है वहां सब जगह एक ही प्रकार के नियमों के अनुसार सेटलमेन्ट हो तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल का डिफरेन्स आता है वह तो बात एक दूसरी है........ ।

**श्री सभापति**: सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक १६ मार्च, १९६२ के प्रातः काल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. ५ बज कर ४१ मिनट पर दिनांक १६ अप्रेल, १९६२ के ११ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई । )

## संक्षिप्त–विवरण

( शनिवार, १४ अप्रेल, १९६२ )

स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** ३७५२

ड्रेनेज सिस्टम, बीकानेर।

अति वर्षा से बीकानेर शहर में क्षतिग्रस्त हुए मकानों के मालिकों को दी गई सहायता।

अवाप्त भूमि का मुआवजा।

सिटी इम्प्रूवमेन्ट कमेटी, बीकानेर।

राजस्थान नहर क्षेत्र में अतिरिक्त राजस्व की वसूली।

जल-प्रदाय योजना, टोडारायसिंह।

चिकित्सा-व्यवस्था।

गंगनहर में पानी की बंदी।

किशनगंज माइनर नहर (तहसील बड़ोद)।

चम्बल बैराज से निकाली गई नहरों के कारण होने वाला स्वीपेज।

'मीरा–नगरी' की योजना–नाथ-द्वारा।

**अल्प सूचना प्रश्न**

स्कम्भ

जयपुर–शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल।

**आय व्ययक, १९६२-६३**

**द्वितीय अवस्था–अनुदानों की मांगों पर मतदान**

**मांग संख्या–१, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व** ३८०२

उपरोक्त मांग पर आज भी सदन द्वारा विचार किया गया तथा ४६ कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत किये गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप० मंत्री, राजस्व बहस का उत्तर दे रहे थे कि सदन की बैठक ५ बज कर ४१ मिनट पर सोमवार, दिनांक १६ अप्रेल, १९६२ को प्रात: ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

**सोमवार, दिनांक १६ अप्रेल, १९६२ की कार्य–सूची**

१. मांग संख्या १–भू-राजस्व ( पूर्व क्रम से )।

२. मांग संख्या १२–पुलिस।

## परिशिष्ट १

( कृपया अल्प काल सूचना प्रश्नोत्तर १ देखिए )

संघ की मांगे निम्न प्रकार हैं:--

१. संघ को मान्यता दी जाय।

२. नॉन हरिजन कर्मचारी खत्म किये जायें जिससे वाल्मिकी हरिजन बेरोजगारी खत्म हो, जिससे शहर सफाई में वृद्धि हो सके।

३. भैंसेवाले कर्मचारियों के सरकारी भैंसे दिये जायें, अन्यथा १० प्रति भैंस के वेतन में वृद्धि की जावे।

४. हरिजन महिलाओं को सिर पर मैला ढोने से रोका जावे, जिसकी सहायता केन्द्रीय सरकार से मिलती है और मलकानी समिति की सिफारिश को कार्यान्वित किया जावे।

५. हरिजनों की गंदी बस्तियों के लिए हर परिवार को फ्री प्लॉट दिये जावें और मकान बनाने हेतु सहायता दी जाय और हरिजनों पर से लीज खत्म किया जावे।

६. शहर की आबादी व जनसंख्या को देखते हुए स्टाफ में वृद्धि की जाय, क्योंकि जयपुर शहर एक महान शहर माना गया है, जिसमें गन्दगी रहना अनुचित है। महिला कर्मचारियों को भी पुरुष कर्मचारियों के बराबर सुविधायें दी जावें और टेम्परेरी कर्मचारियों को परमानेन्ट घोषित किया जावे और पूरा वेतन दिया जावे जिस दिन से उनकी नियुक्ति हुई है।

७. हरिजन कर्मचारियों के बच्चों के लिए मिडिल स्कूल खोले जावें। जहाँ स्कूल नहीं हैं वहां प्राइमरी स्कूल खोले जावें व उन्हें छात्रवृत्तियों की सुविधा प्राप्त हो।

८. हरिजन कर्मचारियों का वेतन व महंगाई भत्ते को मिला कर ७५) रु० प्रतिमाह किया जावे।

९. कर्मचारियों के जब तक प्लॉट अलॉट न हों तब तक क्वाटर अलाउन्स दिया जावे।

१०. महिला कर्मचारियों के प्रस्तुत साल में ३ माह का वेतन सवेतन अवकाश हो व कर्मचारी और कर्मचारियों को प्रतिवर्ष १॥ मास सवेतन छुट्टी दी जावे।

११. शहर को स्वच्छ रखने हेतु कर्मचारी-एवजी का सिस्टम शुरू किया जावे क्योंकि भूतकाल में यह सिस्टम था, जिससे शहर में गंदगी महसूस नहीं होती थी।

१२. संघ का एक कार्यालय पालिका द्वारा बना कर चौगान में दिया जावे।

१३. हरिजन कर्मचारियों की ओर से एक सहायक-चीफ लिया जावे, जिससे कि अवकाश-पत्रों का व अन्य छोटी २ शिकायतों का काय खत्म हो सके।

१४. एक ५ व्यक्तियों की समिति का गठन किया जावे जिससे कर्मचारी व अधिकारी सम्मिलित हों और समिति की सिफारिशों पर नियुक्ति व अन्य शिकायतों पर विचार-विमर्श कर सकें।

१५. राजामल के तालाब में बनाये गये प्लॉट कर्मचारियों को तुरन्त वितरण किये जावें।

१६. एक हरिजन वैल फेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जावे।

विदित हो कि उपरोक्त मांगें गत वर्ष के आश्वासनों द्वारा चली आ रहो हैं और नव निर्वाचित अध्यक्ष महोदय के भी सामने गत महीने पूर्व प्रस्तुत की जा चुकी हैं और आश्वासन था कि यह अतिशीघ्र निकट भविष्य में पूरी करदी जावेंगी और कहा गया था कि प्लान व बैंक की घोषणा कल या परसों कर दी जावेगी, जिसे करीब ४ या ५ माह हो गये हैं।

———

## शुद्धि-पत्र

( शनिवार, १४ अप्रेल, १९६२ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ३७५५ | ६ | इम्प्रवमेन्ट | इम्प्रूवमेन्ट |
| ३७७३ | ११ | एक्सपट्स | एक्सपर्ट्स |
| ३७७८ | ४ | अबलत्ता | अलबत्ता |
| ३७७९ | अन्तिम से ४ | नेक्रट | नेक्स्ट |
| ३७८९ | १५ | श्री दौलतराग | श्री दौलतराम |
| ३७९० | अंतिम से ४ | वन्द | बन्द |
| ३७९३–३८०२ | शीर्षक | तारांकित प्रश्नोत्तर | अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर |
| ३७९६ | २७ | इक्ट्ठा | इकट्ठा |
| ३८०० | अंतिम पंक्ति | इकाट्ठा | इकट्ठा |
| ३८०४ | २९ | राजरय | राजस्व |
| ३८१० | २१ | नागरिक | नागरिकों |
| ३८१३ | २४ | नम्बरदारों | नम्बरदारों |
| ,, | अंतिम पंक्ति | की | कि |
| ३८१७ | २ | उप–मन्त्री | उप–मन्त्री |
| ३८१९, ३८२७, ३८४३, ३८४९, ३८५९, ३८६३, | शीर्ष | भ–राजस्व | भू-राजस्व |
| ३८२० | ६ | उहाहरण | उदाहरण |
| ३८२६ | अंतिम पंक्ति | कइ | कई |
| ३८३० | शीर्ष | माग | मांग |
| ३८३३ | १५ | विचाग | विचार |
| ३८३६ | २१ | आडिनरी | ऑर्डिनरी |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ३८४६ | २६ | और कोई | और |
| ३८४६ | १ | जमीन सैंकड़ों | जमीन से सैकड़ों |
| ,, | १४ | झाल | झाला |
| ३८५१ | २६ | स्टैंट | स्टंट |
| ३८५२ | अंतिम से ४ | पहल | पहले |
| ३८५३ | ६ | बायत्र | गायत्र |
| ३८५४ | २० | में काठ | में से काट |
| ,, | २ | परसेन्ठ | परसेन्ट |
| ३८५७ | १५ | राइटस | राइट्स |
| ३८५८ | शीर्ष | ( श्री विजयसिंह झाल ) | ( श्री विजयसिंह झाला ) |
| ,, | २४ | कक्लैक्शन | कलेक्शन |
| ३८६३ | २३ | थरमावेंगे | फरमावेंगे |
| ३८६६ | ३ | एक्सपन्डीचर | एक्सपेन्डीचर |
| ३८७५ व ३६७० | अंतिम से ३ | लडढा | लड्ढा |
| ३८८६ | २० | नहीं बढ़ाई गई तो यह भ्रष्टाचार | नहीं बढ़ाई गई तो भ्रष्टाचार |
| ३८६२ | ७ | द्वारा किशनों का | द्वारा किसानों की |
| ३८६३ | शीर्षक | मुख्या | मुख्य |
| ३६०५ | २ | किय जाया | किया जाय |
| ३६०७ | स्कम्भ | १६०७ | ३६०७ |
| ३६०६ | ११ | कर्पचारियों | कर्मचारियों |
| ३६२० | १२ | रोंडे | रोड़े |
| ,, | १७ | आवश्कता | आवश्यकता |
| ३६२४ | शीर्षक | सख्या | संख्या |
| ३६३६ | अंतिम से ३ | गिश्त | गश्त |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ३६४० | २० | सेक्रेटरियेट | सेक्रेटेरियेट |
| ३६४२ | १७ | और | ओर |
| ,, | १२ | चाहए | चाहिए |
| ३६४५ | १ | तारीफ | तारीफ |
| ,, | १३ | जों | जो |
| ३६४६ | २४ | बन्कि | बल्कि |
| ३६५६ | ६ | गवर्नमैंट | गवर्नमेंट |
| ,, | २५-२६ | occucupancy | occupancy |
| ३६५७ | अंतिम से २ | श्री आन्दसिंह | श्री आनन्दसिंह |
| ३६६३ | शीर्षक | शीषक | शीर्षक |
| ३६७१ | १३ | interrupti | interrupt |
| ३६७३ | ६ | विड़ा | विघ्ड़ा |
| ३६७५ | २७ | शिड्ल्ड | शिड्यूल्ड |